खण्ड-472, अंक-8
गुरूवार, 15 माघ, शक संवत् 1931
(4 फरवरी, 2010 ई0)

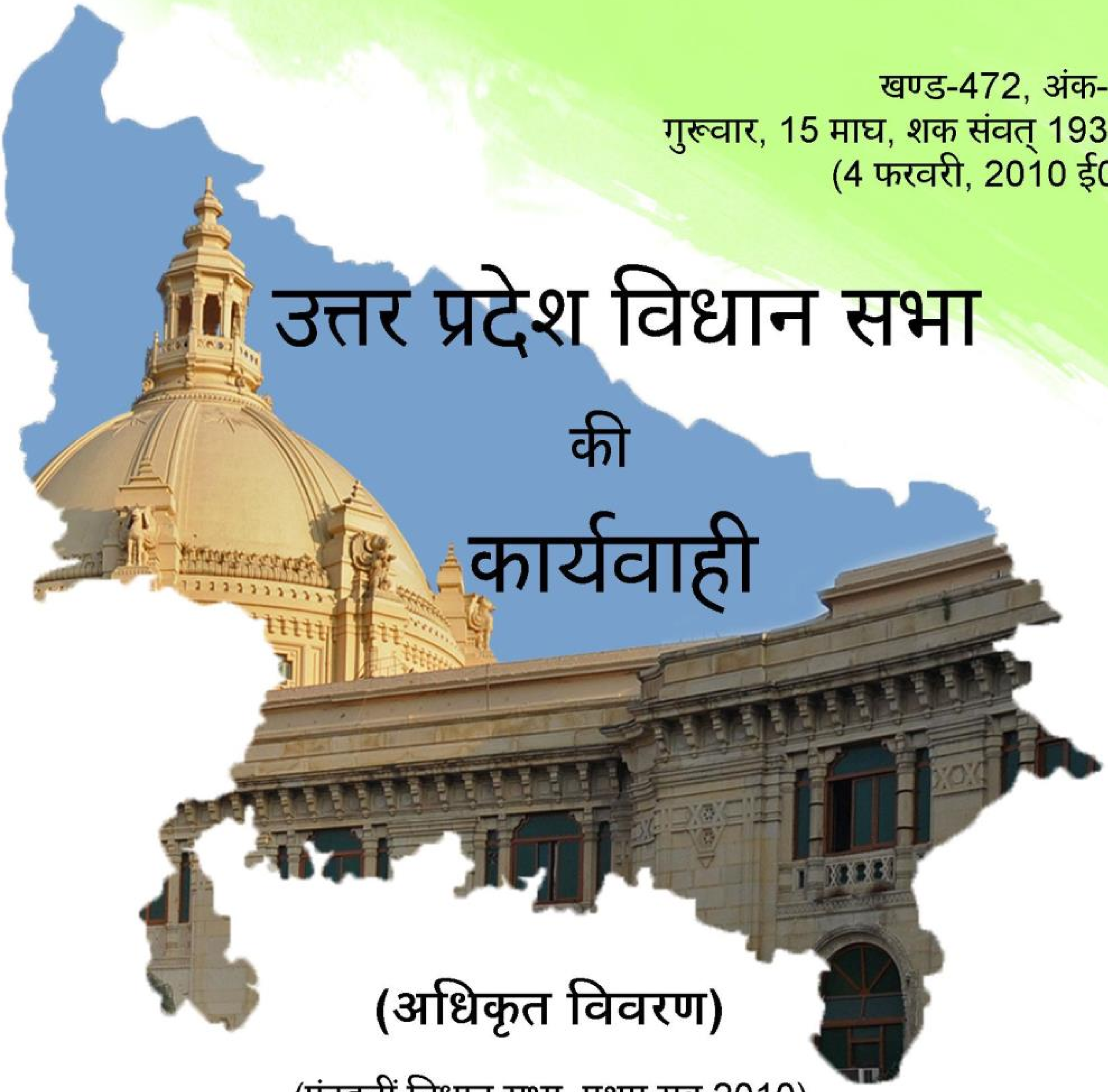

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 472 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण	7
वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण की सूचना ...	7
वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ... (जारी) ...	7-8
बजट भाषण की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग	8-28
वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	28-29
बजट प्रस्तुतीकरण में सदन के सहयोग पर आभार प्रदर्शन	29
आज की कार्य-सूची की मद संख्या-12 को पहले लिये जाने की सूचना ...	29-32
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ... ... (स्वीकृत) ...	32
आज की कार्य-सूची की मद संख्या 13 व 14 को बाद में लिये जाने की सूचना ...	33
जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन की प्रदेश स्तर पर गठित समिति में क्षेत्र में होने वाले कार्यों का चिन्हीकरण एवं प्रस्ताव में सम्बन्धित क्षेत्रों के विधायकों की भागीदारी भी सुनिश्चित किये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2009 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (व्यपगत)..	33
प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने विषय श्री मदन भैया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)..	33
प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाये जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (संकल्प अस्वीकृत)	33-45
वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (स्थगित) ...	46
जनपद आगरा में आलू के प्रसंस्करण हेतु आलू प्रसंस्करण पार्क विकसित किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ...(जारी) ...	46
प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण के निराकरण हेतु एक प्रभावी नीति बनाये जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ...(जारी) ...	46

विषय	पृष्ठ-संख्या
बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि दोगुनी कर दिये जाने विषयक श्री सतीश महाना के संकल्प पर चर्चा ...(जारी)	46-47
प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाये जाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा ... (प्रस्ताव अस्वीकृत) ...	47-54
प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिये जाने विषयक चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा ... (प्रस्ताव अस्वीकृत) ...	54-66
प्रदेश के सभी स्कूलों और कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा ... (जारी) ...	66-70
नियम 103 के प्रस्तावोपरान्त नियम 301 की सूचनाएं लिये जाने की सूचना ...	71
प्रदेश के सभी स्कूलों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा ... (जारी)	71
सदन में जैमर व्यवस्था के बावजूद मोबाइल क्रियाशील होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	71-72
प्रदेश के सभी स्कूलों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा ... (प्रस्ताव अस्वीकृत) ...	72-75
सदन में मंत्रियों और सदस्यों का परस्पर परिचय कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	75-76
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	76-77
प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत गुजरने वाली सई नदी पर उधरनपुर घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	77-78
जनपद जौनपुर के मल्हनी रोड स्थित ग्राम शिकारपुर में दहीरपुर नाले पर जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
सहारनपुर नगर निगम में वर्तमान सहायक नगर आयुक्त के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद महत्वपूर्ण पद दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78-79

विषय	पृष्ठ-संख्या
राजकीय पालिटेक्निक कालेज, बदायूं के निर्माण के समय कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बाद विस्थापित को विभाग में नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	79-80
जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 द्वारा 25 वर्ष पूर्व अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसियेशन वाराणसी में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	80-81
जौनपुर के जनता इण्टर कालेज, रतनोपुर में श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा प्रवक्ता के पद पर कार्य करते हुये वेतन लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद जालौन के उरई-कोंच मार्ग, कोंच से नन्दीगांव आदि कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	81-82
जनपद रामपुर में वर्ष 2007 में जारी किये गये शस्त्र लाइसेन्सों के अकारण नवीनीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82-83
जनपद आजमगढ़ में जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां के कार्यालय में कार्यरत संग्रह कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद बस्ती के हरैया क्षेत्र में कटरा परशुराम होते हुये लकड़मण्डी क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	83-84
जनपद लखीमपुर में ब्लाक नकहर में शारदा नदी के द्वारा कटान की भीषण समस्या एवं बाढ़ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद बलरामपुर में आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा अधिकारी पद हेतु हुये साक्षात्कार में डा0 मकसूद अहमद पुत्र मकबूल अहमद को न बुलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	84-85
जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील के ब्लाक टप्पल के दर्जनों गांवों में हर साल हो रही यमुना के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत-नेपाल सीमा पर आई0 एस0 आई0 की गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	85
प्रदेश में नीलगायों के बढ़ते हुये आतंक को रोकने हेतु एक ठोस और समयबद्ध योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	86
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी में चिकित्सा शिक्षकों व रेजीडेन्ट डाक्टरों की कमी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	86
जनपद अलीगढ़ में छर्रा-हरदोई मार्ग पर नीम नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद गाजियाबाद की ग्राम सभा खोड़ा को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	87
प्रदेश में जिलों से अस्सी हजार मीट्रिक टन चावल स्टेट पूल में लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87-88
जनपद जालौन की महेवा ब्लाक की ग्राम पंचायत दमरास की वोटर लिस्ट में की गई गड़बड़ियों को ठीक करने तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद बुलन्दशहर में नीम नदी पर दोनों पुलियाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	88-89
गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में नोएडा प्राधिकरण द्वारा रिक्शा चालकों के पकड़े गये रिक्शों को वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषणमुक्त रखने तथा पर्यावरण को सन्तुलित रखने हेतु बरगद, नीम, पीपल, शीशम आदि वृक्षों को राज्य मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपित किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा ... (जारी)	89
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा .. (व्यपगत)	90

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये आगरा विकास प्राधिकरण तथा आगरा विकास परिषद् द्वारा किसानों की खेती योग्य उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाये जाने तथा जनपद आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव (वापस लिये गये)	90
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-2-आवास विभाग, अनुदान संख्या-7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-8-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-9-ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-22-खेल विभाग, अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्यसा-40-नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें), अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन), अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग, अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग ... (स्वीकृत)...	90-93

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 ... (पारित)...	94-98
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2009-2010) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	98
राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षाबल विधेयक, 2010 (पारित)	98-127
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना	127-128
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	128
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	128-131
नियम-51 में अस्वीकृत सूचनाओं को उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा पुनः लिये जाने का अनुरोध	131
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	132-133
वाराणसी नगर की सीवर सफाई का कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	133-134
गोरखपुर में बन्द पड़े फर्टिलाइजर फैक्ट्री को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	134-135
जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी-धानी मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की जमीन का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का मा0 मंत्री के अनुरोध पर स्थगन	135
जनपद मेरठ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को बदले जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	136-137

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर की जखनियां तहसील में बेसो एवं मगई नदी पर चेक डैम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	137-138
जनपद प्रतापगढ़ स्थित बेल्हा देवी धाम में पर्यटकों की सुविधा हेतु राज्य योजना एवं केन्द्र योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य	138-139

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 4 फरवरी, 2010

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-352

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय यादव, श्री — एटा
7. अजय सिंह, श्री — जालौन
8. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
12. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
13. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
14. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
19. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
20. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
21. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
22. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
23. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
24. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
26. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
28. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
29. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
30. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
31. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
32. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
33. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
34. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
35. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
36. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
37. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
40. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
41. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
42. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
43. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
44. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
45. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
46. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
47. आर0 ए0 उस्मानी डा0, — लखीमपुर खीरी
48. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
49. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
50. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा

51. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
52. आसिफ, श्री हरदोई
53. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
54. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
55. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
56. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
57. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
58. उदयराज, श्री उन्नाव
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
61. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
62. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
63. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
64. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
65. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
66. काशीराम, श्री रामपुर
67. कुवेर सिंह, श्री एटा
68. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
71. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
72. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
73. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
74. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
75. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
76. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
77. कैलाश साहू, श्री झांसी
78. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
79. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
80. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
81. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
82. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
83. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
84. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
85. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
86. घूराराम, श्री बलिया
87. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
88. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
89. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
90. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
91. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
92. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
93. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
94. जगपाल, श्री सहारनपुर
95. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
96. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
97. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
98. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
99. जावेद अंसारी, श्री जौनपुर
100. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
101. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
102. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
103. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
104. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
105. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
106. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
107. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
108. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
109. दयाराम, श्री कौशाम्बी
110. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
111. दाउद अहमद, श्री हरदोई
112. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
113. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
114. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
115. दीपक कुमार, श्री उन्नाव

116. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
117. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
118. दूधराम, श्री बस्ती
119. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
120. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
121. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
122. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
123. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
124. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
125. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
126. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
127. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
128. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
129. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
130. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
131. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
132. नारायण सिंह, श्री आगरा
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
135. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
136. पशुपति, श्री गाजीपुर
137. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
138. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
139. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
140. प्रजापालन, श्री एटा
141. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
142. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
143. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
144. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
145. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
146. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
147. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
148. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
149. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
150. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
151. फागू, श्री मऊ
152. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
153. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
154. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
155. बिरजू राम, श्री जौनपुर
156. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
157. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
158. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
159. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
160. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
161. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
162. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
163. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
164. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
165. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
166. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
167. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
168. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
169. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
170. ममतेश शाक्य, श्री एटा
171. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
172. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
173. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
174. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
175. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
176. महेश चन्द्र, श्री औरैया
177. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
178. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
179. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
180. माधव पासवान, श्री गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

181. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
182. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
183. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
184. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
185. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
186. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
187. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
188. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
189. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
190. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
191. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
192. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
193. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
194. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
195. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
196. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
197. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
198. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
199. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
200. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
201. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
202. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
203. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुं0 प्रतापगढ़
204. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
205. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
206. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
207. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
208. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
209. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
210. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
211. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
212. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
213. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
214. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
215. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
216. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
217. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
218. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
219. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
220. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
221. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
222. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
223. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
224. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
225. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
226. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
227. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
228. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
229. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
230. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
231. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
232. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
233. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
234. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
235. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
236. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
237. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
238. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
239. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
240. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
241. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
242. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर

243. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
244. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
245. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
246. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
247. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
248. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
249. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
250. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
251. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
252. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
253. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
254. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
255. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
256. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
257. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
258. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
259. लखीराम नागर, श्री मेरठ
260. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
261. लालजी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
262. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
263. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
264. वारिस अली, श्री बहराइच
265. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री बुलन्दशहर
266. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
267. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
268. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
269. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
270. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
271. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
272. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
273. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
274. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
275. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
276. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
277. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
278. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
279. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
280. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
281. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
282. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
283. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
284. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
285. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
286. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
287. शहनवाज, श्री बिजनौर
288. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
289. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
290. शिव गणेश "लोधी", श्री रायबरेली
291. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
292. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
293. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
294. शिवशंकर, श्री बलिया
295. शीशराम, श्री बिजनौर
296. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
297. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
298. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
299. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
300. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
301. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
302. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
303. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
304. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
305. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
306. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
307. संजय कपूर, श्री रामपुर

308. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
309. संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री — कानपुर नगर
310. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
311. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
312. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
313. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
314. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
315. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
316. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
317. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
318. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
319. सिद्धार्थ शंकर, डा0 — लखनऊ
320. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
321. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
322. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
323. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
324. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
325. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
326. सुखलाल, श्री — पीलीभीत
327. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
328. सुनील शर्मा, श्री — गाजियाबाद
329. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
330. सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
331. सुभाष, श्री — बलिया
332. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती — ललितपुर
333. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
334. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
335. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
336. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
337. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
338. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
339. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
340. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
341. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
342. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री — आगरा
343. सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
344. सूर्यभान, श्री — मिर्जापुर
345. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
346. सोबरन सिंह, श्री — मैनपुरी
347. हरगोविन्द भार्गव, डा0 — सीतापुर
348. हरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
349. हरिओम, श्री — जालौन
350. हसरत उल्ला, श्री — एटा
351. हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
352. होराम सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर

नोट :- लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन मे उपस्थित थे।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-1

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया प्रतियां बटवां दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य विवरण की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ क्षणों बाद वित्तीय वर्ष 2010-2011 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार है:--

"हां" सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, ज्योतिबाफूलेनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण,

और

"नहीं" सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य एवं शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2010-2011 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। .....

(श्री लाल जी वर्मा द्वारा अपना बजट भाषण पढ़े जाने के मध्य)

बजट भाषण की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, बजट भाषण की प्रति अभी नहीं मिली है। द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण की प्रति ही मिली है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बजट भाषण बटवा दें।

श्री अध्यक्ष-

वह भी बट रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इधर अभी नहीं आ पाया है। बजट भाषण की कापी आने दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आप सबको आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने की जानकारी दी कि वह किस लॉबी में कहां मिलेगा। बजट भाषण भी बट रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी बजट भाषण पढ़ना जारी रखें।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण (क्रमागत)

उत्तर प्रदेश की जमीन पर सामाजिक परिवर्तन की ठोस शुरूआत करना सुश्री मायावती जी के पहले शासनकाल से लेकर वर्तमान शासनकाल तक सबसे अहम मुद्दा रहा है। अपने चारों शासनकालों में उन्होंने समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े दलित, शोषित, वंचित और हर तरफ से उपेक्षित वर्गों को सबसे पहले उठाने की कोशिश की है। अपने हर फैसले के केन्द्र में उन्हें रखा है और उनकी आवाज तथा बुनियादी आवश्यकताओं को सबसे अधिक तरजीह दी है। इसके साथ ही इन वर्गों में समय-समय पर जन्मे उन सभी महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों, में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी को विभिन्न रूपों मे अर्थात् इनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां, पार्क, जिले व यूनिवर्सिटी/कालेज आदि बना के इन्हें पूरा-पूरा आदर-सम्मान दिया है, जिन्होंने अपनी तमाम जिन्दमी समाज के उपेक्षित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। इसके अलावा हमारी सरकार ने विकास की परिभाषा को जमीनी जरूरतों से जोड़ा है। आम जीवन की जरूरी और बुनियादी सुविधाएं विकास कार्यक्रमों के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को देने की कोशिश की है।

"सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की नीति के आधार पर विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों को समुचित विकास देने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न पेशों में लगे लोगों और समाज के उपेक्षित व निर्बल वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं तथा छात्रों के उत्थान के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज देने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया गया है परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा इस पर आशानुरूप सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की रणनीति बनायी गयी है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता के दृष्टिगत किसानों को केन्द्र-बिन्दु मानते हुये कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास तथा समग्र ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुये एवं कृषि उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि लाने का

लक्ष्य रखा गया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि से आम जनता को सस्ते दामों में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में भी सुविधा होगी। ऊसर एवं बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये महत्वाकांक्षी सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय प्रारम्भ की गया है। किसानों को खाद की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अग्रिम भण्डारण की योजना और विस्तृत रूप से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार उन्नतशील बीजों की आपूर्ति एवं सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कार्यक्रम बनाये गये हैं। गांवों में पम्प सेटों को बिजली के अलग फीडर से जोड़ने हेतु 15 जनवरी, 2010 को डा0 अम्बेडकर कृषि ऊर्जा सुधार योजना का शुभारम्भ किया गया है।

हमारी सरकार द्वारा महिलाओं तथा विशेष तौर पर बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिये "महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना" तथा "सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना" जैसी महत्वाकांक्षी योजनायें संचालित की जा रही हैं। छोटे बच्चों के कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु अनुपूरक पुष्टाहार का बजट लगभग दोगुना कर दिया गया है तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से परिवर्तन लागत में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2010-2011 से "सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना" का लाभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पालीटेक्निकों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। सस्ती दर पर खाद्यान्न एवं पेंशन योजना से अनाच्छादित बी0पी0एल0 परिवारों को रुपये 300 प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता हेतु "उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना" का लाभ भी परिवार की महिला मुखिया को दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के दृष्टिगत सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) के आधार पर मूलभूत आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं, जैसे ऊर्जा, सड़क-पुल, परिवहन एवं शहरी अवस्थापना सम्बन्धी वृहद परियोजनायें संचालित करते हुए इन पर सीधे सरकारी निवेश की आवश्यकता कम करके दुर्बल एवं निर्धन तबकों के उत्थान, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, शिक्षा एवं चिकित्सा-स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं हेतु सरकार द्वारा अधिक संसाधन आवंटित किये जा रहे हैं।

सार्वजनिक निजी सहभागिता माडल पर परियोजनायें संचालित करने हेतु किये जा रहे प्रयासों के आशातीत परिणाम आने लगे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण आपके संज्ञानार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं-

- ऊर्जा क्षेत्र में अधिष्ठापन क्षमता बढ़ाने हेतु 23000 करोड़ रुपये लागत की तीन परियोजनायें बारा, करछना व मेजा स्वीकृत हो चुकी हैं तथा 32000 करोड़ रुपये लागत की पांच अन्य परियोजनों भी प्रस्तावित हैं। वर्ष 2010-2011 में इनमें विकासकर्ताओं द्वारा 5000 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।
- ऊर्जा क्षेत्र में ही पारेषण-तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं वितरण में सुधार हेतु 8000 करोड़ रुपये की परियोजनायें प्रस्तावित हैं जिनके अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में 600 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है।

- परिवहन क्षेत्र के विकास हेतु यमुना एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे के निर्माण तथा राजकीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण की परियोजनायें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिन पर वर्ष 2010-2011 में 4900 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
- कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा बौद्ध परिपथ का विकास 750 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।
- आगरा, मेरठ, इलाहाबाद तथा अलीगढ़ में 4000 करोड़ रुपये की लागत से रिंग रोड बनाई जायेगी।
- गाजियाबाद, इलाहाबाद एवं अन्य शहरों में 50 करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत से निजी विकासकर्ताओं द्वारा मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधा का विकास किया जायेगा।
- निजी सहभागिता से 1000 करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत से, पांच टाउनशिप का विकास प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पर वर्ष 2010-2011 में 500 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।
- प्रदेश के नौ जनपदों में 450 करोड़ रुपये की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं का कार्य किया जायेगा जिनमें वर्ष 2010-2011 में 100 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
- नये आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक, मेडिकल कालेज, पैरा-मेडिकल इन्स्टीट्यूट तथा मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल खोला जाना भी प्रस्तावित है। वर्ष 2010-2011 में इन परियोजनाओं में 250 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है।

अब मैं आपके समक्ष राज्य की आर्थिक स्थिति, वार्षिक योजना तथा बजट के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

- प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का योगदान वर्ष 1999-2000 में 35.5 प्रतिशत था, जो वर्ष 2008-09 में घटकर 29.6 प्रतिशत पर आ गया। दूसरी तरफ इसी अवधि में सेकेण्डरी सेक्टर का योगदान 21.8 प्रतिशत से बढ़कर 23.9 प्रतिशत हो गया। टरशरी सेक्टर का योगदान 42.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.5 प्रतिशत हो गया है।
- विगत दो वर्षों में राज्य की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास दर 5.2 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में विकास दर क्रमशः 7.9 प्रतिशत एवं 7.4 प्रतिशत आंकलित हुई है। प्रदेश में कृषि तथा पशुधन की विकास दर वर्ष 2007-08 में 4.5 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2008-09 में बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गई। यह देश की औसत विकास दर से कहीं अधिक है।

- प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार वर्ष 2009-2010 में 39000 करोड़ रुपये निर्धारित हुआ है, यह वर्ष 2006-07 की योजना से दो गुना से भी अधिक है। वार्षिक योजना 2010-2011 का आकार अभी योजना आयोग के परामर्श से निर्धारित नहीं हुआ है। अन्तरिम रूप से योजना का आकार 42000 करोड़ रुपये मानते हुए बजट व्यवस्था की गई है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आलोक में प्रदेश में कर्मियों के वेतनमान, भत्ते, पेंशन इत्यादि को पुनरीक्षित किये जाने से आये अतिरिक्त व्यय-भार के बावजूद अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाते हुए योजना के वित्त पोषण की व्यवस्था की गयी है। मैं इस सम्मानित सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि प्रस्तुत बजट में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पड़ने वाले प्रभाव को संज्ञान में नहीं लिया गया है। आयोग की रिपोर्ट ए0टी0आर0 के साथ संसद में प्रस्तुत की जानी है। आशा है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य को वर्तमान में मिल रहे केन्द्रीय करों के अंश एवं अनुदान की राशि में आशातीत वृद्धि होगी।

बजट के महत्वपूर्ण बिन्दु

- वित्तीय वर्ष 2010-2011 के बजट का आकार 153199.38 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष से 14.6 प्रतिशत अधिक है।
- कुल आयोजनागत व्यय 45645.13 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें राजस्व व्यय 22806.98 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय 22838.15 करोड़ रुपये है।
- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत 9099.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- व्यय की नई मांगों के माध्यम से 4282.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर,

विभागवार उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों का विस्तृत उल्लेख मंत्रि-मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न अनुदानों को प्रस्तुत करते समय किया जायेगा। फिर भी, मैं बजट में सम्मिलित कुछ मुख्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय

हमारी सरकार का लक्ष्य ''सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय'' के सिद्धान्त पर चल कर समता मूलक समाज व्यवस्था स्थापित करना है। विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में काफी कार्य किया गया है, जिसे वर्ष 2010-2011 में भी पूर्ण निष्ठा के साथ जारी रखा जायेगा।

- प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हर गरीब परिवार, जिसे भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 कार्डों की संख्या न बढ़ाये जाने के कारण सस्ता खाद्यान्न नहीं मिल रहा है तथा अन्य कोई पेंशन भी प्राप्त नहीं हो रही है, को उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत 300 रुपये की मासिक अनुदान धनराशि पहुंचाकर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग

देने का निश्चय किया गया है। इस नई योजना के लिये वर्ष 2010-2011 के बजट में 402 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। फिर भी वित्तीय वर्ष 2010-2011 में सरकार द्वारा इस हेतु मुख्यतः स्वयं के संसाधनों से लगभग 1045 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे लगभग 2.20 करोड़ छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा।
- पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की बीमारी के इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की योजनान्तर्गत वर्ष 2010-2011 में 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है जिससे 99000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।
- विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से स्थापित डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्ष 2009-2010 से विशेष शिक्षा संकाय के 6 पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है। इस विश्वविद्यालय में कुल 8 संकाय एवं 29 विभाग बनाये जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2010-2011 में इस विश्वविद्यालय हेतु 93.81 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-2011 में लगभग तैंतीस लाख छात्र-छात्राओं को 221 करोड़ रुपये की धनराशि से लाभान्वित किये जाने की योजना है।
- दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 6.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत 12 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।
- अल्पसंख्यकों की लड़कियों के शैक्षिक विकास के लिये कन्या विद्यालय भवन निर्माण की योजना के अन्तर्गत 18 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में 75 लाख परिवारों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजनान्तर्गत बजट में राज्यांश के रूप में 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
- स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में चार लाख उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में 148.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।
- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 23 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है, जिससे नौ लाख उद्यमियों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

- बी0पी0एल0 परिवारों के लिये संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत 155.13 करोड़ रुपये की राज्यांश के रूप में बजट व्यवस्था की गई है।
- निर्बल आय वर्ग के आश्रयविहीन मछुआ परिवारों के लिये 2500 मछुआ आवासों का निर्माण एवं जल व्यवस्था हेतु 125 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।
- मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत 1.10 लाख मत्स्य-पालकों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

खाद्य एवं रसद

राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने के लिये कृत संकल्प है। इसके लिये सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की नियमित समीक्षा शासन स्तर पर की जा रही है।

जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे थोक एवं फुटकर भावों की निरन्तर समीक्षा करते हुए व्यापारियों से आवश्यक सहयोग लेकर मूल्यों पर नियंत्रण बनाये रखें।

जमाखोरी एवं कालाबाजारी की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु भी प्रभावी निर्देश जारी किये गये हैं।

आयातित सब्सिडाइज्ड मूंग, उरद व चना दाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कराई जा रही है। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो से बाजार से कम मूल्य पर अरहर दाल, चीनी आदि का वितरण कराया जा रहा है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में एक अतिरिक्त पीठ का गठन किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये 2.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

खरीफ विपणन वर्ष 2009-2010 हेतु धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 16 लाख टन तथा लेवी चावल का लक्ष्य 15 लाख टन है।

रबी विपणन वर्ष 2009-2010 में गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 32 लाख टन निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष 34.13 लाख टन की खरीद की गयी है। वर्ष 2010-2011 हेतु कार्यकारी लक्ष्य 32 लाख टन है।

महिला एवं बाल विकास

महिला निरक्षरता एवं प्रतिकूल लिंग अनुपात की समस्या से समाज पर पड़ने वाले कुप्रभाव के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों हेतु 4470 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में ढाई लाख बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने हेतु 360 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

अनपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को माइक्रोन्यूट्रिएन्ट फूड तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पका भोजन व सुबह का नाश्ता दिये जाने हेतु 2505 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना में 569 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति, खुले आश्रय, गृह, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेषीकृत यूनिट, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तरदायी बाल संरक्षण इकाई, राज्य बाल कल्याण इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह तथा राजदत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 73.42 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ऊर्जा

वर्ष 2010-2011 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु 7949.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये डा0 अम्बेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना आरम्भ कर पम्प सेटों को बिजली के अलग फीडर से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में बिजली की मांग में प्रतिवर्ष 8 से 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में सार्वजनिक निजी सहयोग के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों का मैं पूर्व में ही उल्लेख कर चुका हूं। सरकार द्वारा घोषित नई ऊर्जा नीति में उपरोक्त के दृष्टिगत व्यापक प्रावधान किये गये हैं।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की पारीछा विस्तार, हरदुआगंज विस्तार तथा अनपरा डी तापीय विद्युत परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनसे 2000 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता संभव हो सकेगी। इसके अतिरिक्त हरदुआगंज विस्तार (1×660 मेगावाट) तथा अनपरा ई (2×660 मेगावाट) परियोजना की स्थापना के लिए 240 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

निजी क्षेत्र में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना तथा रोजा एवं अनपरा सी तापीय विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया जा रहा है जिनसे 2123 मेगावाट विद्युत मिलने की आशा है।

संयुक्त क्षेत्र की मेजा तथा फतेहपुर तापीय विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 3320 मेगावाट विद्युत उत्पादित करने की योजना है।

विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत निकासी हेतु नई पारेषण क्षमता का सृजन तथा वर्तमान क्षमता में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-2011 में विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कराकर 18650 एम0वी0ए0 पारेषण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त 4090 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण भी कराया जायेगा।

वितरण व्यवस्था में सुधार के लिये वर्ष 2010-2011 में नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना, वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि 33 एवं 11 के0वी0 वितरण पोषकों का निर्माण, ए0बी0सी0 कन्डक्टर लगाना तथा औद्योगिक पोषकों को अलग करने की कार्य योजना है।

कृषि के विकास हेतु निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में 25 हजार निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के गैर-विद्युतीकृत 1.27 लाख मजरों के विद्युतीकरण के लिये 9226 करोड़ रुपये लागत की योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित की गई है।

सड़क एवं सेतु

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को 1424 करोड़ रुपये के 60 प्रस्ताव भेजे गये हैं, परन्तु अभी तक इन प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 में सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु 5808 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

स्टेट रोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण तथा अनुरक्षण के लिये 156 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1995-1996, 1997-1998, 2002-2003 तथा अप्रैल, 2003 से अगस्त, 2003 के मध्य चयनित असंतृप्त अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के निर्माण हेतु 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों तथा लघु पुलों के निर्माण हेतु 128.80 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है। इस धनराशि से 2050 किलोमीटर लम्बाई में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 900 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ा जायेगा।

नये पुलों के निर्माण हेतु 151.80 करोड़ रुपये एवं रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 18.40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

विभिन्न श्रेणी के मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 253 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली आवासीय कालोनियों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये 13.80 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

यातायात के निर्बाध संचालन हेतु शहरों के बाईपास के निर्माण के लिये 9.20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में लगभग 1.55 लाख किलोमीटर राज्य मार्गों तथा अन्य श्रेणी के मार्गों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु 1477.68 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की विशेष परियोजनाओं हेतु 318 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, सिंचाई, वनीकरण एवं भूमि सुधार व जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिये अलग से भी 1200 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई-

मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोनाओं हेतु 5485 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

विश्व बैंक सहायतित वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट हेतु 159.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु 718.73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों हेतु 1248 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

शारदा सहायक नहर प्रणाली के अन्तर्गत आजमगढ़ शाखा व शाहगंज शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना हेतु 4.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अर्जुन सहायक परियोजना तथा शारदा सहायक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। अर्जुन सहायक परियोजना के क्रियान्वयन से 61.02 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ेगी तथा शारदा सहायक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना के क्रियान्वयन से 782.62 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी।

वर्ष 2010-2011 में 729 नये राजकीय नलकूपों का निर्माण एवं 326 राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2010-2011 में प्रदेश के 39 पठारी/अर्द्ध पठारी विकास खण्डों में सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण की नयी योजना प्रारम्भ की जायेगी, जिसके अन्तर्गत 2705 सामुदायिक ब्लास्ट कूपों का निर्माण हो सकेगा। इसके लिये 110 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम हेतु 65 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है, जिससे 80 हजार निःशुल्क बोरिंग हो सकेगी।

निजी लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2.38 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य है।

कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-

कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों का विकास सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है। इस हेतु 4125.85 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

प्रदेश में वर्ष 2009-10 में 510.43 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध सूखा के बावजूद खरीफ में 126.43 लाख टन एवं रबी में 332.91 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होने का अनुमान है। तिलहन का उत्पादन 13.59 लाख टन अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष 2009-10 में खाद्यान्न का उत्पादन सूखे के बावजूद गत वर्ष के लगभग बराबर होने की आशा है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के विकास का लक्ष्य औसतन 5.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इसे ध्यान में रखते हुये वर्ष 2010-2011 में 524.11 लाख टन खाद्यान्न एवं 13.59 लाख टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों को आच्छादित करते हुये उन के समग्र विकास हेतु अवस्थापना सुदृढ़ीकरण, उन्नतशील तकनीक के प्रचार-प्रसार तथा जनपदीय कृषि योजनाओं के लिए 338 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में ऊसर, बीहड़, बंजर जलमग्न एवं गिरते भूजल स्तर की समस्या से ग्रसित भूमि का उपचार कर कृषि योग्य बनाने एवं उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित किसान हित योजना में वर्ष 2009-2010 में लगभग 46100 हेक्टेयर समस्याग्रस्त भूमि का उपचार अनुमानित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में कृषि निवेश के लिये 11.48 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। मृदा कार्यों हेतु आवश्यक व्यय मनरेगा से डवटेल किया जायेगा।

महत्वाकांक्षी सोडिक लैन्ड रिक्लेमेशन परियोजना, तृतीय के अन्तर्गत 6 वर्षों में प्रदेश के 25 जनपदों की 1.3 लाख हेक्टेयर ऊसर एवं 2 जनपदों की 5000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि का सुधार कर कृषि योग्य भूमि में विस्तार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में 20 हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये 122.96 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तवित है।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 में सूखा बाहुल्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 56,000 हेक्टेयर क्षेत्र एवं समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 58,000 हेक्टेयर समस्याग्रस्त क्षेत्र के उपचार का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त समेकित वाटरशैड प्रबन्धन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू किया जायेगा, जिसके प्रारम्भिक कार्यों हेतु 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में वर्षा जल संचयन एवं स्प्रिकंलर/ड्रिप सिंचाई के लिये 64,372 स्प्रिकलंर सेट एवं 5250 ड्रिप सिंचाई, कुल 69,622 सिंचाई प्रणाली की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

बुन्देलखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास हेतु बांदा में स्थापित किये जा रहे मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, कृषि उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हेतु 174.32 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

औद्यानिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना पेराई सत्र 2009-2010 के लिये घोषित राज्य परामर्शिता मूल्य गत वर्ष के सापेक्ष 25 रुपये प्रति कुन्तल अधिक है, जो एक अभूतपूर्व वृद्धि है। इससे गन्ना किसानों को गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 1100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी संभावित है।

किसानों तथा विशेष रूप से सहकारी समितियों के निर्बल वर्ग के सदस्यों को वर्ष 2009-2010 में 2600 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष नवम्बर 2009 तक 1726 करोड़ रुपये का

ऋण वितरित किया गया है जो गत वर्ष की इसी अवधि से 512 करोड़ रुपये अधिक है। दीर्घ-कालिक ऋण भी गत वर्ष के सापेक्ष 47 करोड़ रुपये अधिक वितरित हुआ है।

किसानों को उर्वरक की ससमय पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उर्वरक के अग्रिम भडारण की योजना को और प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु 75.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

खातेदार कृषकों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

भूमिहीन मजदूरों के लिये "आम आदमी बीमा योजना" के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

ग्राम्य विकास-

समेकित ग्राम्य विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में 5 लाख आवास का निर्माण कराए जाने का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में 348.60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

महामाया आवास योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है, जिससे 57,000 आवासों का निर्माण कराया जायेगा।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं के गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र बी0पी0एल0 आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु महामाया सर्वजन आवास योजना के लिये 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत 25,000 आवासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को 5962 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं परन्तु अभी तक एक भी वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2010-2011 में राज्यांश के रूप में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन के लिये मार्गों एवं लघु सेतुओं के पुनः निर्माण/चौड़ीकरण/जीर्णोद्धार/उच्चीकरण के कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत 635.58 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में लगभग एक लाख नये हैण्डपम्प, 90 हजार रिबोरिंग तथा 600 पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु 462 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 के लिये चयनित होने वाले डा0 अम्बेडकर ग्रामों में पर्यावरणीय स्वच्छता एवं आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सी0सी0 रोड और के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु 1242 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

सम्पूर्ण स्वचछता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु वर्ष 2010-2011 में बी0पी0एल0 परिवारों के लिये लगभग दो लाख सत्तर हजार तथा ए0पी0एल0 परिवारों के लिये लगभग तीस हजार, कुल तीन लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। शेष ग्रामों में बी0पी0एल0 परिवारों के लिये लगभग बारह लाख तथा ए0पी0एल0 परिवारों के लिये एक लाख बीस हजार, कुल तेरह लाख बीस हजार शौचालयों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों हेतु राज्यांश के रूप में 150 करोड़ रुपये तथा विशेष प्रोत्साहन के रूप में 88.20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में सामुदायिक हाल के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कुल चयनित 731 ग्रामों में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत आच्छादित सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हुए इन्हें संतृप्त किये जाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है।

वर्ष 2010-2011 में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु 406.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

शहरी अवस्थापना

मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के लिये 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है। योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 101000 आवास के लक्ष्य के सापेक्ष 94764 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। द्वितीय चरण में मांग के अनुसार आवासों का निर्माण कराया जायेगा।

अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के प्रयोजनार्थ निकायों को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत करने हेतु मान्यवर, श्री कांशीराम जी नगर विकास योजना के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

आदर्श नगर योजना हेतु 102.51 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

आगरा नगर की जलापूर्ति की समस्या के दीर्घकालीन निदान हेतु अपर गंगा कैनाल के पलरा (बुलन्दशहर) नामक स्थल से गंगा जल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु बाह्य सहायतित आगरा पेयजलापूर्ति योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु 456.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

पिलखुआ नगर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के चार कार्यांशों, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर गवर्नेन्स, बेसिक सर्विसेज फार अर्बन पुअर, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स तथा इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के लिए 2739.74 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

नगरीय सीवरेज कार्यक्रम के अन्तर्गत 120 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित 23 नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के लिये 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजलापूर्ति हेतु 180 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

बेसिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं।

शिक्षा की पहुंच में विस्तार करने हेतु असेवित बस्तियों में वर्ष 2010-2011 में 1000 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 1000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है।

बच्चों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित किये जाने हेतु विद्यालयों में वर्ष 2010-2011 में 10,000 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की बढोत्तरी किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 20,000 विद्यालयों में चहारदीवारी के निर्माण का लक्ष्य है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से 59000 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर तैनाती की जा चुकी है तथा 29000 शिक्षक प्रशिक्षणाधीन हैं, जिनकी तैनाती यथाशीघ्र विद्यालयों में की जायेगी।

सर्वशिक्षा अभियान हेतु 1600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु परिवर्तन लागत में वृद्धि की गई है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं के सृजन तथा विस्तार के साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने, छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा और कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा हेतु 6340.36 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में कक्षा-11 तथा कक्षा-12 की लगभग तीन लाख छात्राओं को लाभान्वित करने के लिये 421 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाई स्कूल की शिक्षा अधिकतम पांच किलोमीटर के अन्दर तथा इण्टर कालेज की शिक्षा अधिकतम सात से दस किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध कराये जाने का दीर्घकालीक लक्ष्य है।

सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम बार कम्प्यूटर-सहायतित शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में हाई स्कूल तथा इण्टर की छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिये दो करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

उच्च शिक्षा

राजकीय महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों हेतु 1947.27 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कुशीनगर, कांशीराम नगर, कन्नौज, मुफ्तीगंज (जौनपुर) एवं शाहगंज (जौनपुर) में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं असेवित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु नये अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये दस करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक अभिवृद्धि एवं विशिष्ट क्षेत्र में शोध कार्यों हेतु प्रदेश की विश्वविद्यालयों में "उत्कृष्टता केन्द्रों" को विकसित किये जाने के लिये 7.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

लखनऊ में अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य उर्दू, अरबी-फारसी भाषाओं का संवर्धन एवं अनुसंधान की सुविधायें प्रदान करना है।

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिये 641 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन हेतु जनपद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ बांदा एवं बिजनौर में आई0टी0 आधारित इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा ग्रेटर नोयडा में द्वितीय प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निकों व अनुदानित पालीटेक्निकों में सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना हेतु 5.96 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राजकीय पालीटेक्निकों में द्वितीय पाली में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी योजना लागू करने एवं ई-कनेक्टिविटी हेतु 1.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत 4758 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश सरकार के प्रयास से विगत वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार से चिकित्सकों की चिकित्सालय पर नियमित उपस्थिति तथा चिकित्सीय उपकरणों की क्रियाशीलता में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2007-08 के सापेक्ष वर्ष 2009-2010 में नवम्बर, 2009 तक बाह्य एवं अन्तः रोगियों की संख्या में दोगुने से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा

संस्तुत लगभग साढ़े नौ सौ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही गतिमान है।

शहरी चिकित्सालयों के नवीनीकरण हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है। विभिन्न चिकित्सालयों के उपकरणों हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। औषधि तथा रसायन के लिए 299 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के पूर्वांचल में इन्सेफ्लाइटिस से बचाव हेतु 34 जनपदों के 01 से 15 आयु के 3.50 करोड़ बच्चों को टीका लगाकर सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में एच-1 एन-1 टाईप-ए इन्फ्लुएन्जा की जांच हेतु 73 चिकित्सालयों द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है तथा जांच हेतु तीन प्रयोगशालायें कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ-मृत्यु दर में कमी लाने के लिये जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 375 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग के नागरिकों हेतु आरोग्य निधि की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गयी है। प्रत्येक जनपद के सभी विकास खण्ड स्तरीय चिकित्सालयों पर प्रत्येक माह दो दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर आयोजित कर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें एवं जन स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारियां भी प्रदान की जा रही हैं।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा हेतु 2015.34 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा संस्थानों में प्रत्येक वर्ष 2.50 लाख अन्तः रोगी तथा बाह्य रोगी विभाग में लगभग 30 लाख रोगियों का चिकित्सा उपचार किया जा रहा है।

निर्माणाधीन राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बांदा एवं सहारनपुर तथा पैरामेडिकल कालेज, झांसी हेतु 252 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ हेतु 85 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

वर्ष 2010-2011 में प्रदेश के आठ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों एवं दो यूनानी मेडिकल कालेजों में सी0सी0आई0एम0 के मानकों के अनुसार समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा (बांदा) तथा वाराणसी के भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

यूनानी विधा को प्रोत्साहित करने के लिये पृथक से यूनानी निदेशालय की स्थापना की गई है।

होम्योपैथी चिकित्सा हेतु 183.34 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

निर्माणाधीन दो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के भवन निर्माण के लिए 8.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक विकास

प्रदेश सरकार उद्योगों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिये प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में मध्यम एवं वृहद उद्योगों की स्थापना हेतु मार्च, 2009 तक 6884 आशय पत्र/इच्छा पत्र जारी किये गये हैं जिनमें से 2790 क्रियान्वित हो चुके हैं। फलस्वरूप लगभग 58,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश सुनिश्चित हुआ है एवं लगभग 4,75,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने एवं अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने हेतु प्रथम चरण में 18 जिलों में निवेश मित्र व्यवस्था लागू की गई है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी।

उद्योग स्थापना में सहयोगात्मक वातावरण सृजित करने के साथ-साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये ब्याज रहित ऋण प्रदान करने की योजना लागू की गई है।

वर्ष 2010-2011 में 247.68 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से 9500 ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना कराई जायेगी जिससे लगभग 82000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

प्रदेश में लगभग 6.64 लाख बुनकर एवं 2.24 लाख करघे हैं। वित्तीय वर्ष 2010-2011 में 25 हजार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है तथा हथकरघा वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य 64 करोड़ मीटर है।

सूचना प्रौद्योगिकी

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को समस्त शासकीय सेवायें यथा-जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आदि उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराये जाने हेतु 18000 गांवों में जनसेवा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इससे ग्रामीणों को इन सेवाओं के लिये शहर नहीं आना पड़ेगा।

प्रदेश के छः जनपदों में ''ई-डिस्ट्रिक्ट'' परियोजना प्रायोगिक तौर पर संचालित की गयी है जिसमें जन सामान्य को एक ही स्थान पर ''इलेक्ट्रानिक डिलीवरी'' के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवायें प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2010-2011 में यह परियोजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किये जाने का कार्यक्रम है।

शहरी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिये ''स्मार्ट सिटी परियोजना'' के अन्तर्गत लखनऊ में 35 ''ई-सुविधा'' केन्द्रों की स्थापना की गयी है जहां विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान किया जा सकता है। वर्ष 2010-2011 में इस योजना को कतिपय अन्य जनपदों में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिये वर्ष 2009-10 में 93,111 हेक्टेयर भूमि में 9.18 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में 4.15 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों जैसे नीम, इमली व बेल को वरीयता दी जा रही है।

प्रदेश में वनावरण जो वर्ष 2005 में 5.86 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2009 में 5.95 प्रतिशत हो गया है।

पर्यावरण के सुधार एवं जनमानस में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यतः पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी विविध कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

पर्यटन

विविधतापूर्ण पर्यटक स्थलों एवं समय-समय पर सम्पन्न होने वाले मेले-महोत्सवों के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

बौद्ध परिपथ के विकास हेतु कुशीनगर में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना का उल्लेख मैं पूर्व में ही कर चुका हूं। जापान सरकार द्वारा सहायतित 386 करोड़ रुपये की बौद्ध परिपथ विकास की द्वितीय चरण की परियोजना लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं सारनाथ में जलापूर्ति, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ-साथ कोल्हुई-हाटा मार्ग एवं बहराइच बाईपास का निर्माण किया जाना भी आच्छादित है।

राजस्व

प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 77 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

आपदा राहत निधि से व्यय हेतु 332.75 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु पांच करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2010-2011 में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये तीन करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज स्थापित किया गया है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभिन्न अपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल पूरी तरह बना हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या नक्सलवादी अथवा आतंकवादी घटनायें आदि नहीं घटित हुई है।

नक्सलवादी या आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिये हमारा अभिसूचना तंत्र पूर्णतः सजग है। आतंकवाद निरोधक दस्ता, स्पेशल टास्क फोर्स तथा अभिसूचना तंत्र के समन्वय से स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है और इन पुलिस इकाईयों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी थानों का उच्चीकरण तथा थानों में पुलिस बल के नियतन में काफी अधिक बढ़ोत्तरी करने के निर्णय के अनुपालन में पुलिस बल में दो लाख से अधिक नये पद सृजित किये जा चुके हैं। इन नवसृजित पदों के सापेक्ष भर्ती पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से आरम्भ कर दी गयी है। प्रथम चरण में 35000 पुलिस आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। शेष पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जायेगा।

सभी थानों, जनपद मुख्यालयों को प्रदेश मुख्यालय से कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिये सी0सी0टी0एन0एस0 योजना लागू की गई है।

प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को स्टेट-आफ-आर्ट प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित किया जायेगा।

प्रदेश की यातायात व्यवस्था चुस्त दुरूस्त करने के लिये उत्तर प्रदेश यातायात प्रबन्धन निधि की स्थापना की गयी है। इस निधि में व्यवस्थित धनराशि से पुलिस की यातायात इकाईयों को प्रवर्तन सम्बन्धी संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे और आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

आतंकवाद निरोधक दल के कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण/विस्तार हेतु 70 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

न्याय

न्याय प्रशासन के लिए 1204.93 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

न्यायालयों के आवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये बी बजट व्यवस्था है।

प्रदेश में नये न्यायालयों की स्थापना के लिये भूमि के अधिग्रहण हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई हेतु अट्ठाईस नये न्यायालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में 155 अस्थायी जिला एवं सत्र न्यायालयों को स्थायी किया गया है।

जनगणना

दस वर्ष के अन्तराल के बाद वर्ष 2011 में होने वाली जनगणना के लिये 289.39 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

कर्मचारी कल्याण

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों तथा राज्य

पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते स्वीकृत करने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है तथा इस मामले में उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी प्रदेशों में है।

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को एवं कार्यप्रभारित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ प्रदान करने के साथ-साथ राजकीय कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था लागू की गई है।

राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की पेंशन को और उदार बनयते हुये पुनरीक्षित पेंशन का लाभ दिया गया है। कर्मचारियों/पेंशनरों के हित में उठाये गये इन कदमों से प्रदेश शासन पर काफी अधिक व्ययभार पड़ा प्रबन्धन में सुधार तथा मितव्ययिता के उपाये किये गये हैं।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्री कर, मनोरंजन कर, भू-राजस्व आदि की वसूली होती है।

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के राजास्व संग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश में मूल्य सम्वर्द्धित कर (वैट) लागू होने के बाद कर राजस्व में आशातीत वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार द्वारा वैट की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा कम्प्यूटीकरण करने के साथ-साथ विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को युक्तिसंगत करने का प्रयास किया गया है।

वाणिज्य कर के लिए वर्ष 2009-2010 के पुनरीक्षित अनुमान 21963.85 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2010-2011 में 26978.34 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लिया गया है।

राज्य उत्पाद शुल्क

राज्य उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत वर्ष 2009-2010 के पुनरीक्षित अनुमान 5695.31 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2010-2011 में 6763.23 करोड़ रुपये के प्राप्ति के अनुमान लिये गये हैं।

स्टाम्प एवं निबन्धन

स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से 5736.99 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

परिवहन

परिवहन आयुक्त संगठन के सभी 73 कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण हो चुका है, जिसके माध्यम से वाहन सॉफ्ट वेयर संचालित कर वाहनों का पंजीयन, स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं कराधान सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।

नये प्रस्तावित कार्य के रूप में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाईसेन्स प्रदेश के समस्त 72 सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों द्वारा निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वाहन कर एवं माल तथा यात्रीकर से प्राप्ति हेतु 2089.90 करोड़ रुपये का अनुमान लिया गया है।

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2010-2011 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

प्राप्तियां

- वर्ष 2010-2011 में 144177.27 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 111620.61 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा 32556.66 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2010-2011 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 77823.09 करोड़ रुपये है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 35517.22 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

व्यय

- वर्ष 2010-2011 में कुल व्यय 153199.38 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- कुल व्यय में 111066.21 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 42133.17 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।
- वर्ष 2010-2011 के बजट में 45645.13 करोड़ रुपये आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2010-2011 में घाटा 9022.11 करोड़ रुपये अनुमानित है।

राजस्व बचत

वर्ष 2010-2011 में 544.40 करोड़ रुपये की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

वर्ष 2010-2011 में 22742.49 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है।

लोक लेखे से समायोजन

वर्ष 2010-2011 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये 7002 करोड़ रुपये लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2010-2011 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम (-) 2020.11 करोड़ रुपये अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2010-2011 में प्रारम्भिक शेष 3433.79 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 1413.68 करोड़ रुपये होना अनुमानित है।

मान्यवर, मैं माननीया मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके कृपापूर्ण मार्गदर्शन में बजट तैयार किया गया।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं।

मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री मनजीत सिंह और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2010-2011 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूं।

बजट प्रस्तुतीकरण में सदन के सहयोग पर आभार प्रदर्शन

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने सबको धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया। मैं भी इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि एक घन्टा 5 मिनट के अपने उबाऊ, निरर्थक बजट भाषण को धाराप्रवाह इन्होंने पढ़ा, प्रदेश के लिए तो इन्होंने कुछ इसमें किया नहीं, किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, बधाई दे रहा हूं मान्यवर, मैं इनको कि बहुत धारा प्रवाह पढ़ा लेकिन बिलकुल एकदम निरर्थक उबाऊ है।

(श्री अम्बिका चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसमें क्या है, जब चर्चा होगी तो कहियेगा।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसमें तो चर्चा का पूरा अवसर मिलेगा। उस समय पूछेंगे तो उस समय मैं बात का जवाब दे दूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं तकनीकी बात रख रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का, माननीय नेता सदन का, माननीय नेता प्रतिपक्ष का, आपका और सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमें प्रस्तुत करने में सहयोग किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, उसमें बाध्यता है कि सरकार बजट रखते समय जिन प्राविधानों का उल्लेख करेगी उनका उल्लेख इन्होंने नहीं किया यह मैं आपसे यह बात कह रहा हूं कोई आलोचना मैं नही कर रहा हूं। श्रीमन् इस सदन में बजट प्रस्तुत करते समय उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम-2004 में जो प्राविधान दिये गये हैं वह बाध्यकारी हैं सरकार पर कि बजट प्रबन्धन के समय, बजट भाषण के समय उनको रखने का काम करेंगे, इन्होंने नहीं रखा इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। बाद में बता देंगे, आप बैठें।

आज की कार्य-सूची की मद संख्या-12 को पहले लिए जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय वित्त मंत्री जी के अनुरोध पर, इनको अपने कुछ कामों से जाना है, इसलिए मैं मद संख्या-12 ले रहा हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 फरवरी, 2010 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 04 फरवरी, 2010 से 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 4 फरवरी, 2010 को केवल नियम 51 व 301 के अन्तर्गत सूचनायें ली जायं।

2-दिनांक 4 फरवरी, 2010 को नियम 103 के अन्तर्गत श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा का प्रस्ताव न लिया जाय।

3-दिनांक 5 फरवरी, 2010 को सदन का उपवेशन न हो।

4-दिनांक 5 फरवरी, 2010 हेतु निर्धारित समस्त कार्य दिनांक 4 फरवरी, 2010 को ले लिये जायं।

5-दिनांक 17, 18, 19 फरवरी, 2010 को सदन के उपवेशन न हों।

6-दिनांक 04 फरवरी, 2010 से दिनांक 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय।

फरवरी, 2010

04 गुरुवार **1-11.00 बजे पूर्वाह्न**

(क) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।

फरवरी, 2010

(ख) वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।

2-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 पर विचार एवं उसका पारण।

4-असरकारी दिवस (आधा दिन) (29 जनवरी, 2010 के स्थान पर)।

5-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाया जाय।"

6-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया जाय।"

7-डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री शम्भू चौधरी एवं श्री बजरंग बहादुर सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के सभी स्कूलों एवं कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाय।"

8-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राज्य मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय।"

फरवरी, 2010

9-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करें।"

10-डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिये आगरा विकास प्राधिकरण एवं आगरा विकास परिषद् द्वारा किसानों की खेती योग्य उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगायी जाय।"

11-डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय।"

05 शुक्रवार
06 शनिवार } बैठक नहीं होगी।
07 रविवार

08 सोमवार
09 मंगलवार } वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
10 बुधवार

11 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-विधायी कार्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फरवरी, 2010

12 शुक्रवार 13 शनिवार 14 रविवार	(महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
15 सोमवार 16 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
23 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। **2-3.00 बजे अपरान्ह** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
24 बुधवार	1-असरकारी दिवस। 2-विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आज की कार्य-सूची की मद संख्या-13 व 14 को बाद में लिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 व 14 को बाद में लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जवाहर लाल नेहरु नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन की प्रदेश स्तर पर गठित समिति में क्षेत्र में होने वाले कार्यों का चिन्हीकरण एवं प्रस्ताव से सम्बन्धित क्षेत्रों के विधायकों की भागीदारी भी सुनिश्चित किये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2009 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

(मद संख्या-15 पुकारे जाने पर श्री सतीश महाना, माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष-

उपरोक्त संकल्प माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत माना जायेगा।

प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक श्री मदन भैया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, श्री मदन भैया का इस संकल्प को स्थगित करने का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है इसलिये इसे स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाए जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

*श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाया जाय।"

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कमी है तथा सदन में आये दिन इस बात की चर्चा चलती रहती है कि विद्युत की कमी के कारण न तो उद्योग लग पा रहे हैं न ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत की समस्या का समाधान हो पा रहा है। इस पर बहुत बार विधानसभा में प्रश्न भी आते हैं। मान्यवर, सौर ऊर्जा को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी में सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में श्रेणीबद्ध करते हैं जबकि मान्यवर, यह नेचुरल ऊर्जा है और इसका उपयोग करने से, इसको बढ़ावा देने से निश्चित रूप से जो विद्युत की समस्या है उसका निदान हो सकता है। मान्यवर, अभी बीच में अखबारों में केन्द्र सरकार की बातें आई और वहां से भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये कई बार स्टेटमेंट्स भी आये। मान्यवर, मेरा पहला तो कथन यह है कि सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा न कहकर बल्कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनाये जाने और मुख्य ऊर्जा का स्रोत श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता है। मान्यवर,नये विद्युत सब स्टेशन खोलने की बात चलती है लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत की समस्या हमारे प्रदेश में निरन्तर बनी हुयी है जिसका समाधान हो नहीं पा रहा है। मान्यवर, सौर ऊर्जा के उपकरणों के सम्बन्ध में हम लोगों को सी0डी0ओ0, इलाहाबाद के यहां से एक पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने उसमें कहा है कि सौर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊर्जा के उपकण लगाने के लिये विधायक निधि से भी आप लोग प्रस्ताव करके धन दें। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में मान्यवर, स्ट्रीट लाइटें सौर ऊर्जा की लगवाई है और विगत दो वर्षों से मैं उसको देख रहा हूं, वह पूर्णतः सफल हैं। मान्यवर, जो सरकारी स्ट्रीट लाइटें कस्बों में, शहरों में और सब जगह लगी है, मुझे भी कई बार और दूसरे सदस्यों को भी यह देखने को मिलता है कि सुबह के दस बजे, ग्यारह बजे तक वह स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं और उसको स्विचआफ करने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, एक तो विद्युत की कमी प्रदेश में है और उस पर इस प्रकार की लापरवाहियां भी होती हैं।

मान्यवर, स्ट्रीट लाइटें अगर सौर ऊर्जा की लगवा दी जायें तो उसका एक फिक्स समय है। मान्यवर, शाम के समय जब रोशनी इतनी कम हो जाती है तो वह अपने आप आन हो जाती है और सुबह के समय में वह अपने बंद हो जाती है। मान्यवर, मेरा प्रस्ताव यह है कि विद्युत की समस्या से समाधान पाने के लिये हमें वैकल्पिक ऊर्जा न कहकर उसको मुख्य स्रोत बनाकर प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिये इससे हमारे प्रदेश में ऊर्जा की जो कमी है, सम्भवतः हम उससे निजात पा जायें। मान्यवर, पवन ऊर्जा भी नेचुरल ऊर्जा की श्रेणी में है यह सारी ऐसी नेचुरल ऊर्जायें हैं जिनका उपयोग करके हम कम से कम उत्तर प्रदेश में विद्युत की समस्या का समाधान भारी मात्रा में कर सकते हैं। मान्यवर, मैंने अपने क्षेत्र में अभी एक ऊर्जा पार्क की स्थापना भी करवाई है। विद्यार्थियों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसके प्रति सचेत भी करना पड़ेगा। अभी पिछले कुछ दिनों में एक बात आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं वहां सोडियम लाइट की भी व्यवस्था करायी जा रही है। मान्यवर, हम सोडियम लाइट की व्यवस्था कर देंगे लेकिन उसके रख-रखाव के खर्च पर हमने विचार नहीं किया। क्योंकि एक बार सोडियम लाइट अगर फ्यूज हो गयी तो दोबारा लगवा पाना बड़ा कठिन काम होता है। मैं तो सरकार से यह भी अनुरोध करुंगा कि जो आप सोडियम लाइट ग्रामीण क्षेत्रों में लगवाने की बात करते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह बात आयी कि उसे परिवर्तित करके सौर ऊर्जा की लाइटें लगवायेंगे तो मेरा ख्याल है कि रख-रखाव में कमी आयेगी और ज्यादा खर्च नहीं आयेगा और जो समाधान चाहते हैं उस समाधान को भी प्राप्त कर लेंगे।

मान्यवर, बोरिंग में कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लाइनें लगती हैं कि किसी प्रकार से निःशुल्क बोरिंग लग जाय या अनुदान सहित बोरिंग हो जाए और उसके बाद बिजली के कनेक्शन के लिए मारामारी रहती है। कहीं ट्रान्सफार्मर की भारी कमी, कहीं किसी चीज की भारी कमी। बोरिंग के प्रस्ताव और बजट में भी आया है कि बोरिंग निःशुल्क करायी जायेगी और पेयजल की समस्या व सिंचाई की समस्या का समाधान इससे किया जायेगा। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के पहले चाका एक जगह पड़ती है जो मेरे विधान क्षेत्र में नहीं लेकिन दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र, इलाहाबाद में आती है। वहां एक पूर्व अधिकारी है सी0 एल0 मिश्र जी, उन्होंने बोरिंग करवा रखी है और सौर ऊर्जा से उस बोरिंग को चलाते हैं उसमें विद्युत की जरूरत नहीं है बल्कि सौर ऊर्जा के माध्यम से चलाते हैं और निरन्तर वह बोरिंग काम कर रही है, खेतों में उनके पानी जा रहा है और उसका वह उपयोग भी कर रहे हैं। मान्यवर, बिजली का उत्पादन जो सौर ऊर्जा के माध्यम से होता, उसको

बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं उनकी समस्या का समाधान भी कर रहा हूं और मा0 ऊर्जा मंत्री जी को जो आये दिन विधान सभा में सुननी पड़ती है कि विद्युत की कमी है इससे भी निजात मिल सकती है। मान्यवर, जैसे अपने प्रदेश में पेट्रोल पम्प हैं, पेट्रोल पम्प में पेट्रोल की मशीन का जो पम्प चलता है गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, उसके लिए बहुत पड़ी क्षमता की आवश्यकता नहीं है कि उसमें इस विद्युत की आवश्यकता हो तब चले। मान्यवर, सारे पेट्रोल पम्पों पर इसकी व्यवस्था करा दी जाए, आफिसों में करा दी जाए, स्ट्रीट लाइटों को सौर ऊर्जा की स्ट्रीट लाइटें करा दें तो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में विद्युत की समस्या का समाधान हो पायेगा। पिछले सत्र में भी इस विषय पर चर्चा करते हुए मैंने अनेकों बातें कही थीं, उसी से अपनी इस बात को भी जोड़ते हुए निश्चित रूप से यह प्रस्ताव करने की आवश्यकता है कि विद्युत की समस्या से निजात पाने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो हमारी नेचुरल ऊर्जायें हैं उनका उपयोग करके हम अनिश्चित रूप से अपने प्रदेश में किसी भी दृष्टि से विद्युत की समस्या का समाधान पा सकते हैं। कई बार इस प्रकार की स्थितियां आती हैं कि गांवों में महीनों बिजली गायब है, कहीं तार टूट गया, ट्रांसफार्मर जल गया तो ट्रांसफार्मर बदलने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहां तक कि कई बार हम लोगों को भी ट्रांसफार्मर के लिए 10-15 बार टेलीफोन करके और गांव में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था के लिए इन्जीनियर्स को सहेजना पड़ता है।

मान्यवर, अगर हम वैकल्पिक ऊर्जा न मान करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इन सब ऊर्जाओं को जो मुख्य ऊर्जा के स्रोत की श्रेणी दे दें तो निश्चित रूप से विद्युत की आपूर्ति जो हमारे प्रदेश में बाधित है उससे हमें निजात मिलेगी। सरकारी कार्यालयों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कई जगह पर मैंने देखा है कि जो वाटर हीटर है उसको सौर ऊर्जा के माध्यम से चलाया जाता है। ये छोटी-छोटी इकाईयां हैं इनको सौर ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव पारित करें कम से कम हम पूरे देश की बात नहीं करते लेकिन अपने प्रदेश में हम इसको मुख्य ऊर्जा का स्रोत मान करके, मान्यवर, यह कभी न खतम होने वाली ऊर्जा है, सूर्य की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी और खत्म हो गयी तो सृष्टि भी समाप्त हो जायेगी। तो मान्यवर, इसको मुख्य ऊर्जा का स्रोत मान करके प्रदेश में इसको बढ़ावा दें तो निश्चित रूप से विद्युत की जो समस्या है उसका व्यापक समाधान प्राप्त होगा। यह प्रस्ताव करने की आवश्यकता है और इसको मुख्य स्रोत मानने की आवश्यकता है ताकि हम विद्युत की कमी से प्रदेश को उबार सकें।

हम इसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में मानकर कार्य कर सकें मैंने सदन में चर्चा के दौरान पूर्व में अपनी बात कही थी इसलिए मैं उनका रिपिटीशन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व अन्य जो नेचुरल ऊर्जाएं हैं उनको मुख्य स्रोत मानकर इनका कैटागराइज करें इन्हें अपने प्रदेश में बढ़ावा दें। सौर ऊर्जा उपकरणों में जो अनुदान प्राप्त होता है वह केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है उन अनुदान को बढ़ावा देने की नीति की आवश्यकता है। जो सब्सिडी दी जाती है वह केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है इसमें प्रदेश सरकार अगर उसको सब्सिडाइज करके इसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में मानने का काम करे। मैं यह प्रस्ताव करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वह सदन में कहें और

इसको स्वीकार करें। यह मुख्य स्रोत माना जाय व सब्सिडी बढ़ाकर अपने प्रदेश में विद्युत समस्या का निराकरण कर सकें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस संकल्प पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं श्री उदयभान करवरिया जी को जिन्होंने प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या के समाधान की किरण दिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में जो भी अभी तक कार्य हुए हैं उसको पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। दुनियां में इजराइल में वेस्ट जर्मनी में अमेरिका में और हिन्दुस्तान में जहां तक मेरी जानकारी है आन्ध्र प्रदेश ने इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्रगति की है, उल्लेखनीय काम किया है। सोलर लाइट की कास्ट अगर कम हो जाय तो मैं समझता हूं कि यह आम आदमी की जरूरत का सबसे बड़ा माध्यम बन सकती है और वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में इसको लोग स्वीकार कर सकते हैं। जब तक कीमत कम नहीं होती तब तक यह आम आदमी के उपयोग के लिए सम्भव नहीं है। हम एक छोटी सी लैन्टर्न लेते हैं तो उसकी कीमत चार हजार रुपए है। केन्द्र सरकार ने पहले इसके ऊपर 1800 रुपए की सब्सिडी घोषित की थी लेकिन मान्यवर, इस समय सब्सिडाइज रेट के ऊपर वह लैन्टर्न मिलती है। जहां तक सोलर लाइट का सवाल है ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में दोनों जगह कीमतें इतनी ज्यादा है कि इकोनामिकली वायबिल न होने के कारण इस्तेमाल नहीं हो पाती। अगर सरकार उत्तर प्रदेश में कम से कम एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करे क्योंकि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा सूरज की धूप का क्षेत्र झां ी ललितपुर के पास अनुसन्धान केन्द्र स्थापित हो सकता है इसमें बहुत खोज हो सकती है इसके ।ड्यूल्स की कीमत कैसे कम की जाय। मैं जब सरकार में नियोजन मंत्री था तो मेरी इजराइल के लोगों से काफी बात-चीत हुई थी और वह बात काफी आगे बढ़ी थी वह मैटीरियलाइज इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मेरी सरकार चली गई। एन0आई0आर0डी0 हैदराबाद ने इस सम्बन्ध में काफी काम किया है। उन्होंने कास्ट को काफी मिनिमाइज किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहता हूं कि सोलर इनर्जी के सम्बन्ध में जिन प्रदेशों ने जिन कंट्रीज ने विशेष रूप से माड्यूल्स की कीमत कम करने के सम्बन्ध में रिसर्च की है उसको मंत्री जी मंगवा लें और आन्ध्र प्रदेश के साथ बैठक कर लें वहां के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के अधिकारी बैठक कर लें तो निश्चित रूप से इसका सार्थक परिणाम आएगा। तीसरी बात जब तक हम इसकी कास्ट को कम नहीं कर सकेंगे तब तक उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से सब्सिडी देनी चाहिए और केन्द्र सरकार से विशेष रूप से इसके लिए सब्सिडी का अनुरोध करना चाहिए।

क्योंकि अगर यह इकोनॉमिकल वॉयबिल हो जाय तो मैं समझता हूं कि बिजली की समस्या नहीं होगी। बिजली की समस्या नहीं होगी तो प्रदेश में डेवलपमेन्ट ऑटोमेटिक होगा। मान्यवर, आपने चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं माननीय उदयभान करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर संकल्प लाया गया है और प्रायः इसी सदन में विद्युत के अभाव और विद्युत की आपूर्ति पर बहुत गरमा-गरम बहस हुआ करती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहां सूर्य की जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह बहुत कम जगहों पर इतनी ज्यादा सूर्य की कृपा लोगों को प्राप्त है, लेकिन फिर भी हम उसका सही तरीके से जो सदुपयोग होना चाहिए उसको वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा यह दो प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे विद्युत की आपूर्ति हम ले सकते हैं और विद्युत के बहुत से समस्याओं से हम काफी कुछ अपने रोजमर्रा की चीजों को इससे निपटा सकते हैं लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जितना ध्यान जितना दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है जितना कि दूसरे प्रदेशों में दिया जा रहा है। अभी हम लोगों की लोक लेखा समिति की टीम गई थी आन्ध्रा और तमिलनाडु वगैरह में। वहां पर पवन चक्कियों से इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा हासिल की जा रही है हमारे प्रदेश में कहीं पर भी यह देखने को नहीं मिलता है और वहीं पर जो वैकल्पिक ऊर्जा विभाग है, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के द्वारा जो आम लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो सब्सिडी देने की आवश्यकता है वह नहीं किया जा रहा है। जैसा कि स्ट्रीट लाइट के बारे में कहा गया, स्ट्रीट लाइटों का रख-रखाव ठीक से किया जाय तो सोडियम लाइट के साथ जिस तरह की व्यवस्था है कि अन्धेरा होने के साथ वह जलेगी और सबेरे के वक्त तक वह लाइट बुझ जायेगी। जबकि इतनी बिजली की कमी के बावजूद जगह-जगह देखा जाता है कि सड़कों में बड़ी-बड़ी क्षमता के बल्ब जलते रहते हैं और उनको बंद करने वाला और उसके रोस्टर को पालन करने वाले लोग भी नहीं रहते हैं। लेकिन उदासीनता का आलम यह है कि संकल्प के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं। हालांकि इस तरफ केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये उल्लेख करना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर में मेरी जानकारी है व्यक्तिगत तौर पर कि सैकड़ों लोगों ने सोलर लाइट के लिये पैसा 3/4 साल पहले जमा कराया और पैसा जमा करने के बावजूद उन लोगों को सोलर लाइट आज की तारीख तक उपलब्ध नहीं कराई। कहां तो सरकार को स्वतः इस बात को प्रोत्साहित करना चाहिए, वैकल्पिक ऊर्जा के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, स्वीकार्यता बढ़े वैकल्पिक ऊर्जा के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन पर गर्वनमेंट ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दे जिससे कि बिजली के ऊपर कम भार पड़े। यह करना तो दूर, अगर कोई आगे बढ़कर लेना चाहता है तो उसको भी वह सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहां पहले भी मैंने कही थी एक बात माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं और इसके प्रति माननीय ऊर्जा मंत्री जी की चिन्ता ज्यादा होनी चाहिए और इनकी तरफ से प्रयास ज्यादा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार को लिखना चाहिए कि जो सौर ऊर्जा से सम्बन्धित, जो भी उसके सामान है वह ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया जाए। आपने पहले भी एक बार कहा था कि बगास से हम 600 मेगावाट बिजली उत्पादित करेंगे। लेकिन बगास का इस्तेमाल, मैं नहीं समझता कि उस

दिशा में किसी भी तरह की उपलब्धि हो पाई है, इसलिए इस गम्भीर विषय पर सदन को चिन्ता प्रकट करनी चाहिए और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से, सरकार से, यह निवेदन करूंगा कि सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जिससे विद्युत की आपूर्ति की कमी को पूरा किया जा सके। इसी के साथ मैं इस संकल्प पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मदन चौहान जी, थोड़े समय में कह दीजिए।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो संकल्प ऊर्जा के सम्बन्ध में दिया गया है यह वास्तव में आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मान्यवर, जिस तरह से, गांव से लेकर शहर तक, हम लोगों का विकास निर्भर करता है ऊर्जा पर, लेकिन हमारी पूर्ति बिल्कुल नगण्य होती जा रही है। चाहे किसान हो, चाहे छात्र हों चाहे व्यापारी हों, चाहे गांव का व्यक्ति हों, चाहे मजदूर हों, सबका विकास आज ऊर्जा पर निर्भर है और ऊर्जा के बड़े-बड़े प्रोजेक्टर लगाना सरकार के बूते से बाहर होता जा रहा है उस दृष्टि से यह जो संकल्प को लाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और वास्तव में सौर ऊर्जा और गांव में पवन ऊर्जा से जो पानी निकालने की प्रक्रिया है उसी तरह से अगर बगास के द्वारा जिसको खोई कहते हैं अगर उसके द्वारा शुगर मिल बिजली बनाये तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वह अपने क्षेत्रों में अपने जिले में ऊर्जा की सप्लाई कर सकते हैं। मान्यवर, आज इस सौर ऊर्जा के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, ग्रामों के लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है दूसरी तरफ मंहगें इसके उपकरण हैं उससे भी लोग दूर हटते चले जाते हैं। जिस तरह से केन्द्र सरकार की जो स्कीमें हैं उनको और आगे बढ़ाते हुए, और राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में उसको प्रोत्साहन दें और उसकी जानकारी शहर से लेकर आम आदमी को मिले तो वह सौर ऊर्जा को अपनाने का काम करेगा, मैं इस संकल्प पर बल देते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा चाहे सौर ऊर्जा हो चाहे पवन ऊर्जा हो चाहें मिलों से बनाने वाली खोई से ऊर्जा हो उस पर बल दिया जाएगा तो हमारी जो विकास दर है, हमारी जो सम्पन्नता है, हमारा जो उत्पादन है वह आगे बढ़ेगा और हमारे छात्र से लेकर व्यापारी सब विकास के रास्ते पर चलेंगे इसी के साथ मैं इस संकल्प पर बल देना चाहता हूं।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आज उत्तर प्रदेश में जहां विद्युत की सबसे ज्यादा परेशानी है, बिजली की बहुत बड़ी परेशानी है ऐसी स्थिति में मान्यवर, सौर ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उस पर अगर सरकार चिन्तन और मनन कर, सरकार उस पर अपनी नीति निर्धारित करे उसके सम्बन्ध में दो बात बताना चाहता हूं। अधिकतर पीक आवर में स्ट्रीट लाइट की जब आवश्यकता होती है, शहरों में लाइट की आवश्यकता होती है, गलियों और चौराहों में लाइट की आवश्यकता होती है, तो उस समय विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण सारे शहर अंधेरे में चले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार अपने स्रोतों से, चूंकि नगर पालिका, नगर महापालिका और अन्य सारी की सारी व्यवस्था का भुगतान सरकार को अपने साधनों से करना होता है, अगर उन जगहों पर सौर ऊर्जा के द्वारा स्ट्रीट लैम्प लगाने का काम किया जाए तो मान्यवर, यह प्रदेश के लिए, अलग तरह से उपलब्धि के रूप में होगा। इसी के साथ-साथ मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर हर गांव में एक, दो या तीन मुख्य बिन्दुओं पर सरकार अपने संसाधन के द्वारा सौर लैम्प लगवाने का काम करेगी तो रात्रि के समय गांव में होने वाली चोरी-डकैती में कमी होगी और आने जाने वालों को सुविधा मिलने का काम होगा।

इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, मा0 ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, सरकार ऊर्जा में भारी सब्सिडी देने का काम कर रही है, दूसरे क्षेत्रों से मंहगी से मंहगी बिजली खरीद कर और प्रदेश सरकार को कम मूल्य पर सब्सिडी देते हुए विद्युत देने का काम किया जा रहा है, उन हालत में अगर सौर ऊर्जा के लैम्प और उपकरणों पर और इनकी सारी की सारी सामग्रियों पर जिस प्रकार केन्द्र सरकार एक अंश के रूप में सब्सिडी देने का काम करती है; अगर प्रदेश सरकार भी इसमें सब्सिडी देने का काम करेगी तो हमारे प्रदेश से ऊर्जा के रूप में एक जो संकट है, उस संकट से निजात मिलने का काम होगा। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, मैं पुनः बल देते हुए यह मांग करता हूं कि सौर ऊर्जा के उत्थान के लिए सरकार अलग से एक नीति बनाये और उसका किस तरह से क्रियान्वयन हो, किसी कमेटी का गठन कर नीति का निर्धारण करे, धन्यवाद।

श्री राजाराम त्यागी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 करवरिया जी द्वारा रखे गए इस संकल्प पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा जो गांव के लिए बहुत उपयोगी है, मैंने भी अपने क्षेत्र बछरावां में इसे स्ट्रीट लाइट लगाये जाने हेतु धन क्षेत्र विकास निधि से दिया है। मान्यवर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी बहुत कम है, इस कारण अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्ट्रीट लाइट देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसकी लागत 24 हजार के आसपास आती है। मान्यवर, इसमें 5 हजार के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार की छूट है, हम यह चाहते हैं और सरकार की भी मंशा है कि विद्युत की अधिक से अधिक सप्लाई हो लेकिन इस समय सबसे कम गांवों में विद्युत की सप्लाई नहीं होती है और कहीं-कहीं तो 4-4, 6-6 घण्टे ही बिजली की सप्लाई हो रही है। अगर सौर ऊर्जा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और अधिक चिंतन करे और इस पर अधिक से अधिक सब्सिडी दे तो निश्चित रूप से बिजली की आपूर्ति के क्षेत्र में हम अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मैंने इसके सन्दर्भ मे रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी से सम्पर्क किया लेकिन वह सौर ऊर्जा के अधिक मे अधिक संयन्त्र और सब्सिडी देने में अक्षम साबित हो रहे हैं। जब नोडल अधिकारी से हमने इस सम्बन्ध में बात किया तो उन्होंने कहा कि हम इसे अधिक मात्रा में नहीं दे सकते हैं क्योंकि पूरे जनपद के और प्रदेश के पूरे लोगों को देना होता है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह चाहता हूं, सौर ऊर्जा उत्तर प्रदेश में और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है और इसके लिए मा0 अध्यक्ष जी, आपकी पीठ से सरकार को यह निर्देश होना चाहिए कि अधिक से अधिक सोलर

लाइट के और गांवों में व्यक्तिगत सोलर लैंप दिए जायें। मान्यवर, अन्त में मैं चाहूंगा कि स्ट्रीट लाइट जो हम दे रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से यह निर्देश हो जाए कि जो गांवों में गरीब तबके के लोग हैं, जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, अगर उनको भी क्षेत्र विकास निधि से दे दिया जाए तो गरीबों को भी सोलर लैंप मिल जायेंगे, मान्यवर, मैं आपकी पीठ की ओर से यह निर्देश चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मा0 करवरिया जी द्वारा रखे गये संकल्प पर बल देता हूं, धन्यवाद।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। वास्तव में यह इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि करीब 25 हजार मेगावाट बिजली की कमी है और जो हमारे परम्परागत साधन हैं, उससे शायद हम उस कमी को दूर भी नहीं कर पायेंगे, आने वाले कई सालों तक। इसलिए जहां इसका सवाल आया है कि जो ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत हैं, उनके विकास पर बल देने की बात है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं। जो पवन है या सौर ऊर्जा है या स्माल हाइड्रोस हैं इन सबका हम अभी तक 3 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर सके हैं और इनके अक्षय भण्डार हमारे पास हैं। यह सभी रिप्लेनिसंवल हैं। चाहे वह सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो या स्माल हाइड्रोस हों यह कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं और न ही इनका हमारे पर्यावरण पर कोई दुष्परिणाम नजर आता है। जबकि जो तापीय विद्युत गृह बनते हैं वह तमाम तरह का प्रदूषण फैलाते हैं और इसके साथ में उसके भण्डार भी अक्षय नहीं हैं आज नहीं तो कल वह भण्डार खत्म हो जाएंगे तो तापीय विद्युत का उत्पादन कर पाना शायद हमारे लिये सम्भव नहीं होगा। जहां तक न्यूक्लियर ऊर्जा की बात है उसका बहुत कम भाग यहां पर उत्पन्न होता है और जो होता भी है उसमें न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट बाद में प्रदेश के लिए एक गम्भीर समस्या के रूप में खड़े होंगे और हो सकता है कि रूस के चेरनोबिल जैसी कोई पुनरावृत्ति हो जाये। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह कृपया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और स्माल हाइड्रोस के विकास पर जितनी सहायता मिल सकती हो उसे प्राप्त करके इन सभी को विकसित करने का कार्य करें क्योंकि यह हमेशा मिलते रहने वाली चीजें हैं इनका कभी अभाव नहीं होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और स्माल हाइड्रोस से हम दूरदराज गांवों तक बिजली पहुंचा पाएंगे, जहां पर हम इस वक्त बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हैं और इनका इस्तेमाल करके जो 25 हजार मेगावाट बिजली की कमी है उसको भी पूरा किया जा सकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए पुनः मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, देखा जाये तो पूरा एनर्जी का स्रोत सूर्य ही है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पानी की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सी0ओ0टू0 की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। यहां तक कि जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं यदि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको भी देखा जाये तो वह किसी न किसी रूप में सूर्य की एनर्जी का ही उपयोग करते हैं। मान्यवर, इस चीज की ओर मैं खासतौर से इंगित करना चाहता हूं कि आज के दिन सूर्य ऊर्जा का उपयोग करना तो सम्भव है लेकिन एक यूनिट सूर्य ऊर्जा का उत्पादन करने में तकरीबन 17 रुपये खर्च होते हैं। जबकि और स्रोतों से जब ऊर्जा पैदा की जाती है तो उसमें ढाई से लेकर साढ़े तीन रुपये खर्चा होता है। मान्यवर, हम लोगों ने सूर्य की एनर्जी का उपयोग करने का अभी तक कोई प्राविधान नहीं किया। यहां तक कि हमें केन्द्र से काफी सब्सिडी भी मिलती है लेकिन जहां तक मुझे बताया गया कि केन्द्र की सब्सिडी बंद कर दी गयी है और इस समय केवल स्टेट की सब्सिडी ही मिल रही है। जब पूछा गया तो पता चला कि जो यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट होता है विशेषकर लैम्प के बारे में, सोलर हीटर के बारे में या किसी और यंत्र के बारे में, सेंट्रल का जो फण्ड आया था उसका उपयोग करने के लिए, उसके यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट भी सरकार, केन्द्र को प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस कारण आज की तारीख में जो भी सोलर लाइट हैं उसकी कीमत 17 हजार या 11 हजार के करीब है, यदि केन्द्र से सब्सिडी होती तो हम इसको आज 5 या 6 हजार की कीमत पर लगाने की स्थिति में होते। मान्यवर, जो मेरा मुख्य बिन्दु है, आगरा के लिए कहा गया था कि वैकल्पिक स्रोत के द्वारा विशेषकर जो ताज का परिक्षेत्र है उसको लाइटनिंग किया जाएगा। लेकिन आज यह परियोजना कहां पर चली गयी यह पता नहीं चला है। इसी तरह से आगरा के लिए कहा गया था कि वहां पर जो स्ट्रीट के इंडीकेटर्स हैं उन सबको सोल लाइट से चलाया जाएगा लेकिन उस परियोजना के बारे में भी अभी तक पता नहीं चला। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो परियोजना थी विशेषकर ताज परिक्षेत्र को सोलर लाइट से लाइटनिंग करने की और जो योजना इंडीकेटर्स के बारे में थी उस परियोजना का क्या हुआ ? मान्यवर, तीसरी चीज मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ गांव चिन्हित कर लिये जायें और गांव में सोलर सिस्टम लगाकर उस पूरे गांव को लाइटनिंग करने की व्यवस्था करें। हो सकता है कि आगे जाकर यह हमारा मुख्य ऊर्जा का स्रोत हो जाये। क्योंकि जो स्रोत इस समय है वह अब नहीं तो 20-25-30 साल बाद खत्म हो जायेंगे। उस समय सिर्फ सोलर एनर्जी ही ऐसी मिलेगी जो कि एक तरह अभाव की स्थिति में हम लोगों को एनर्जी देने की स्थिति में होगी।

मान्यवर, मैं आगरा के बारे में विशेषरूप से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के लिए जो विशेष क्षेत्र है उसके लिए क्या योजना है और सोलर लाइट से आगरा के ताज परिक्षेत्र को लाइटिंग करने की बात थी, उसके बारे में क्या हुआ ? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके बारे में थोड़ा सा उत्तर माननीय मंत्री महोदय से जरूर दिलवा दें।

अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अकबर हुसैन)-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इसके महत्व को समझ कर सदन में संकल्प लाने का काम किया है। मान्यवर, जैसा कि अभी मा0 खन्ना जी ने कहा था कि उनकी सरकार खत्म हो गई और वह इजराइल जाकर इस विषय के शोध के सम्बन्ध में कुछ जानकारी करना चाहते थे। मान्यवर, कितना महत्व समझा था पिछली सरकारों नें, इस बात से समझा जा सकता है कि पांच सौ के लगभग अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिनमें केवल दो सौ के लगभग पद स्वीकृत थे, उन्हें वेतन सरकार से

मिलती थी, और बाकी को दूसरे विभागों में काम करने पर जो कमीशन मिलता था उससे तनख्वाह लिया करते थे। मान्यवर, छः-छः महीने वेतन नहीं मिलती थी। मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

माननीया मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को कि उन्होंने हमारे इस विभाग के महत्व को समझते हुए उनके सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की तनख्वाह को शासन से दिलवाने का प्राविधान किया। इसके अलावा मान्यवर, जो वाटर हीटर, जिसकी चर्चा अभी मा0 सदस्य ने की है, केन्द्र सरकार से प्रयास किया गया उसमें सब्सिडी के लिए क्योंकि कास्ट बहुत ज्यादा है, जैसा माननीय सदस्य खुद भी अवगत है, आम आदमी की पहुंच से दूर है, इसलिए प्रयास किया गया कि उस पर भी कुछ सब्सिडी दी जाय, लेकिन केन्द्र सरकार ने सब्सिडी नहीं दी। हमने बहन जी से कोशिश करके 25 परसेण्ट से 33 परसेण्ट सब्सिडी वाटर हीटर पर भी दिलवाने की व्यवस्था कराई और दिलवा रहे हैं और काफी तादात में सोलर वाटर हीटर लगे हैं। मान्यवर, पिछली सरकारों से जिस तरह का महत्व दिया इस विभाग को वह आपकी जानकारी में लाया, इससे और बढ़कर एक बात बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार बनी थी तो लगभग पांच सौ मेगावाट का योगदान सभी स्रोतों से बगास से, को-जेनरेशन से और सोलर लाइट और सोलर स्ट्रीट लाईटों से केवल पांच सौ मेगावाट का योगदान था, आज की स्थिति यह है कि लगभग नौ सौ मेगावाट का योगदान हमारा विभाग कर रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी स्ट्रीट लाइटें हमें केन्द्र से मिलती हैं, सीमित मात्रा में मिलती हैं, उस पर तो हम सब्सिडी देते ही हैं उसके अलावा नगर पालिकाओं में, मलिन बस्तियों में अगर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष लगाना चाहें तो उसके लिए भी प्रस्ताव मांगे गये थे, हमारी सरकार उस पर सब्सिडी, यानी अपना अंश जो भी है, उस पर सब्सिडी देने को तैयार है, लेकिन मान्यवर, प्रस्ताव आने के बाद भी बहुत सारी, अधिकतर जो नगर पालिकायें हैं वह पैसा जमा नहीं कर रही हैं, बार-बार जिलाधिकारियों को लिखा गया है, इसके बावजूद भी पैसा जमा नहीं हो रहा है जिस वजह से यह काम सफर कर रहा है और मान्यवर, प्रोजेक्ट के रूप में हमने किया है, प्रोजेक्ट के रूप में दो-तीन मण्डलों के प्रस्ताव हमने केन्द्र सरकार को भेजे थे, जिसमें एस0सी0 बाहुल्य गांव और पिछड़ों के प्रस्ताव हमने केन्द्र सरकार को भेजे थे, तो मान्यवर, उसमें मुरादाबाद मण्डल में, मुरादाबाद जिले का स्वीकृत हुआ जिसमें साढ़े सत्रह सौ लाइटें गरीब बस्तियों में हमारे यहां के विधायकों ने लाभार्थी के रूप में विधायक निधि से पैसा दिया और बाकी प्रदेश सरकार जो इकहत्तर सौ रुपये पर लाइट देते हैं, आठ हजार कुछ रुपये केन्द्र सरकार का उसमें अंश है तो साढ़े सत्रह सौ लाइटें गरीब बस्तियों में हम लगा चुके हैं और मान्यवर, केन्द्र सरकार का कहना यह है कि हम प्रोत्साहन के रूप में, हम प्रचार के लिए कि लोग प्रोत्साहित हों, आप प्रचार-प्रसार करें, इसलिए जितना अंश हम दे रहे हैं उससे और अधिक अंश हम नहीं दे सकते हैं।

मान्यवर, जितने संसाधन हमारी प्रदेश सरकार के हैं, उसमें जितना भी हम अपनी नेता से प्रयास करके इस संबंध में बजट में व्यवस्था करा सकते थे कराई है। मान्यवर, पिछले साल जितनी व्यवस्था की गई थी उससे अधिक बजट की व्यवस्था की गई है। इस बार 13 करोड़ के

आस-पास माननीय बहन जी ने इसमें किया है। हमारी नेता ने हमसे कहा कि सख्ती से अधिकारियों से काम लो, मैंने अपनी नेता से, माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि जिन्हें हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जो भी मंत्री रहे जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा कर्मचारी/अधिकारी रख गये, जो भी अध्यक्ष रहे, जरूरत से कहीं ज्यादा अधिकारी रख गये, न शासन से स्वीकृत कराया और न ही तनख्वाह की ही व्यवस्था की। तो हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं तो किस तरह से उनसे सख्ती से काम ले सकते हैं। मान्यवर, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के मामले में हम प्रयासरत हैं और बहुत कुछ इस दिशा में हमने काम किया है, को-जेनरेशन के रूप में भी और बायोमास से जेनरेशन के रूप में जो आपकी और जो मा0 सदस्यों द्वारा चीनी मिलों की बात उठायी गयी है प्रदेश की अधिकतर चीनी मिलों में को-जेनेरेशन के रूप में बगास से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त जितने राइस मिल हैं, उसमें गैसीपावर लगाने का अभियान चलाया है और जो कोशिश थी तो उसका परिणाम भी आना शुरू हो गया है, ऊर्जा विभाग द्वारा अभियान चलाया गया है बिजली चोरी रोकने का, उससे राइस मिल गैसीफायर लगाने की ओर अग्रसर हों रहे हैं। हमारे प्रदेश में गैसीफायर लगाने पर अनुदान के रूप में उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें तैयार किया। पहले राइस मिलर से जवाब यह मिलता था कि बिजली हमें सस्ती पड़ रही है, जानकारी करने पर पता लगा कि आधी बिजली चोरी से और आधी बिजली का पैसा देकर राइस मिलें चलाई जा रहीं थी। मान्यवर, जब सख्ती से इस सरकार ने चोरी रोकने का काम किया है तब से राइस मिलर गैसीफायर की तरफ भाग रहे हैं, प्रदेश में काफी संख्या में राइस मिलों में हमने गैसीफायर स्थापित करा दिये हैं और मान्यवर, हमारी यह कोशिश है कि इस सरकार के कार्यकाल के अन्त तक अधिकतर मिलों में गैसीफायर के रूप में एनर्जी देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 पी0 के0 राय-

जनपद कुशीनगर की बात मैंने कही आपसे, जहां सोलर लाइट के लिये पैसा सैकड़ों लोगों ने जमा कर रखा है, दो-तीन साल से। ऐसे लोगों को जब आप नहीं देंगे तो बाकी लोग कहां से पैसा जमा करेंगे और कैसे लोग प्रोत्साहित होंगे ? उसके बारे में दिखवा लीजियेगा।

श्री अकबर हुसैन-

मान्यवर, पैसा कहां जमा किया गया है, यह मेरी जानकारी में नहीं है, आप यह लिखकर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी सही कह रहे हैं, डा0 साहब यदि पैसा कहीं जमा किया गया है तो लिख करके दे दीजिये। माननीय मंत्री जी, उसका परीक्षण करवा लेंगे। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में न हो। आप लिखकर दे दीजिये कि इसको दिखवा लीजिये। आपका विभाग है और लोगों ने पैसा जमा किया है तो किन परिस्थितियों में जमा किया है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ट्यूब लाइट पर और लैण्टर्न पर इन्होंने कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिये क्या प्रयास किया है, यह बता दें ?

श्री अकबर हुसैन-

मान्यवर, 27 हजार रुपये के लगभग पिछले साल था, इस साल 22800 रुपये आ गया है और जो 14 हजार रुपये की होमलाइट थी, वह 12 हजार रुपये के आसपास है और मैं समझता हूं कि अब जो टेण्डर होने जा रहे हैं, उसमें इससे भी नीचे आने की सम्भावना है।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि न यह प्रस्ताव आता और न माननीय सदस्य जान पाते कि वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री कौन हैं तो आज कम से कम उनको अवसर मिला और हम लोग भी जान गये। मान्यवर, मैं समझा रहा था कि भाई रामवीर उपाध्याय जी इसके मंत्री हैं वह विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं के निदान के लिए इसको बढ़ावा देंगे और इसको मुख्य स्रोत मानेंगे। लेकिन इसके अलग वैकल्पिक मंत्री जी मिल गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह इस विभाग के मंत्री हैं।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को ठीक से समझ नहीं पाये हैं। मैंने प्रस्ताव रखा है कि 'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाया जाय।' उस पर आपने कुछ कहा नहीं। आप 13 करोड़ रु0 के बजट प्राविधान से क्या कर सकते हैं। आपको इसी बात की चिन्ता थी कि कर्मचारियों को वेतन वगैरह कैसे मिले उस पर आपकी ज्यादा निगाह है। मेरा कहना है कि इसको वैकल्पिक स्रोत न मानकर ऊर्जा का मुख्य स्रोत मानेंगे तो आपको 500 कर्मचारियों के स्थान पर 5000 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। विद्युत समस्या के समाधान के लिये इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब आप मुख्य स्रोत मानेंगे तो आपको 13 करोड़ के स्थान पर 13 हजार करोड़ रु0 की आवश्यकता होगी और तब सम्भवतः विद्युत आपूर्ति की समस्या से राहत भी मिलेगी। मान्यवर, मैं एक बात और कहूंगा कि यह आंकड़ों का खेल नहीं है। आपने अपने बजट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 13 करोड़ कर दिया है। लेकिन जो विद्युत समस्या का प्रश्न है जब इन स्रोतों को मुख्य स्रोतों की श्रेणी दी जायेगी तो कुछ काम बनेगा। अगर आप प्रदेश की विद्युत समस्या का समाधान चाहते हैं तो इनको मुख्य स्रोत मानने के लिए प्रस्ताव लायें पूरा सदन उसका समर्थन करेगा। इससे विद्युत की जो यहां पर कमी है उसको दूर करने में यह एक सार्थक स्रोत का काम करेगा। उस तरह के प्रस्ताव में हम सब आपके साथ खड़े होंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मुख्य स्रोत की श्रेणी में मान लें तो हम अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे। मंत्री जी आप मुख्य मंत्री जी से बात कर लें और कोई घोषणा करें। मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि इसके प्रति कोई निराशा का भाव है विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिये आप तैयार नहीं हैं।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, माननीय उदयभान करवरिया जी को बताना चाहता हूं कि जो यह वैकल्पिक स्रोत की बात है यह भारत सरकार से जुड़ा सवाल है। वहां से सब्सिडी मिलती है। बंगलौर में इसके बड़े स्रोत हैं। यहां इस बात को कहा गया है कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से इसमें छूट देने के लिए सदैव गम्भीर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए इसमें विशेष योजनायें बनायी जा रही हैं प्रदेश सरकार द्वारा। आप मिर्जापुर और सोनभद्र में इसकी प्रगति देख सकेंगे वहां पर सरकार काम करने जा रही है। तो इसमें प्रदेश सरकार योगदान कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, भारत सरकार का इसमें जिक्र किया गया है। उन्होंने कोई रोक तो नहीं लगायी है कि प्रदेश सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है।

श्री अध्यक्ष-

कोई रोक नहीं है ?

श्री उदयभान करवरिया-

प्रदेश सरकार मान्यवर, इसको मुख्य स्रोत मानें तो हम उनके प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। बीच में भारत सरकार को क्यों इसमें लाते हैं ?

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, सब्सिडी वहां से मिलती है। दोनों के संयुक्त प्रयासों से यह प्रगति करेगा।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, एक अच्छा काम आप कर दें कि इसको मुख्य स्रोत मान लें और बजट में इसके लिए धन का आवंटन बढ़ा दें। मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाया जाय।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मलयुक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18 श्री श्यामदेव राय चौधरी जी के लिखित अनुरोध पर स्थगित है।

जनपद आगरा में आलू के प्रसंस्करण हेतु आलू प्रसंस्करण पार्क विकसित किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा में आलू के प्रसंस्करण हेतु आलू प्रसंस्करण पार्क विकसित किया जाय।"

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा आलू का.....

श्री अध्यक्ष-

यह जारी रहेगा।

प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण के निराकरण हेतु एक प्रभावी नीति बनाए जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री उदयभान करवरिया जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण के निराकरण हेतु एक प्रभावी नीति बनाई जाय।"

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कुपोषण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह जारी रहेगा।

बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि दो गुनी कर दिये जाने विषयक श्री सतीश महाना के संकल्प पर चर्चा

(श्री सतीश महाना की अनुपस्थिति में संकल्प डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रस्तुत किया)

(श्री सतीश महाना का नाम पुकारे जाने और उनके उपस्थित न रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्तुत नहीं हुआ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, प्रस्तुत कर दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं तो प्रस्तुत कर दें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, अपकी अनुमति से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि दो गुनी कर दी जाय।"

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको कार्यवाही में ला दूं क्योंकि प्राधिकृत किया नहीं है। तब भी मैं इसको प्रस्तुत मान लेता हूं माननीय ओम प्रकाश जी के अनुरोध पर।

यह प्रस्तुत हुआ मान लिया गया, जारी रहेगा।

प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाए जाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)†

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-103 के अन्तर्गत गो-हत्या जैसे विषय पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, मेरे संज्ञान के अनुसार पश्चित बंगाल राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण देश में गोवंश की हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है लेकिन हमारे प्रदेश में गोवंश की हत्या पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध नहीं लग पा रहा है। रोजाना गोवंश की हत्या हो रही है। गोवंश की हत्या पर दर्ज मुकदमों पर गम्भीर कार्यवाही नहीं हो रही है। अपराधी दो-चार दिन में ही जेल से बाहर आ रहे हैं। मान्यवर, गौ-माता को शास्त्रों में देवी देवताओं की संज्ञा दी गयी है। आयुर्वेद में गो-मूत्र को अमृत के समान बताया गया है। आयुर्वेद की अनेक दवाओं में गो-मूत्र का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के साथ-साथ वैज्ञानिकों ने भी माना है कि गाय के गोबर से लीपे गये मकान में रहने पर कैंसर का खतरा कम रहता है। गाय केवल एक समुदाय की धार्मिक आस्था का ही प्रश्न नहीं है बल्कि आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गोवंश हत्या का एक बड़ा केन्द्र बन गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर एवं मुरादाबाद जिलों में तो रोजाना टनों की मात्रा में गोवंश का मांस बरामद हो रहा है। मेरठ जनपद में वर्ष 2004 में 80 टन गोमांस एक साथ पकड़ा गया था। मेरठ जनपद में दिनांक 01 नवम्बर, 2008 को थाना परतापुर के अन्तर्गत गंगोल तीर्थस्थल पर लगभग 20 गाय एक साथ काट दी गयी है। मेरठ जनपद में एक ही वर्ष में 210 छोटे बड़े मुकदमें गोवंश को काटने/मांस बरामद करने के दर्ज हुए हैं। लेकिन कोई गम्भीर कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गयी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा लगभग 500 स्थान ऐसे चिन्हित किये गये हैं जहां पर गोवंश का लगातार कटान हो रहा है लेकिन इतना सब कुछ पता होने के उपरान्त भी पुलिस प्रशासन, पशुधन विभाग इन सब घटनाओं पर मौन है। गाजियाबाद जनपद के धौलाना कस्बे में भी

---

† दिनांक 18-8-2008 की कार्यवाही से।

एक डेढ़ वर्ष पूर्व लगभग 100 गाय एक साथ काट दी गयी थी लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा दोषियों पर कार्यवाही करने के स्थान पर गो-हत्या का विरोध करने वाले व्यक्तियों को ही जेल भेज दिया गया। दिनांक 02-02-10 को भी जनपद गाजियाबाद में गो-हत्या हुई है जिसका संज्ञान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को हैं। मान्यवर, गोवंश की हत्या से मेरठ, मुरादाबाद एवं बिजनौर में कई बार सम्प्रदायिक तनाव हुआ है।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री त्रिभुवन दत्त पाठासीन हुए)

तथा विभिन्न नगर निगमों तथा जिला पंचायत एवं स्थानीय नेताओं तथा पशुधन विभाग में अलग से इकाई बनाई जाये जो कि किसी भी स्थान पर गोवंश खुला घूमता पाये जाने पर उसे तत्काल नजदीकी गोशाला पहुंचाया जाये तथा गोवंश की हत्या के दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक जिले में एक अलग न्यायालय बनाया जाना चाहिए जिससे दोषियों के विरुद्ध तेजी से कार्यवाही हो सके तथा ऐक्ट में भी संशोधन कर प्रजा को ज्यादा जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति गोवंश की हत्या का विचार भी न कर सके। अतः इस सदन से सिफारिश करता हूं कि गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने हेतु कड़ा कानून बनाया जाये।

श्री अशोक कंसल-

मान्यवर, आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, गोवंश धार्मिक आस्था का केन्द्र है वहीं करोड़ों-करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है, वहीं गोवंश हत्या से कृषि में भी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। क्योंकि गोवंश की हत्या होने से कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है, जगह-जगह गाय हत्या होने से एक साम्प्रदायिक झगड़ा भी होने का भय बना रहता है। इससे पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मैं जनपद मुजफ्फरनगर से आता हूं तो वहां देखने में आता है कि अभी 5-6 माह पूर्व लगभग एक ही गांव के अन्दर 30 से 40 गाय काटने का काम किया गया। मान्यवर, ऐसे लोगों पर रासुका जैसी कार्यवाही होनी चाहिए और अगर इस पर जिस प्रकार से एक आदमी की हत्या करने वाले पर 302 का मुकदमा चलाया जाता है, अगर गोवंश की हत्या की जाती है कहीं गोवंश हत्या होती है, तो उन पर 302 का मुकदमा चलाया जाये। ऐसा कठोर एक कानून इसमें बनाया जाए तभी जाकर के देश का गोवंश बच सकता है और इस पर पूर्ण प्रतिबंध यहां लगना चाहिए क्योंकि यह एक धार्मिक आस्था के साथ-साथ बहुत उपयोगी है। गाय का उपयोग जो है गो-मूत्र का और गोबर का इसमें रसायनिक और एक तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसकी उपयोगिता है। मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सुनील शर्मा-

धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, आपने श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गो-हत्या पर प्रतिबंध है ओर कानून बना है परन्तु देखने में आता है कि उस कानून का अनुपालन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। आये दिन गो-हत्या की घटनायें होती हैं। कहीं 100 काट दी जाती हैं, कहीं 50 काट दी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाती है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन को उसको बहुत सामान्य घटना के रूप में लेता है। अभी परसों गाजियाबाद में चार गाय काट दी सार्वजनिक स्थल पर, हत्यारें अभी तक गिरफ्तार नहीं हुये। आये दिन इस प्रकार की घटना होती रहती है। महोदय, हिन्दू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हम लोगों के परिवारों में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गौमाता की निकाली जाती है। इस प्रदेश की और देश के बहुसंख्यक समाज की भावना गौमाता से जुड़ी हुई है उस गौमाता की हत्या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में करें, मान्यवर।

श्री सुनील शर्मा-

वह बहुसंख्यक समाज की भावनाओं पर कुठाराघात है। गोहत्या कानून का सख्ती से पालन होना चाहिये। गौ हत्यारों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिये परन्तु मान्यवर, देखने में आता है कि सम्बन्धित पुलिस की मिलीभगत से थानों के अन्तर्गत क्षेत्रों में गोहत्या होती है, जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार यह घोषणा कर देंगी कि जिस थाना क्षेत्र में गाय काटी जायेगी उस थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष थाना प्रभारी को निलंबित का दिया जायेगा मैं मानता हूं कि उस दिन गौहत्या पर काफी नियंत्रण लगेगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि सरकार भी इसके प्रति उदासीन है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार से कि पत्थरों के बने हुये पार्कों के लिये विशेष सुरक्षाबल का गठन किया जा रहा है, लेकिन जिस गौमाता से पूरे बहुसंख्यक समाज की भावनाएं जुड़ी हुयी है, हर वर्ग की भावनाएं जुड़ी हुयी हैं उसकी सुरक्षा के लिये उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाये ताकि प्रदेश में आगे गौहत्या न होवे।

मैं माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बल देते हुये अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश में गोहत्या नहीं होगी और गोहत्या के सम्बन्ध में जो कानून बना है, उसका कड़ाई से पालन हो। साथ ही गो की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल गठित किया जाय और गो सेवा आयोग को और ताकत दी जाय जिससे वह गो हत्यारों के साथ ज्यादा सख्त कार्यवाही कर सके।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, आपकी कृपा हो गयी, इसके लिये धन्यवाद। यह विषय भावनाओं से, हृदय से और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। इसे आप हल्केपन से ले रहे हैं। जितने माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपनी बाते रखी हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुये यह कहना चाहता हूं कि गोहत्या रोकने के लिये बड़ी कड़ाई के नियम लगाये जायें और शासन स्वयं इसमें सख्त हो और [xxx] एक्ट और दहेज उत्पीड़न की तरह शासन इसका संज्ञान ले।

श्री अधिष्ठाता-

यह [x x x] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, गो-हत्या अपराध से सम्बन्धित धारायें 3, 1, 5 और 8 हैं इसमें इसको गैरजमानती कर दिया जाय ताकि अभियुक्त की जल्दी से जमानत न हो। अभी तक यह जमानती धारा है। इसमें सजा का प्रावधान कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिये इससे कम नहीं होना चाहिये। इसमें धारा 302 के अपराध जैसा सजा का प्रावधान होना चाहिये ताकि फांसी भी दी जा सके। इसमें एन0 एस0 ए0 का भी प्रावधान होना चाहिये। क्योंकि अक्सर पुलिस वाले यह कहकर छोड़ देते हैं कि यह घर से नहीं पकड़ा गया है, इसलिये इसमें एन0एस0 ए0 का भी प्रावधान होना चाहिये। मैंने स्वयं जाकर एक घटना में ग्राम मोहनपुर, कस्बा अवागढ़ में अभियुक्त को पकड़वाया है। उस समय पुलिस प्रशासन के लोग कप्तान साहब और सी0 ओ0 साहब ने यह कह दिया कि अभियुक्तों पर एन0 एस0 ए0 लगेगी, तब जाकर वहां आक्रोशित जनता को शान्त कर पाये। आज तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है और फिर किसी दिन वहां जन आक्रोश भड़क सकता है इसलिये मैं इस मामले में कार्यवाही की मांग करता हूं और आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, आपने इस विषय पर बोलने का मुझे समय प्रदान किया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हमारे बहराइच जनपद में और पूरे प्रदेश में गोहत्यायें हो रही हैं और गोहत्या होने के कारण एक धर्म विशेष के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। आज से नहीं, अनादिकाल से गोमाता को हम लोग ईश्वर के रूप में देखते आये हैं और गोवंश प्रथम शैलपुत्री का वाहन है, अष्टम् महागौरी का वाहन है और हमारे महादेव शंकर भगवान का वाहन है, जब ऐसी गोमाता की हत्या निरन्तर प्रदेश में की जाती है तो दंगे भी फैलते हैं। गत वर्ष बहराइच जनपद में गोहत्या हुयी जिसका मुकदमा थानाध्यक्ष फैरीघाट ने नहीं लिखा उसका परिणाम यह हुआ कि एक वर्ग के द्वारा पूरा गांव का गांव फूंक दिया गया, उसमें मेरी भी गिरफ्तारी हुयी, 11 दिन जेल में रहने के कारण पूरे जनपद का ला एंड आर्डर गड़बड़ रहा। ऐसी घटनाएं होती हैं, इसी तरह से हुजूरपुर में भी हत्या हुई। वहां रिपोर्ट लिखाने वाले तीन-तीन लोगों की हत्या कर दी गयी, इसलिए मैं मा0 सत्य प्रकाश अग्रवाल जी के संकल्प पर बल देता हूं और सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि गो-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिन्दू समुदाय के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, हिन्दुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहराइच में जब गो-हत्या हुई थी तो अधिकारियों की एक बैठक करके माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये थे कि जहां भी गो-हत्या होगी वहां के सीधे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष जिम्मेदार होगे लेकिन आज भी गो-हत्याएं हो रही हैं और कहीं भी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी के जो आदेश निर्देश हैं उसके हिसाब से जहां भी गो-हत्या हो और कोई कठोर कार्यवाही न हो तो वहां के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष को हटा दिया जाय। अगर सरकार इसे गम्भीर अपराध न मानती तो प्रदेश में गो-हत्याओं के मामले में बहुत से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गैंगेस्टर न लगते। सरकार भी इसे गम्भीर अपराध मानती है और सरकार भी इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कृतसंकल्प है, इसलिए पीठ के माध्यम से आपके माध्यम से मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। मैं मा0 सत्य प्रकाश अग्रवाल जी के संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, मैं सत्य प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा लाये गये संकल्प पर बल देता हूं। मान्यवर, यह धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। गाय की पूजा के साथ-साथ हम लोग गाय के गोबर की भी पूजा करते हैं। मान्यवर, जो गायें बूढ़ी और बीमार हो जाती हैं मान्यवर, उन्हें ट्रकों पर लाद करके ले जाया जाता है और पुलिस द्वारा उन्हें रोका भी जाता है अगर उन गायों को गौशाला में जो कि हर जिले में बने हुए हैं और वहां का रख-रखाव भी ठीक है, उन गायों को गौशालाओं में भेज करके उनकी परिवरिश की जा सकती है। मान्यवर, बहुत से कसाईबाड़े बने हुए हैं वहां पर 30-35 किलोमीटर तक आदमी लगा करके गायों को एक जिले से दूसरे जिले में पार किया जा रहा है। इस मामले में कठोर कार्यवाही की मांग करने के साथ-साथ मैं चाहता हूं कि इसमें जिम्मेदार तय कर दी जाये कि जिस थाना क्षेत्र से वह गायें निकलती हैं अगर एक सूचना थानाध्यक्ष को दे करके उनको रुकवा लिया जाये और यह गायें गौशालाओं में दे दी जायें तो हम लोग कार्यवाही करके गायों की रक्षा कर सकते हैं, धन्यवाद।

*श्री उदयभान करवरिया-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 सत्य प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा लाये गये संकल्प पर बल देता हुए एक मिनट में अपनी बात को रखूंगा। मान्यवर, गाय को हमारे देश में माता की श्रेणी दी गयी है और मान्यवर, गाय के दूध से शंकर जी का भी अभिषेक होता है और मान्यवर, हम जब सत्य नारायण जी की कथा सुनते हैं तो गौरी गणेश की जो स्थापना करते हैं वह गाय के गोबर से करते हैं। मान्यवर, कितनी शुद्धता है, गाय के गोबर से अगर कच्चे मकान को लीप दीजिए तो न मक्खी है, न मच्छर है, कोई बीमारी नहीं होती है। मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी जब खड़े होंगे तो इस संकल्प पर अपनी बात को जरूर रखेंगे। मान्यवर, बाकी सारी बातें तो ठीक हैं लेकिन मैं केवल एक अनुरोध इस संकल्प के माध्यम से करना चाहता हूं कि आपने नियम बनाये होंगे, आपने कानून बनाये होंगे वह कार्यवाहियां रोज हो रही हैं और मान्यवर, जब कहीं गो-हत्या हो जाती है तो मान्यवर, वहां पर दो समुदायों के बीच का मामला लोग समझते हैं और दंगा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मान्यवर, बहुत से ऐसे भी समुदाय हैं जो गाय की पूजा भी करते हैं लेकिन कहीं न कहीं गाय की हत्या में वह भी शामिल रहते हैं। उस चौकी के, उस थाने के कर्मचारी भी शामिल होते हैं, हमारे यहां धूमनगंज में कई बार यह स्थिति सामने आयी है .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, सारी चीजें ठीक हैं लेकिन एक व्यवस्था जरूर चाहूंगा, मा0 मंत्री जी का आश्वासन भी चाहूंगा कि गो-हत्या न होने पाये इसके लिए आपने कानून बना रखा है, ठीक है, लेकिन उसका कठोरता से पालन कराने के लिए, कठोरता से इसका पालन कैसे हो, गो-हत्या बन्द कैसे हो इस पर जरूर कुछ न कुछ सख्त कार्यवाही करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों की आस्था का प्रश्न है, उनको सम्मान भी मिलेगा। धन्यवाद।

(श्री इरफान सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया बैठिये।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, नये सदस्य हैं, इन्हें केवल एक मिनट का समय दे दीजिए।

*श्री इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं कानपुर से चुन करके आया हूं। कानपुर जैसे शहर में थाना चमनगंज, हमारे कानपुर से विधायक संजीव दरियाबादी जी भी है उनको भी मालूम है, वहां अक्सर ऐसी घटनायें सुनने में आती हैं। मैंने कई बार क्षेत्रीय थानेदार और यहां तक डी0आई0जी0 साहब को लिखित शिकायत भी दी है क्योंकि कुछ आदमी, हमारे यहां भी गाय पली हुई हैं, दूध का काम होता है पर जब गाय पंजाब से लायी जाती है तो बीच में ही शिवसेना के कार्यकर्ता उन पर डकैती डालकर छीन लेते हैं और उनको अपने मनचाहे दाम पर किसी के भी हाथ बेच देते हैं। पिछले 2 महीने पहले की बात है थाना चमनगंज के एस0ओ0 आसमां माजिद उनकी मैंने लिखित शिकायत मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीया मुख्य मंत्री जी को भी भिजवायी। वहां पर क्योंकि यह धर्म की बात है, हम आस्था इस पर रखते हैं। मान्यवर, यहां पर ऐसी कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि थानेदार मिल करके काम करवा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए जब तक पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक अपराध नहीं होता है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि डी0आई0जी0 साहब के यहां लिखित शिकायत भेजी है लेकिन अभी तक 2 महीने हो गये कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

सिरोही जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अब बैठिये, सारी बातें आ चुकी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अगौता से चुन करके आता हूं। बुलन्दशहर में खुर्जा, अगौता, बुलन्दशहर कोतवाली, देहात कोतवाली, इन क्षेत्रों में भारी गो-माता का कटान होता है और गुलावटी थाना क्षेत्र में गो-माता का बहुत बड़ा कटान होता है। अनेक बार इस पर धरना-प्रदर्शन हुए, गाजियाबाद में बड़ी घटना हुई, 120 गायों का कत्ल हुआ था। हम लगातार शासन-प्रशासन से अनुरोध करते रहते हैं लेकिन कई थाना क्षेत्रों में गाय का कत्ल करने से नहीं रोकते। गाय हमारी माता है, हम उसको पूजते हैं और रखते भी हैं। हमारे घर में जब हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले रोटी गाय को दी जाती है। हम अपने हाथ से गाय को रोटी खिलाकर आते हैं। ऐसी गो-माता का कत्ल इस प्रदेश में और हमारे जनपद में हो रहा है। इस पर कुछ सख्ती करके मजबूती से कोई न कोई ऐसा निर्णय लिया जाए कि ताकि गो-माता का कत्ल न हो और गायों का कटान करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो जो मा0 सत्य प्रकाश अग्रवाल जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देता हूं। धन्यवाद।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है, यह प्रस्ताव, गाय, बैल या आस्था से सम्बन्धित नहीं है बल्कि हमारे देश की पुरानी संस्कृति, सभ्यता से, भारत के गौरव और अतीत से इसका सम्बन्ध रहा है और देश में हमेशा इसका सम्मान हुआ है। गो-वध पर प्रतिबन्ध का जहां तक सवाल है। पूर्व में जो एक्ट बने हुए थे उसमें खामियां रहीं उसके अनुसार कुछ प्रकार के ऐसे बैल थे, सांड थे जो निष्प्रयोज्य हो जाते थे उनका परमीशन दिया जाता था लेकिन दिनांक 12 सितम्बर, 2002 में पूर्व में जो अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसी के कार्यकाल के दौरान इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया उसमें यह प्राविधानित किया गया है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी प्रथा या रूढ़ि या किसी प्रतिकूल बात के होते हुए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर किसी गाय, सांड या बैल का न तो वध करेगा न वध करायेगा न तो उसे वध के लिए प्रस्तुत करेगा, न वध के लिए प्रस्तुत करवाएगा इस तरह से यह कठोर नियमावली वर्ष 2002 में बनाई गई। मान्यवर, जैसी कि सदस्यों की मंशा हैं शिकायत भी है कुछ खामियां रही हैं लेकिन इसको इसी सरकार ने वर्तमान सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए 2008 में समस्त पुलिस महानिरीक्षकों, मण्डलायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, जिलाधिकारियों को कड़ा निर्देश दे दिया गया है और पशुपालन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि ऐक्ट का कड़ाई से पालन किया जाय। यह पालन कराने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। पालन कराया जा रहा है अगर कहीं कोई शिकायत की बात आ रही है तो इसको सरकार के संज्ञान लाते हुए सरकार कठोर कार्यवाही करेगी । इस प्रदेश में इस तरह का किसी प्रकार का वध नहीं होने दिया जाएगा यह सरकार की प्राथमिकता है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले ले।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मंत्री जी जब मान रहे है कि कानून बना दिया गया है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि यह व्यवस्था करा दें कि जिस क्षेत्र में गाय काटी जायेगी वहां के थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी इससे कटान अपने आप बंद हो जाएगी। अगर मंत्री जी यह आश्वासन दे दें तो मैं अपना संकल्प वापस ले लूँगा ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस नही ले रहे है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिये जाने विषयक चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

अधिष्ठाता महोदय मैं अपनी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया जाय।'

मान्यवर, यह प्रदेश के करोड़ों नौजवानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह संकल्प है। इस समय प्रदेश में करोड़ों बेरोजगार नौजवान हैं उनकी बात रखने के लिए मैं यह संकल्प लाया हूं। आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने बजट अभिभाषण पढ़ा इसमें कहीं पर भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। अकेले पुलिस विभाग में भर्ती का जिक्र जरूर किया गया लेकिन प्रदेश में आज जो इतनी बड़ी समस्या बेरोजगारी की हो गई है जिस पर आये दिन सदन में चर्चा होती रहती है यह खाली बेरोजगारी की समस्या नहीं है कानून व्यवस्था का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारे नौजवानों को जब रोजगार नहीं मिलता है तो वह कहीं न कहीं अपराध की तरफ मुड़ जाता है। अपराधियों के साथ शामिल होकर अपराध करने का काम करने लगता है। सरकार अगर समय रहते इनको रोजगार देने का काम करेगी तो वह अपने रोजगार में लग जायेगा। मान्यवर, जो प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय हैं, करीब 20 लाख से भी ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार उनमें पंजीकृत हैं। सभी के नाम दर्ज नहीं है। उसमें रिन्यूवल भी कराना पड़ता है। बहुत सारे लोग थोड़े समय के बाद अपना नवीनीकरण नहीं कराते तो यह संख्या करोड़ों में है, लाखों में नहीं। रोजगार देने का काम यह सरकार कर नहीं रही है दूसरी तरफ जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेरोजगार युवकों को सुविधाएं देने का काम सरकार को करना चाहिए। इन्टरव्यू देने के लिये कहीं जाना होता था किसी कार्यालय में तो जो पहले सुविधाएं मिलती थीं उन सुविधाओं की तो बात नहीं बल्कि जो लोग सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम पंजीकरण कराने का काम करेंगे मेरी जानकारी में आया है कि उन पर शुल्क लगाने की तैयारी सरकार की चल रही है। बहुत जल्दी ही यह काम भी हो जायेगा। उनसे तीन तरह से शुल्क लेने का काम सरकार करेगी। यह बेरोजगार कहां से शुल्क दे पायेंगे। एक तरफ उसके पास रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बी0एड0 और बी0पी0एड0 बेरोजगार आन्दोलन करने का काम कर रहे हैं रोजगार के लिए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी जब जिलों में जाते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं तो प्रदेश के नौजवान युवक उनका घेराव करने का काम करते हैं अपनी मांगों के लिये।

श्री अधिष्ठाता-

सोलंकी जी संक्षिप्त करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, दो मिनट भी नहीं हुए। आपके आदेश होंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। दो मिनट हुए आप बैठने के लिये कह रहे हैं। मान्यवर, आधे घण्टे की चर्चा है, इसको अगर समय नहीं है तो आप जारी करा दें। मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता-

रखें, अपनी बात रखें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, यह लाखों करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लाखों जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनके परिवार में करोड़ों लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे सम्बन्ध है इसका। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा करते हैं जनपद मेरठ के अंदर विशिष्ट बी0टी0सी0 को हम समाप्त करने जा रहे हैं। जो बी0एड0, बी0पी0एड0 डिग्री धारक लोग हैं, जो डिग्री ले चुके हैं, जिनको रोजगार मिल सकता है, उन्हें सरकार रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। साढ़े चार लाख के करीब रिक्तियां हैं। ऐसे तमाम सम्मानित विधायकों के क्षेत्र में एकल विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है, वहां शिक्षक नहीं हैं लेकिन सरकार ने पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों को जो डिग्री लिये घूम रहे हैं बी0एड0 और बी0पी0एड0 की उनको बेरोजगार ही रहने के लिये कह दिया और यह कह दिया कि हम बी0टी0सी0 को लागू करने का काम करेंगे। मान्यवर, 10 हजार के करीब दो साल में बी0टी0सी0 के लोग। स्कूलों में अभी बी0टी0सी0 की शिक्षा प्रदान होने का काम हो रहा है। 50 सीटें एक स्कूल में है। दो साल का कोर्स है, 10 हजार लोग प्रशिक्षण लेकर आयेंगे और 20 हजार लोग प्रतिवर्ष रिटायर होने का काम हो रहा है विभाग में। मैं केवल बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं तो यह जो इतना बड़ा गैप है, इसको कितने वर्षों में सरकार भरना चाहती है। जो लाखों बी0एड0, बी0पी0एड0 लोग डिग्री लिये हुए घूम रहे हैं, जिनको सरकार रोजगार देने का काम करती थी उन पर प्रतिबन्ध लगाने की क्या आवश्यकता आ गई ? बी0टी0सी0 की शिक्षा से, बी0टी0सी0 की जो शिक्षा है। शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार की भी बात

आती है जो बी0टी0सी0 डिग्री होल्डर है, उसको इंटर पास करने के बाद बी0टी0सी0 की डिग्री मिलेगी। बी0एड0, बी0पी0एड0 जो उससे अधिक बड़ी डिग्री है वह ग्रेजुएशन के बाद मिलती है जो बड़ी डिग्री धारक पढ़े लिखे नौजवान हैं जो स्कूलों में नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरकार ने उनको कह दिया कि हम आपको नियुक्ति देने का काम नहीं करेंगे। नया कोर्स लागू करने का काम करेंगे, नये नौजवानों को पढ़ाने का काम करेंगे और उनको दो साल में डिग्री देने के बाद नौकरी देने का काम करेंगे। यह तो बेरोजगारों की हालत है, इसमें कैसे सुधार की बात हो। कैसे आप बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे ? मान्यवर, यह एक आंकड़ा है मेरा नहीं प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में रोजगार हेतु जो अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का है। जिसमें 2006-2007 में 2 लाख 32 हजार 926 अनुसूचित जाति के और 14,220 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और रोजगार मिला क्रम से 275 तथा 496 को, महिला अभ्यर्थियों की तो और भी खराब स्थिति हैं 2006-2007 में 5 लाख 71 हजार 541 महिलाओं ने अनुसूचित जाति में अपना पंजीकरण कराया और अनुसूचित जनजाति में 11 लाख 6 हजार 105 और मान्यवर, जो रोजगार दिया गया वह 25 अनुसूचित जाति और 66 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। तो मान्यवर, जहां लाखों की संख्या में रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 25-26 की संख्या में रोजगार देने का काम होगा जो मान्यवर, प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या कैसे कम होगी ?

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करिये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम विभागों में नियुक्तियां हो सकती हैं, तमाम रिक्तियां हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि आपकी पीठ से निर्देश हो कि जो अब तक व्यवस्था थी शिक्षा विभाग में विशिष्ट बी0टी0सी0 की और जो लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं अंधेरे में, उनके भविष्य को देखते हुये जब तक बी0 टी0 सी0 के छात्र शिक्षा ग्रहण करने का काम करें तब तक पुरानी पद्धति के आधार पर नियुक्ति करने का सरकार काम करें, उनको रोजगार देने का सरकार काम करे। यह मैं चाहता हूं कि आपकी पीठ से आज ऐसा निर्देश हो, यह ज्वलन्त समस्या है यह केवल बेरोजगारी की नहीं है, इससे कानून व्यवस्था भी जुड़ी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय इसके अलावा तमाम ऐसे विभाग हैं मैंने पहले भी इसे विधान सभा में उठा चुका हूं पशुधन विभाग के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में पशु चिकित्सालय खोलने का काम हुआ। बिल्डिगें बनकर खड़ी हो गई। तीन साल मुझे हो गये विधान सभा में इस मामले को उठाते हुये, मैं माननीय मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर चुका हूं लेकिन एक भी नियुक्ति करने का काम नहीं हुआ है। बिल्डिंग जर्जर हो गई तो बेरोजगारी फिर मान्यवर, कैसे दूर होगी। स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिये, स्वास्थ्य विभाग की इतनी सारी बिल्डिगें बन रही हैं, मेरे क्षेत्र में कई सारे अस्पताल बन गये, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा देने के लिये प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके लिये सरकार को बधाई लेकिन डाक्टर कहां से आयेंगे। नियुक्ति सरकार नहीं कर रही है। मेरा एक प्रश्न लगा था उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा भी लिखित में भी जबाव आया कि हमारे पास डाक्टरों की बहुत भारी कमी है। मान्यवर, जब तक आप बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं करेंगे तो नियुक्तियां कैसे भरी जाएंगी।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं इस अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आपकी पीठ से आज ऐसा निर्देश सरकार को हो जाए कि रिक्तियां जितने विभागों में हैं, पढ़े-लिखे जितने बेरोजगार लोग हैं सरकार तत्काल इनको रोजगार देने का काम करे। ऐसा निर्देश अपनी पीठ से आप देने का काम करें। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सत्येन्द्र सोलंकी जी द्वारा जारी चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, यह समस्या उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवानों की समस्या है जो आज पढ़ाई-लिखाई करने के बाद रोजगार की तलाश में हैं, जिनके मां-बाप को यह आसरा है कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आज भी प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवान आश्रित हैं अपने मां-बाप के ऊपर, रोजगार के लिये और अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिये। मान्यवर, हम सारे लोग जानते हैं कि किसी भी सरकार में अगर बेरोजगारी की स्थिति होगी तो उस सरकार में अराजकता बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे और नौजवानों के अन्दर बेबसी और आक्रोश का ऐसा आलम पैदा होगा कि जिससे इस समाज का अहित होगा। मान्यवर, जैसे-जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, वैसे-वैसे हमारे समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हमारे नौजवान नशीले पदार्थों से ले करके अपराधों में लिप्त होते जा रहे हैं, यहां तक कि बहुत से शिक्षित बेरोजगार माओवादियों के सम्पर्क में जाने से ले करके, आतंकवाद जैसी घटनाओं में लिप्त होते जा रहे हैं और मान्यवर, मैं किसी दल पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन सरकारें बेरोजगारों के दर्द के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन हैं। मान्यवर, हम लोगों को यह पढ़ाया गया है कि सरकार एक कल्याणकारी संस्था है जिसका काम समाज पर शासन करना है, इसलिये कि समाज को सुव्यवस्थित रखा जा सके, समाज को एक दिशा दी जा सके। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकारें कल्याणकारी संस्था के रूप में नहीं, एक मुनाफाखोर संस्था के रूप में काम कर रही हैं, एक नई अवधारणा पैदा की जा रही है कि सरकार का काम सिर्फ मुनाफा कमाना है और यही कारण है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि आज उत्तर प्रदेश में 52 हजार किसान मित्र, जिनकों 10 महीने से वेतन नहीं मिला, 15 हजार आचार्य अनुदेशक, जिनकी नौकरी खतरे में है और मान्यवर, अभी जैसा मा0 सदस्य ने कहा कि पहले हमारे बेरोजगार किसी परीक्षा में शामिल होने जाते थे तो उसके लिये उन्हें भत्ता दे दिया जाता था। लेकिन आज बेरोजगारों के उस दर्द का कोई भी एहसास सरकार को नहीं है और मान्यवर, हम लोगों के नेता, समाजवादी नेता, डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था कि 'बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो' और उसी नारे पर चलते हुये मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 500 रुपये का बेकारी भत्ता देने का काम किया था और उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के दर्द को समझा था और उन्हें यह दिलासा देने का काम किया था कि जब तक सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती, तब तक आपके दुख-दर्द में शरीक है और आपकी जरूरतों के लिये सरकार कन्धे से कन्धा मिलाने को तैयार है। लेकिन मान्यवर, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार ने इस सुविधा को भी बन्द करके उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है, यह बहुत ही दुख की बात है। मान्यवर, अन्त में मैं पुनः इतना कहते हुये कि यह सरकार बेरोजगारों के दर्द को समझे और ऐसी नीति बनायी जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिले, नहीं तो समाज नशे की, अपराध की और अराजकता की तरफ और तेजी से भागेगा और इसको हम, आप रोक नहीं पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 सत्येन्द्र सोलंकी जी के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, प्रदेश की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या पर मा0 सदस्य सत्येन्द्र सोलंकी जी के द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। मान्यवर, बेरोजगारी और बेरोजगारों को रोजगार देना, अकेला उन लोगों को रोजगार देकर उनके परिवार का पालन पोषण करना ही नहीं है, प्रदेश में बेरोजगारों के द्वारा बढ़ रहे अपराध, हो रहे अपराध हो रहे काण्ड, हो रही लूट, हो रही अराजकता और बढ़ती नशाखोरी को रोकने का अगर कोई साधन है तो वह रोजगार है। मान्यवर, आज प्रदेश के अनेकों स्नातक और परास्नातक जो कला में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, वाणिज्य में, कृषि में, शिक्षा शास्त्र में उपाधि प्राप्त किये हुये हैं, आज मजबूरी में रिक्शा चलाने के लिये विवश हैं, मजदूरी करने के लिये, खेत-खलिहान के मजदूर के रूप में भी उनको काम नहीं मिल रहा है, आज ऐसी स्थिति हमारे पढ़े-लिखे नौजवानों की प्रदेश में हो गई है। मान्यवर, अभी हमारे साथी सदस्य ने कहा भी था कि प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को बेसिक शिक्षा विभाग में बी0एड0 और बी0पी0एड0 बेरोजगारों को शिक्षा देने का काम किया जाता था अब सूचना प्राप्त हुयी है कि विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया समाप्त करके जो प्रशिक्षित बी0एड0 और बी0पी0एड0 के जो छात्र हैं, अध्ययन करने के बाद उन्हें भी बेरोजगारों की लाइन में खड़ा करने का काम किया जाने वाला है। मान्यवर, बेरोजगारी खत्म करने के लिये मेरी एक-दो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात और हैं। जहां सरकारी गैर सरकारी विभागों में रोजगार देकर बेरोजगारी खत्म की जा सकती है वहीं दूसरी तरफ अनेको उद्योगों, लघु उद्योगों के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और किसान मजदूरों के मसीहा स्व0 चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि अगर गांव खेत खलिहान का व्यक्ति खेती के साथ-साथ लघु उद्योग में काम करने का काम करेगा, मान्यवर, गांवों के अनेक उद्योग हैं, बुनकर उद्योग है, प्रजापतियों के लिये उद्योग है, हमारे दलित वर्ग के लिये लघु उद्योग है। अगर हम लघु उद्योगों को बढ़ाने का काम करेंगे तो हमारी इस बेरोजगारी की समस्या में उसका कहीं न कहीं एक हिस्सा होने का काम होगा। मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव पर अपना समर्थन देते हुये प्रदेश के अमन चैन के लिये, प्रदेश में बेरोजगारों की अराजकता को खत्म करने के लिये मैं इस पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री जावेद अंसारी-

मान्यवर, आपने चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव पर देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या बेरोजगारी पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह सही है कि देश की आबादी के लगातार बेतहाशा बेढ़ने के कारण रोजगार के जो अवसर रहे उसमें गलत नीतियों के कारण लगातार ह्रास होता चला गया और स्थिति यहां तक आ गयी कि शिक्षित बेरोजगारों की बहुत लम्बी फौज देश के सामने खड़ी हो गयी। देश तथा प्रदेश की जितनी भी सरकारें आयी उन्होंने कोई ठोस योजना इस तरह की तैयार नहीं की जिससे इस बड़ी विकराल समस्या से निजात पायी जा सकती, बेरोजगारों को जिनकी बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह उनके प्रति असंवेदनशीलता रही, बेरोजगारी के कारण उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गयीं और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने गलत राह अख्तियार करना शुरु कर दिया और ऐसे-ऐसे रास्तो पर चले गये जिनसे कहीं न कहीं जाकर देश और प्रदेश की अस्मिता, उसकी इज्जत और उसकी सुरक्षा इन सब पर सवालिया निशान खड़े हो गये। मान्यवर, रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे और अगर अवसर नहीं बढ़े तो जो कानून का राज स्थापित करने की बात हो रही है, बेरोजगारों में जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे निरीह, बेसहारा और भटके हुये नौजवानों को या तो हम जेलों में बंद करेंगे या उन पर गोलियां चलायेंगे या उन पर ऐसे अत्याचार करेंगे जिनके वह हकदार नहीं हैं। ऐसे तमाम नौजवानों के लिये इच्छाशक्ति के साथ ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। इस ज्वलंत समस्या को देखते और समझते हुये ही माननीय मुलायम सिंह जी की पिछली सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था कि या तो हम बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करायेंगे और अगर रोजगार नहीं मुहैया कराते हैं तो गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिये उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। यह एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम था लेकिन इस कदम को भी मौजूदा सरकार ने समाप्त कर दिया है। मैं माननीय सोलंकी साहब के इस प्रस्ताव पर बल देते हुए सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी कारगर और प्रभावी नीति बनायी जाये जिससे बेरोजगारों को भटकना न पड़े, गलत राह न अख्तियार करनी पड़े, देश और प्रदेश को शर्मसार न होना पड़े।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मैं माननीय सदस्य सोलंकी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देती हूं। मान्यवर, बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक तो अशिक्षित बेरोजगार हैं और दूसरे शिक्षित बेरोजगार होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट और जितने भी अपराध हो रहे हैं, इनके पीछे कहीं न कहीं बेरोजगारी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी सरकार से कि जो आपने रोजगार के अवसर दिये भी हैं उसमें इतना ज्यादा करप्शन था कि गरीब परिवार के बच्चे पैसे के अभाव में नौकरी पाने से वंचित रह गये। ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता होगा कि जहां उनको अवसर भी मिला, वहां से पैसा देकर के नहीं पहुंच पाये। आज मान्यवर, बी0एड0 धारक, पी0एच0डी0 करने वाले छात्र विद्यालयों में पढ़ाते हैं। मान्यवर, मुझे बहुत दुख होता है, देख करके, सुन करके कि एक पी0एच0डी0 किया हुआ छात्र पांच हजार से आठ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के आधार पर पाता है। मान्यवर, यह तो शिक्षित लोगों के लिये बहुत बड़ा अभिशाप है। इतना पढ़-लिख करके हमारा छात्र हमारा नौजवान आठ हजार रुपये की नौकरी करे। माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं और मैं उनकी प्रशंसा भी करना चाहूंगी कि आपने अवसर दिये हैं लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय जितना होना चाहिए उतना अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अभी यह घोषणा हुयी है कि अब बी0एड0 करने वालों की कोई जरूरत नहीं है, अब बी0टी0सी0 की बात करते हैं। मान्यवर, अभी हमने पेपर में पढ़ा था कि बी0टी0सी0 के लिये तम म केन्द्रों में व्यवस्थापक बनाये जा रहे हैं और केन्द्रों को मान्यता दी जा रही है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी जितने भी बी0टी0सी0 के छात्र हैं जो एडमीशन लेना चाहेंगे और उसमें जो मैनेजमेन्ट का कोटा निर्धारित किया जायेगा, उसमें इतनी ज्यादा वसूली की जायेगी कि गरीब परिवार का व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं पा सकता है। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करिये और बेरोजगारी को दूर करने के लिये जहां पर पुरुषों को दिया जाता है, वहीं पर महिलाओं के लिये भी उचित व्यवस्था की जाये। इसी के साथ इस प्रस्ताव पर मैं बल देती हूं।

*श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

माननीय अधिष्ठाता जी, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी के प्रस्ताव पर मैं बल देना चाहता हूं। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की लाखों की फौज खड़ी हुयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी, अर्द्धसरकारी निगम और निकायों में जो भी पद रिक्त हैं उन पर तत्काल विशेष भर्ती शुरू की जाये, जिससे उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी का लाभ मिल सके। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार रोजी-रोटी की कमाई के लिये महाराष्ट्र पहुंचता है और उसको धक्के मिलते हैं। मनसे और शिवसेना के कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों की पिटायी करते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना बनावे कि उत्तर भारतीयों को विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवकों को अपने प्रदेश में ही रोजी-रोटी कमाने की व्यवस्था हो सके। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो बी0टी0सी0 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, आपके माध्यम से मैं यह चाहूंगा कि जब तक बी0टी0सी0 के लोग शिक्षित होकर के ट्रेन्ड होकर के न आ पावें तब तक हमारे जो छात्र बी0एड0 करके लाखों की तादाद में पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। इन छात्रों को विशिष्ट बी0टी0सी0 की तैयारी करवाते हुये तब तक शिक्षण कार्य करवाया जाए क्योंकि पूरे प्रदेश में करीब शिक्षकों के तीन लाख से लेकर चार लाख तक पद रिक्त हैं और यह संख्या तो बढ़ती रहेगी क्योंकि कुछ लोग रिटायर होंगे, बच्चे बढ़ेंगे और विद्यालय बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से श्री सोलंकी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देते हुये यह कहता हूं कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायें।

*श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हमारे बुजुर्गों ने बताया है और समाज की तस्वीर यह कहती है कि अगर गरीबी को मिटाना है तो बेरोजगारी मिटानी होगी, यदि बेईमानी को खत्म करना है तो बेरोजगारी को हटाना होगा। मान्यवर, अराजकता को भी मिटाना है या रोकना है तो बेरोजगारों को काम देना पड़ेगा। मान्यवर, यह सवाल हमने इसलिए उठाया है कि हमारे प्रदेश की जो स्थिति है हम देख रहे हैं जिसकी चर्चा हमारे वर्मा जी कर रहे थे कि प्रदेश का नौजवान विभिन्न प्रान्तों में जाकर काम की तलाश में ठोकरें खा रहा है। मान्यवर, क्या कारण है, क्या वह व्यवस्था की कमजोरी है, जिसके कारण छोटे-छोटे प्रान्तों में काम है और हमारा प्रान्त जिसमें खनिज सम्पदा हो, जिसमें हर तरह से संसाधन हों, नदियां हों, अच्छी जमीन हो, उसके बाद भी यहां का नौजवान दूसरे प्रान्तों में काम के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। यह विचार करने का विषय मान्यवर, इसलिए भी है कि मौका मिला है हम लोगों को कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं मैं सोंचता हूं सदन में बैठे सभी सम्मानित सदस्य किसान परिवारों से जुड़ कर आये हैं और ऐसे परिवारों से जुड़े हैं कि अगर राजनीति में काम नहीं मिलता तो हो सकता बेरोजगारों की लाइन में हम लोग भी कहीं खड़े होते। यदि यह सौभाग्य मिला है चर्चा करने का और मौका आया है कि कुछ समाधान कर सकते हैं तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें यह प्रयास करना चाहिए, ऐसे उद्योग जहां दूसरे प्रान्तों में स्थापित हैं और बड़े रोजगार के साधन बने हैं, उन उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। जहां तक प्रदेश की स्थिति का सवाल है, यह कृषि प्रधान देश है खेती पर आधारित जीवन है, हमारे प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस रूप में हम किसी तरह बेरोजगार नौजवान को अच्छा किसान ही बना दें। हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे खेती की तरफ से लोगों का रूझान हट रहा है और वह बेरोजगार किसी भी काम के योग्य नहीं बच रहा है, इसलिए मान्यवर, कुछ ऐसी नीति निर्धारित हो कि हम बेरोजगारों को काम दे सकें और गरीबी भी मिटा सकें, उस गरीबी को मिटाने के साथ, बेईमानी मिटा सकें, बेईमानी मिटाने के साथ-साथ देश और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज के मजबूत करने पर पहल कर सकें। मुझे उम्मीद है कि इस सदन में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जरूर कुछ व्यवस्था बनेगी। हमारे साथियों ने कहा कि पिछली सरकार ने तीन साल में दस लाख लोगों के रोजगार दिया था और जिनको रोजगार नहीं दे पाये थे, बेरोजगारी भत्ता देकर एक ऐतिहासिक कदम पूरे देश में उठाया था और ऐलान किया था कि अगर अबकी बार हमारी सरकार बनेगी तो पांच सौ की जगह पन्द्रह सौ बेरोजगारी भत्ता देंगे। मान्यवर, कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पुरानी सरकार के उस वायदे को पूरा करने का काम आप कर सकते हैं या तो बेरोजगार दो वरना 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अवधेश प्रसाद जी, केवल एक मिनट में अपनी बात रख दें।

*श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आज इस सदन में एक ऐसी समस्या पर चर्चा हो रही है जिसे माननीय सत्येन्द्र जी ने रखा है, उस प्रस्ताव पर हम बल देते हुए राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि यह बेरोजगारी शिक्षकों में बेरोजगारी एक अभिशाप है। श्रीमन्, इस प्रदेश में प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों की एक लम्बी कतार बढ़ती जा रही है और इस प्रदेश और देश में जिससे आज सभी लोग चाहे उस पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे मान्यवर, आप हों, यह सभी के लिए चिन्ता का विषय है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की जो वर्तमान सरकार है, बेरोजगारों के लिए इसके दिल में कहीं कोई जरा सा भी स्थान नहीं है। हमारी सरकार जब इस प्रदेश में थी माननीय मुलायम सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे करके और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार होगी, बेरोजगारी भत्ता हम बढ़ाने का काम करेंगे और तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देते रहेंगे जब तक हम उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दे देंगे। श्रीमन्, सरकारी नौकरियों के द्वारा बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है, इस प्रदेश में कुटीर उद्योग धन्धों को बढ़ावा दिया जाय, खेती के भार को कम किया जाय और बड़े-बड़े कारखानों को रोका जाय उसकी जगह छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ाया जाय। इससे बेरोजागरी और बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवती प्रसाद सागर)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर इस सदन में जो चर्चा का अवसर मिला। मान्यवर, विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर बेरोजगारी के विषय पर अपनी चिन्ता जतायी है। मैं इस मौके पर उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और दावे के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में भारतवर्ष में किसी भी अन्य प्रान्त में इतने लोगों को नौकरी सरकारी विभागों में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और गैर-सरकारी विभागों में कभी भी आजादी के बाद से आज तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जितनी यहां पर मिली है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं विशेषकर विपक्षी साथियों को और समाजवादी पार्टी के साथियों को कि उन्होंने अपनी पिछली सरकार के समय की बेरोजगारी भत्ते की बात बढ़-चढ़कर यहां पर रखी है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जो इन्होंने कृत्य किया वह सब मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इन्होंने सिर्फ स्नातक बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता देने का प्राविधान किया। इनकी नजर में केवल स्नातक बेरोजगार ही बेरोजगार दिखे और दूसरे जो बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं जिनकी बड़ी लम्बी फौज है उसके विषय में इन्होंने कभी भी कुछ करने की नहीं सोची। गरीबों के हित के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्होंने स्नातक बेरोजगारों को वह भत्ता दिलाकर उन्हें एक तरह से पंगु बनाने का काम किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी देकर उन्हें सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया और बड़े पैमाने पर किया। यह आंकड़े बताते हैं कि सरकारी नौकरियों में अभी हमारे ढाई साल के कार्यकाल में एक-एक विभाग में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। कई-कई विभागों में एक-एक लाख से ज्यादा लोग रखे गये हैं। मान्यवर, पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत एक लाख आठ हजार सफाई कर्मी नियुक्त हुए। बेसिक शिक्षा में 80 हजार विशिष्ट बी0टी0सी0 लोगों को रोजगार देने का काम हुआ। अभी पुलिस विभाग में भर्ती में दो लाख लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने की है। मैं मान्यवर, इस मौके पर बताना चाहता हूं कि देश की आजादी के 63 वर्ष के बाद भी भारतवर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जो चपरासी के पदों पर भर्ती के काबिल नहीं समझा और आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया।

मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि दुनिया का भले ही कितना अच्छा संविधान हो अगर उसे लागू करने के सम्बन्ध में शासक की मंशा अच्छी नहीं है तो अच्छे से अच्छा संविधान भी बेकार साबित हो सकता है और वे आज भी 63 साल की आजादी के बाद देश में दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा, मान्यवर मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने बैकलॉग का कोटा पूरा करने का काम किया। जो पूरे देश में कहीं भी पूरा नहीं हुआ है। हमारे यहां विशेष अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम किया गया है। निचले तबके के लोग किसी जमाने में बेगारी नहीं करते थे तो ऊंचे घरों के लोग उनसे कहते थे कि शौच क्रिया कि लिए कहां जाओगे। हमारी सरकार ने ऐसे लाखों लोगों को जमीन आदि के पट्टे देकर उनकी बेरोजगारी दूर करने का काम किया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है और बड़े पैमाने पर किया है। मान्यवर, हमारे चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को रोजगार देने के बारे में यहां पर चर्चा की। मैं इस मौके पर बताना चाहता हूं कि 1996 में जबसे सुप्रीमकोर्ट का डिसीजन आया,

निर्णय आया तो बेरोजगार हमारे सेवायोजन कार्यालय से नियोजक हमको सिर्फ अपनी रिक्तियों की सूचना देते हैं और हमारे कार्यालय से अगर वह चाहते हैं तो उस पर नाम भेजे जाते हैं और विज्ञापन के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया जिसके कारण हमारे सेवायोजन विभाग की बाध्यता खत्म हो गयी अब नियोजक स्वयं जिससे चाहे जिस माध्यम से अपना रोजगार का अवसर उपलब्ध कराते हैं। मैं इस मौके पर इस सम्मानित सदन को माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सपा द्वारा बेरोजगारी भत्ता का जब प्राविधान किया था उस वक्त 25 करोड़ से ज्यादा आपने धन का दुरुपयोग सिर्फ उनके आयोजन में खर्चा करने में किया जिसमें भारत सरकार के महालेखाकार ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में आपके ऊपर आपत्ति दर्ज करवाई है। मैं बड़े दावे के साथ इस सदन में बताना चाहता हूं कि मेरी सरकार ने सेवायोजन विभाग में बिना किसी सरकारी खर्च के 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मेला लगा करके अपने अधिकारियों के सहयोग से लगभग 141 मेले 2009-10 में आयोजन किये जिसमें साढ़े 5 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का हमारी सरकार ने काम किया है।

इसी के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सेवायोजन विभाग और दूसरे विभाग के माध्यम से लोगों को हम लोगों ने नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए बड़ा एक अभूतपूर्व प्रयास किया। जिसके कारण हमारे सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल्स बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कितना प्रयास किया और कितने लोगों को उससे लाभ मिला। मान्यवर, 141 रोजगार मेला आयोजित किये गये जिनके माध्यम से 7670 बेरोजगारों को सवेतन रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन अन्य किसी सरकार द्वारा नहीं किया गया। यह बेरोजगारों को सवेतन रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी पहल है। रोजगार मेलों के आयोजन को आगामी वर्षों में और वृहद रूप दिया जा रहा है। यह किसी प्रकार संभव नहीं है कि सभी बेरोजगारों को सवेतन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सके। इस हेतु सरकार ने व्यवस्था की है कि किसी प्रकार प्रशिक्षण दे करके उन्हें अपना रोजगार करने के लायक बना दिया जाय। इस दिशा में सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं। इन सभी योजनाओं को रोजगार सेन्टर, रोजगार छतरी योजना से आच्छादित किया गया है। सभी विभागों हेतु स्वतः रोजगार के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 2009-10 के लिए कुल 28 लाख 49 हजार 301 रोजगार व्यक्ति संख्या का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर तक 20 लाख 96 हजार 301 की उपलब्धि हो चुकी है। जोकि लक्ष्य का 73.68 प्रतिशत है। बेरोजगारों को रोजगार परकता में वृद्धि के उद्देश्य से 267 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु कुल 53 हजार 88 प्रशिक्षण सीटों की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में स्थापित 496 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 61,207 सीटों की व्यवस्था है इस प्रकार प्रदेश में सभी जनपदों एवं लगभग सभी तहसीलों में प्रशिक्षण व्यवस्था स्थापित है। यहां प्रशिक्षण देकर के बेरोजगारों को रोजगार परकता बढ़ाई जाती है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित कौशल विकास योजना के अन्तर्गत भी कई व्यवसायों में अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर के बेरोजगारों को रोजगार के लायक बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक 27,560 बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया गया है। बेरोजगारी के मुख्य कारणों में एक कारण छात्रों द्वारा निरुद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है। छात्रों को रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के अनुरूप यह शिक्षा प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहिए। इस उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर कौंसिलिंग का काम किया जा रहा है। मान्यवर, पहले गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा-लिखा कर तैयार करता था। स्नातक और परास्नातक करवाता था, लेकिन इसके बाद बच्चे को नौकरी नहीं मिलती थी। हमारे विभाग ने कैरियर कौंसिल चला करके कालेजों में जा करके लोगों को बताया कि आप इस तरह से शिक्षा ग्रहण करिये आगे इस तरह का कोर्स करिये, जिससे इसका ये स्कोप होगा। इस विभाग ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर कैरियर कौंसिल का काम शुरू किया है। मान्यवर, इसी तरह से मैं सदन को जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता जैसी खैरात दे करके अपंग न बनाया जाए वरन प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया जाय कि बेरोजगारों को रोजगार एवं स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

सोलंकी जी प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री भगवती प्रसाद सागर-

आदरणीय श्री सत्येन्द्र सोलंकी जी से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रस्ताव कृपया वापस लेने का कष्ट करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया पुरानी सरकार का जिक्र करते समय कि जो पिछली सरकार थी उसने जो ग्रेजुएट बेरोजगार थे उनको लाभ देने की व्यवस्था किया जबकि उसके अलावा प्रदेश में करोड़ों बेरोजगार नौजवानों की लंबी फौज ये मा0 मंत्री जी ने अभी कहा मंत्री जी भी मानते हैं कि जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उनके अलावा करोड़ों बेरोजगार इस प्रदेश में हैं, उनकी लम्बी फौज है। मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि 141 मेले लगाने का काम हुआ और 5671 लोगों को रोजगार देने का काम हो गया। मा0 अधिष्ठाता महोदय जहां करोड़ों की संख्या में लोग हर घर में कई-कई बेरोजगार हैं, ये हम सब लोग जानते हैं यह बहुत गम्भीर विषय है। तमाम सम्मानित सदस्य जानते हैं कि सबके घरों में कई-कई व्यक्ति बेरोजगार हैं, पढ़े-लिखे हैं, माननीय मंत्री जी ने एक चीज और स्वीकार की और कहा कि हम प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे खाली इण्टरमीडिएट बनाने के लिए और ग्रेजुएट करने के लिए लेकिन आज सरकार उससे आगे बढ़ के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मैं मान्यवर, प्रस्ताव पर बात कर रहा हूं वापस लेने के लिए तैयार हूं, मैं क्या मा0 मंत्री जी डिग्री लेने के बाद इण्टर और ग्रेजुएट करने के बाद जिन छात्रों ने बी0ए0, बी0एड0 की डिग्री ले ली, उन छात्रों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी जिस तरीके से अभी तक विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं वह भी लाखों की संख्या में छात्र हैं और पद भी रिक्त हैं। उन छात्रों को रोजगार देने का काम सरकार कर नहीं रही है और कह रही है कि नये छात्रों को ट्रेन्ड करने का काम करेंगे। नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का काम करेंगे बी0टी0सी0 के नाम से और बी0टी0सी0 की शिक्षा देकर उन्हें पढ़ायेंगे उसके बाद फिर रोजगार देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्ताव वापस लेंगे या नहीं लेंगे ?

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

आपके माध्यम से अनुरोध है कि मैं प्रस्ताव बिल्कुल लेने को तैयार हूं अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी इतना आश्वासन दे दें या आप अपनी पीठ से निर्देश कर दें कि जो विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया है उसके तहत जब तक बी0टी0सी0 के छात्र आयेंगे तब तक उस प्रक्रिया को बहाल करने का काम सरकार करे यह बहुत अच्छा सुझाव है और छात्रों के हित का सुझाव है। बेरोजगारों के हित का सुझाव है, इतनी व्यवस्था आपके माध्यम से चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इतना काम कर दें। मुझे लग रहा है कि माननीय मंत्री जी तैयार भी हैं। चूंकि आज बड़े जोश के साथ उन्होंने बेरोजगारों की बात को रखा, उन्हें आप अवसर दें तो वह करने को तैयार भी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है आप वापस नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश के सभी स्कूलों और कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा

* डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के सभी स्कूलों एवं कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाय।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, शिक्षा वह सोपान है जिससे हम राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के सोपान पर चढ़ते हैं। मान्यवर, भारतवर्ष का इतिहास बहुत पुराना है और सतयुग से लगाकर त्रेता हो या द्वापर हो, कृष्ण और सुदामा ने एक सा पाठ्यक्रम और एक सी शिक्षा ली थी। लेकिन द्वापर में आकर थोड़ी गड़बड़ हो गयी। राजकुमारों को शिक्षा देते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का ध्यान नहीं रखा और यही कारण है कि आगे जाकर यह विभेद उत्पन्न हो गया कि गरीब को अलग तरह की शिक्षा मिलेगी और अमीर को अलग तरह की शिक्षा मिलेगी। इस प्रस्ताव को लाने के पीछे मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं विरोध पक्ष में हूं या मैं सरकारी पक्ष में हूं। मैं तो उन लोगों को देखना चाहता हूं जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो वक्त और हालात के मारे हुये हैं जिनका कोई धना और धुरी नहीं है। उनके बच्चे कैसे स्कूलों में पढ़ते है। और कैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं, यह आपसे और हमसे किसी से छिपा नहीं है। सी0बी0एस0ई0 बोर्ड हो, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड हो या यू0पी0 बोर्ड और यहां तक कि आज तो बाहर के विश्वविद्यालय भी अपनी शिक्षा पद्धति लेकर यहां आने वाले हैं। हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं जिन बोर्डों से हम लोग पास होते हैं, उनकी सारी की सारी शिक्षा प्रणाली के अंदर, उनके पाठ्क्रमों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। मैं इतिहास भूगोल की बात नहीं करता। गंगा जमुना जहां पर हैं, वहां गंगा जमुना रहेंगी। अकबर जहां था। वहां पर अकबर ही रहेगा। हुमायूं का पुत्र था तो हुमायूं का पुत्र ही रहेगा। लेकिन मैं उन चीजों की बात करता हूं जहां पर गणित आती हैं जिसके अंदर साइंस आती है जिसके अंदर बायोलोजी आती है, जिसके अंदर और सारे विषय आते हैं। मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं कि सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के अंदर, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के अंदर और यू0 पी0 बोर्ड के अंदर इतनी भिन्नतायें हैं कि जब हम लोग आगे की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो पाते हैं कि सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से और आई0सी0एस0ई0बोर्ड से तो हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन यू0पी0 बोर्ड से हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति के बारे में हर कोई जानता है। मैकाले ने यह कोशिश की थी कि भारत के अंदर जितने भी गरीब हैं, जितने भी नीचे के लोग हैं, जितने भी एक तरह से भारतीय हैं, उनको इस तरह की शिक्षा दी जाय ताकि वह एक क्लर्क से ज्यादा कुछ न बन सकें और उसी शिक्षा पद्धति को आज हम लागू कर रहे हैं।

मान्यवर, यहां पर शिक्षा मंत्री भी हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी होंगे। लेकिन एक बात हम साफ-साफ कहें कि शिक्षा के लिये यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास पांच सितारा होटल जैसी सुविधायें हों। शिक्षा के लिये मुख्य मुद्दा यह है कि किस तरह का पाठ्यक्रम हो और किस तरह से हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक हों। जब गुरू रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शान्ति निकेतन को शुरू किया था तो वह पेड़ों के नीचे कक्षा लगाकर एक महाविद्यालय बनाने की स्थिति में रहे थे। हमारे यहां पर नालन्दा था, तक्षशिला था वहां पर गरीब चाहे वह कृष्ण हो या सुदामा हो एक सी शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन आज के पाठ्यक्रम के अंदर ऐसा विभेद उत्पन्न कर दिया गया है कि गरीब का बच्चा गरीब की तरह शिक्षा प्राप्त करेगा और अमीर का बच्चा कान्वेंट माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेगा। मेरा यह भी विचार नहीं है कि मैं आप लोगों से यह कहूं कि शिक्षा

का माध्यम क्या होना चाहिये। चाहे वह अंग्रेजी का माध्यम हो, चाहे वह हिन्दी का माध्यम हो, चाहे वह कोई और भाषा का माध्यम हो, लेकिन सारे हिन्दुस्तान के अंदर और विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक सा पाठ्यक्रम लागू करें, ताकि गरीब को और अमीर को एक सी शिक्षा मिले ताकि जब वह प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठें उस समय उन लोगों को एक से प्रश्न देखने को मिलें। मैंने देखा है कि यू0पी0 बोर्ड की और आई0सी0एस0ई0बोर्ड और सी0बी0एस0ई0 बोर्ड की इतनी भिन्नतायें हैं कि हमारे बच्चे वहां पर कम्लपीट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसको दलगत भावना से ऊपर उठते हुये, इस पर स्वस्थ चर्चा कराते हुये इस प्रस्ताव को पारित कराने की कृपा करें ताकि गरीब बच्चे को भी न्याय मिल सके। मान्यवर, जितने देश में गरीब होंगे, उतने ही अशिक्षित होंगे, यदि तीस करोड़ गरीब हैं तो भारत में तीस करोड़ अशिक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश के अन्दर यदि गरीबी की रेखा से नीचे साढ़े तीन करोड़ लोग हैं तो साढ़े तीन करोड़ लोग ही यहां पर अशिक्षित हैं। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर स्वस्थ चर्चा करायी जाये। और इसको बिना मतदान के पारित कराने की कृपा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुनील शर्मा-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, मैं डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैं गाजियाबाद शहर से आता हूं, जहां के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा के सभी सदस्य आतुर हैं कि हमें वहां एक प्लाट मिल सके। मान्यवर, शहर के अन्दर 258 बस्तियां अनधिकृत हैं, जिनमें गरीब लोग रहते हैं, दबे-कुचले लोग रहते हैं। उस शहर के अन्दर और पास में लगे नोयडा और अन्य शहरों में आज उद्योग धन्धे बन्द हो रहे हैं। जो उद्योगपति हैं वह इण्डस्ट्री बन्द करके स्कूल को खोलना अच्छा उद्योग मान रहे हैं। शिक्षा आज सेवा नहीं बल्कि उद्योग बन गया है, उसको व्यापार बना दिया गया है, जिसमें गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, जिसमें मध्यमवर्गीय परिवार भी जाने से सकुचाता है। दो तरह की शिक्षा को कई तरह के पाठ्यक्रमों के कारण बढ़ावा मिल रहा है। गाजियाबाद के अन्दर ऐसे-ऐसे स्कूल हैं, जिनकी फीस लाखों तक पहुंच जाती है। जो स्वतंत्र हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई सी0बी0एस0ई0 का स्कूल खुलता है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसे एन0ओ0सी0 जारी की जाती है और उस एन0ओ0सी0 के अन्दर एक शर्त है कि मैं अपने विद्यालय में 10 प्रतिशत अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ाऊंगा वह भी उस फीस पर जो माध्यमिक शिक्षा द्वारा निश्चित की गयी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो उस फीस पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ाता हो। जिला विद्यालय निरीक्षक की यह हैसियत नहीं है कि वह उन विद्यालयों के अन्दर जा सके। गेट का ताला बन्द कर दिया जाता है और प्रिंसिपल मना कर देती है क्यों जिला विद्यालय निरीक्षक के पास कोई ताकत नहीं है जिससे वह उन पर अंकुश लगा सके। मान्यवर, मेरा कहना है कि यह जो दोहरी शिक्षा चल रही है यह जब तक चलेगी तब तक समाज में वर्गभेद

रहेगा। यह सरकार अपने आपको दलितों का, गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार कहती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में समाज में असमानता खत्म करनी है और समानता लानी है तो सबसे पहले शिक्षा का दोहरा स्तर समाप्त करना होगा तभी असमानता समाप्त होगी अन्यथा समाज में कभी असमानता समाप्त नहीं हो सकती है। पूरे प्रदेश में जो दो तरह की शिक्षा चल रही है इसका पाठ्यक्रम एक किया जाये, जिसमें गरीब का बच्चा भी पढ़ सके और पूंजीपति का बच्चा भी पढ़ सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो दुकानें खुल गयी हैं शहरों में जिन पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। मान्यवर, जब उनको हम मान्यता दें, एन0ओ0सी0 दें तो कोई न कोई ऐसी शर्त भी होनी चाहिए कि आपके विद्यालय की अधिकतम फीस इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आज कोई सीमा फीस की नहीं है, चाहे कोई कितनी भी फीस ले ले, चाहे कितनी भी फीस बढ़ा दें। मान्यवर, वह कहते हैं कि साहब हमने स्कूल में ए0सी0 लगाये हैं, इसलिए 1 हजार रुपया बढ़ा दिया, साहब हमने स्कूल में वेस्टर्न म्युजिक का सिस्टम लगाया है इसलिए 5 सौ रुपया बढ़ा दिया। मान्यवर, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है मान्यवर, हम वहां बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या कोई होटल चलाना चाहते हैं। एक विद्यालय का स्वरूप विद्यालय का होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम निश्चित होना चाहिए और फीस वृद्धि पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए और तथाकथित जो बड़े स्कूल हैं जो बड़े लोगों के द्वारा चलाये जा रहे हैं जिनमें संभ्रान्त वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकें यह भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार उनको सस्ती जमीन देती है, विकास प्राधिकरणों द्वारा 40 प्रतिशत की दर पर उनको भूमि दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार उनको एन0ओ0सी0 देती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उन पर यह प्रतिबन्ध लगा सकती है कि आप अपने विद्यालय में इतने प्रतिशत गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ायेंगे, इतने प्रतिशत गरीब विद्यार्थियों को आपको प्रवेश देना ही होगा। यह प्रतिबन्ध लगेगा तो समाज में कुछ भेदभाव कम होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं और डा0 राजेन्द्र सिंह के प्रस्ताव पर बल देता हूं कि प्रदेश में दोहरी शिक्षा समाप्त की जाय।

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐसे विषय पर डा0 राजेन्द्र सिंह के प्रस्ताव पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर डा0 भीमराव अम्बेडकर तक और हम लोगों के प्रेरणा-पुरुष डा0 राम मनोहर लोहिया, सबका यह मानना था कि समाज से गैर बराबरी को समाप्त करना है, समाज में समाजवाद और समानता स्थापित करना है तो तमाम उपायों के साथ समान शिक्षा को भी लागू करना होगा। मान्यवर, हम लोगों के नेता डा0 लोहिया ने नारा दिया था कि 'राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान' और उस नारे के ऊपर ही समाजवादी आन्दोलन ने समान शिक्षा को लागू करने के लिए तमाम आन्दोलन किये। आज स्थिति यह है समाज की कि जैसा अभी हमारे मा0 सदस्य ने कहा कि तमाम स्कूलों में विभिन्न पाठ्यक्रम लागू है और वह पाठ्यक्रम छात्रों के शोषण का माध्यम बन गये हैं। एक स्कूल में जो शासकीय स्कूल है

उसमें पढ़ने वाले छात्र को जो शिक्षा दी जाती है जो पाठ्यक्रम है, अशासकीय विद्यालयों में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इससे जहां एक तरफ उनके बीच में भेद पैदा होता है, शिक्षा का स्तर अलग-अलग होता है वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में यह बात परिलक्षित होती है कि हम समानता के सिद्धान्त को पूरी तरह से अंगीकार नहीं कर पाये हैं। मान्यवर, यह शोषण का माध्यम इस तरीके से बना हुआ है कि तमाम निजी स्कूलों में हम लोगों ने देखा है कि 5 रुपये लागत की किताब 40-45 रुपये में बेची जा रही हैं और अभिभावकों को उस किताब को लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है और अभी कल हम लोग सदन (इस समय 2 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) में चर्चा कर रहे थे तमाम बच्चों की आत्महत्याओं के सिलसिले में। मैं कहना चाहता हूं कि जो दोहरी पाठ्यक्रम प्रणाली है, यह हमारे समाज में अभिभावकों के शोषण का और छात्रों के मनोबल को गिराने का माध्यम बन गयी है। अगर समाज को उन्नति की तरफ ले जाना है तो हमें भावी पीढ़ी के अन्दर मनोबल पैदा करना होगा कि हमारी भावी पीढ़ी यह समझ करके कि चाहे एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, चाहे एक मंत्री की संतान हो, सब अपने को बराबर समझ करके समाज की उन्नति के लिए कार्य कर सके।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करिये, कल सदन नहीं है, उसको भी देख लीजिए।

श्री अनूप सण्डा-

मैं संक्षेप में सिर्फ इतना कहते हुए कि अगर इस प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाना है, हमको अपने समाज में समानता लानी है तो समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने के लिए हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा0 राजेन्द्र सिंह व अन्य मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाय। मान्यवर, शिक्षा हमारे समाज की रीढ़ है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव होगा तो हमारे देश और समाज की दिशा भी खराब होगी और शिक्षा पर निर्भर करता है देश की विकास दर कैसी हो ? उसी के अनुरूप जिस तरह से कालेजों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है उसके अलग-अलग पाठ्यक्रम है। एक आदमी बड़े स्कूलों में जिसकी फीस मंहगी होती है, उसका बड़ा स्टैण्डर्ड मान लिया जाता है और उसमें बहुत पैसा देने के बाद ही दाखिला लेने के लिए तैयार होता है जहां बहुत ज्यादा फीस है वहां पर लोग क्यों इतना अन्तर कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह से भूमि का अधिग्रहण करते वक्त गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा दी जाती है कि उनको आरक्षण देते हैं इसी प्रकार इन बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में 10-20 प्रतिशत का आरक्षण गरीबों को देना चाहिए।

नियम-103 के प्रस्तावोपरान्त नियम-301 की सूचनाएं लिए जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

इस प्रस्ताव के समापन के बाद, मंत्री जी के वक्तव्य के बाद हम नियम-301 की सूचनाएं लेंगे। माननीय सदस्यों के लिए यह सूचनार्थ है।

प्रदेश के सभी स्कूलों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री मदन चौहान-

बड़ी-बड़ी संस्थाएं बड़ी-बड़ी जमीनें कौड़ियों के रेट पर लेती है लेकिन जमीन लेने के बाद जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको दाखिला नहीं मिलता है। बड़े-बड़े लोगों के बच्चों को लाखों रुपये लेने के बाद दाखिला मिलता है। यह विडम्बना है यह अगर दूर नहीं होगी तो समाज में असमानता बढ़ती रहेगी। पाठ्यक्रम ऐसा है कि कहीं इंग्लिस पढ़ाई जाती है, कहीं इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है कहीं बोर्ड के नियम लागू होते हैं कहीं सी0बी0एस0ई0 के नियम लागू होते हैं। जब तक समान शिक्षा नही मिलेगी तब तक गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है उन बच्चों के अन्दर शुरू से हीन भावना पैदा हो जाती है। स्नातक करने के बाद जब गांव का बच्चा रोजगार के लिए शहर जाता है तो उसके सामने बड़े स्कूल का बच्चा रोजगार के लिए जाता है वह इंग्लिश जानता है और किसी इण्टरव्यू में दोनों जाते हैं तो इंग्लिश जानने वाला बच्चा इंग्लिश में इण्टरव्यू देता है तो हिन्दी जानने वाला बच्चा हीन भावना के साथ अपनी लाइन से बाहर हो जाता है यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इस पर सरकार की ओर से गहन चिन्तन होना चाहिए। इस प्रस्ताव को श्री राजेन्द्र सिंह ने रखा है मैं इस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सदन में जैमर व्यवस्था के बावजूद मोबाइल क्रियाशील होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष जी आपने यहां पर जैमर लगा रखा है लेकिन उसके बावजूद मोबाइल काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह गलत बात है आप यहां मोबाइल लेकर आए ही क्यों ?

श्री इमरान मसूद-

जब्त कर लें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैमर लगने के बावजूद यह काम क्यों कर रहा है। हमने तो अपने मोबाइल की रिंग टोन आफ कर रखी है। मेरा इतना आग्रह है कि इसको दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

आप यहां मोबाइल लाए ही क्यों ? हम क्यों न ट्रायल आप पर करें।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय सदस्य का कहना है कि इनका मोबाइल साइलेंट मोड पर था यहां पर जैमर लगा होने के बावजूद इनका मोबाइल काम कर रहा है। इन्होंने आपके संज्ञान में लाने के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष-

उसका संज्ञान ले लिया है।

प्रदेश के सभी स्कूलों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा

(क्रमागत)

*माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

अध्यक्ष जी श्री राजेन्द्र सिंह जी नियम-103 के अन्तर्गत जो चर्चा इस सदन में कर रहे हैं निश्चित रूप से यह प्रदेश के बच्चों के हित में है मान्यवर, जहां तक समानता का सवाल है उस सम्बन्ध में सदस्य भी जानते हैं पूरा सदन इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् का एक बोर्ड काम कर रहा है। दूसरा सी0बी0एस0ई0 बोर्ड की भी अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई हो रही है तीसरा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड है। मान्यवर, बोर्डों के अपने-अपने पाठ्यक्रम होते हैं। मान्यवर, जहां तक सवाल है समानता का तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जितने भी हमारे लगभग 20 हजार विद्यालय हैं उसमें सबमें एक ही पाठ्यक्रम लागू किया गया है, उसमें कहीं भी कोई भिन्नता नहीं है कि किसी वित्तविहीन में दूसरा पाठ्यक्रम हो, अनुदानित में दूसरा पाठ्यक्रम हो और सरकारी में दूसरा पाठ्यक्रम हो। सभी में मान्यवर, एक जैसा पाठ्यक्रम लागू किया गया है। सी0बी0एस0ई0 का भी अपना पाठ्यक्रम है और मैं समझता हूं कि पाठ्यक्रम की वजह से असमानता नहीं होती है। पाठ्यक्रम जैसा भी हो अपने-अपने स्तर से, अपने-अपने विशेषज्ञों से बनवा करके लोग उसको लागू करते हैं और इसमें असमानता का कहीं कोई सवाल नहीं बनता है। जहां तक एक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यवर, 2005 में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया था और सभी बोर्डों से अपेक्षा की गई थी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप अपने-अपने पाठ्यक्रमों में संशोधन करें। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में संविधान के आधारभूत भावनाओं को पाठ्यक्रम का अंग बनाने के साथ स्थानीय परिवेश के अनुरूप छात्र केन्द्रित पाठ्यक्रम की संरचना पर बल दिया गया था और इसी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किये गये हैं उस नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो निर्धारित किया गया था उसमें राष्ट्रीय प्रेम, स्वतंत्रता आन्दोलन, नागरिक अधिकार, कर्तव्य, ऐतिहासिक विरासतों के प्रति लोगों को सचेत किया गया था और उसके अनुसार पाठ्यक्रम बना करके लागू किया गया और इसकी वजह से कहीं असमानता होगी, मैं नहीं समझता हूं। कहीं सी0बी0एस0ई0 स्कूल हैं, कहीं माध्यमिक शिक्षा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोर्ड के स्कूल हैं, कहीं पर आई0सी0एस0ई0 के स्कूल हैं और जहां जिसके नजदीक जो विद्यालय हैं उसमें एडमीशन लोग लेते हैं। माननीय सदस्य ने दो तीन बातें और रखी हैं, जैसे सी0बी0एस0ई0 के प्रश्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में मिल जाते हैं।

मान्यवर, ऐसा नहीं है अगर आप देखेंगे तो सी0बी0एस0ई0 के बच्चे ही नेशनल स्तर पर आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में शत-प्रतिशत सफल हों, ऐसा नहीं है मान्यवर। हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी बहुत ज्यादा बच्चे उसमें सफल होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो सी0बी0एस0ई0 में पढ़ाया जाता है, उसी तरह के प्रश्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आयें और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पढ़ाया जाता है उससे सम्बन्धित प्रश्न उसमें न आयें। उनका एक निर्धारित कार्यक्रम होता है उसके अनुसार प्रश्नपत्र बनाये जाते हैं और उसमें सभी बच्चे समान रूप से पूरे हिन्दुस्तान के बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरी बात यह कि कान्वेन्ट स्कूल में कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो या सी0बी0एस0ई0 द्वारा ज्यादा फीस ली जाती है बहुत जरूरी नहीं है कि वहां अच्छी पढ़ाई होती हो। अभी एक डिबेट हो रहा था किसी चैनल पर जिसको हमने देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसमें बच्चों से पूछा गया कि आप सी0बी0एस0ई0 स्कूल में क्यों जाते हैं, उसमें एक मात्र जवाब यह नहीं दिया गया कि उसमें अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए जाते हैं उसमें एक बच्चे ने कहा कि उसमें नम्बर ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं इसलिये हम उसमें जाते हैं। वहां पर एक प्रोफेसर जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के थे उनका यह कहना था कि अगर कोई बच्चा ज्यादा नम्बर पाये तो वह बच्चा मेघावी नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता तो जब प्रतिस्पर्धात्मक जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें कितनी सफलता किस बोर्ड के बच्चे ने प्राप्त किया, यह उस पर निर्भर करता है क्योंकि 98 प्रतिशत अंक पाने वाला सी0बी0एस0ई0 बोर्ड का बच्चा जो हमारे यहां के बोर्ड का बच्चा 80 प्रतिशत अंक पाता है वह आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 में सेलेक्ट हो जाता है लेकिन 98 प्रतिशत अंक पाने वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0सी0 बहुत अच्छा स्टैन्डर्ड का स्कूल है जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालय गांव में खुले हुए हैं वहां पढ़ाई ठीक नहीं होती है या उसका स्टैन्डर्ड ठीक नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने रखा है कि गरीब को अलग शिक्षा, अमीर को अलग शिक्षा, ऐसा नहीं है मान्यवर, हमारे जितने गर्वन्मेंट कालेज हैं उसमें सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक फीस निर्धारित है वह भी शिक्षण शुल्क नहीं है, बहुत नामिनल शुल्क है एडेड कालेज जितने हमारे हैं, उसमें कोई भी प्रवेश ले सकता है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य ने कहा कि लोहिया जी ने कहा था कि सबको शिक्षा एक समान, मान्यवर, कहना बहुत अच्छा लगता है नजदीक है वाणी, कुछ भी कह सकते हैं लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन है यहां माननीय सदस्यगण बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग होंगे जो यह न चाहते हों कि हमारा बच्चा सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0सी0 या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्टैन्डर्ड कालेज जो हैं उसमें न दाखिला ले जो माननीय सदस्य लोहिया जी की बात कर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं उनसे, सबसे ज्यादा लोहिया

जी के अनुयायी माननीय मुलायम सिंह यादव हैं और अपने बेटे को प्राइवेट कालेज में राजस्थान में, सी0बी0एस0ई0 के बोर्ड में भेजा, यहां उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी उनके स्टैन्डर्ड का विद्यालय नहीं मिला। अगर लोहिया जी के इतने बड़े अनुयायी थे तो जरूर अपने गांव इटावा के स्कूल में पढ़ाये होते या अनुदानित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालय में पढ़ाये होते, तब तो बात समझ में आती कि लोहिया जी के बड़े अनुयायी हैं जब मुलायम सिंह यादव ने उनकी बात नहीं मानी तो आपकी तो बात ही छोड़ दें।

(श्री प्रमोद तिवारी के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

मान्यवर, तिवारी जी जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो कहते हैं कि रहने दीजिए। हमारी नेता से शिकायत करते हैं कि आपने कैसे को माध्यमिक शिक्षा मंत्री बना दिया इनको अक्ल नहीं है और जब मैं गांव जाता हूं तो मेरी वाइफ कहती हैं आप पता नहीं कैसे मंत्री हैं कि हमारे भाई साहब आपकी आलोचना करते हैं कि इनमें कोई योग्यता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो शकल पर तय हुआ है। (हंसी)

श्री रंगनाथ मिश्र-

तिवारी जी के पिताजी ने मुझको पसंद किया था। इसलिए इनको कन्फ्यूजन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

यह अक्ल पर नहीं शकल पर तय हुआ है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर मेरे पिताजी ने गलत कर दिया है कि इनके यहां प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसकी सजा यह मुझे क्यों दे रहे हैं। (हंसी)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, एक बात किताब के मूल्य से सम्बन्धित, कहना चाहता हूं, मान्यवर, इसमें एक कमेटी बनी है और वह कमेटी निर्धारित करती है शुल्क और वह शुल्क छपा हुआ है उस शुल्क से ज्यादा कोई ले नहीं सकता है। अगर किसी को कठिनाई है कोई निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क ले रहा है तो बता दें तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। दूसरी बात मान्यवर, एक बात कही गई कि शुल्क सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0सी0 में बहुत ज्यादा लिया जा रहा है मान्यवर, यह हमारी पहली सरकार है जिसने इन विद्यालयों पर अंकुश लगाने के लिए कमेटी बनायी है और वह कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी है। किसी भी दशा में वह कमिश्नर की उस कमेटी द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकते हैं। यह हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी कि वह ज्यादा शुल्क ले सके। जहां तक सवाल है एडमीशन लेने का तो निश्चित रूप से एन0ओ0सी0 लेते समय उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को अपना एफीडेविट दिया है उसके अनुसार ही वह निर्धारित निर्धन छात्रों का एडमीशन लेंगे और नहीं लेंगे तो हमें अधिकार है डी0आई0ओ0एस0 को अधिकार है एक सदस्य ने कहा कि डी0आई0ओ0एस0 से कोई मतलब नहीं है लेकिन डी0आई0ओ0एस0 को अधिकार है वह उनकी

एन0ओ0सी0 वापस लेने की सिफारिश राज्य सरकार से कर सकता है और एन0ओ0सी0 जिस दिन वापस जाएगी उनकी बोर्ड से मान्यता समाप्त हो जायेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य ने चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा है और उसका निराकरण हो गया है, इसलिए इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं दलगत भावना से ऊपर उठकर यह प्रस्ताव लाया था, मैं चाहता था कि आई0सी0एस0सी0 बोर्ड और सी0बी0एस0ई0 बोर्ड जैसा ही पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए लेकिन मा0 मंत्री जी ने अपने लच्छेदार भाषण में सारी की सारी बातों को इधर से उधर कर दिया। एक गरीब के लिए यह प्रस्ताव लाया था और मैं चाहता था कि इस प्रस्ताव को सदन ध्वनि मत से पारित करेगा, वोटिंग करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, आप इसको देख लें और इसको ध्वनि मत से पास करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के सभी स्कूलों एवं कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब नियम-301 की सूचनाएं ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

सदन में मंत्रियों और सदस्यों का परस्पर परिचय कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

गुप्ता जी, हाथ में चोट लगी है, उसको बता रहे हैं या और कोई बात है ?

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मा0 सदस्यों ने जो संकल्प प्रस्ताव रखे, इसमें कई मा0 मंत्रियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नाम अभी भी मैं नहीं जान पाया, मा0 मंत्री जी तो जान गये, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जो किताब आपने छापी है, 3 साल के बाद मिली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, उसको पढ़ रहा हूं, पूरी तो अभी नहीं पढ़ पाया, लेकिन फोटो और शक्ल देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मा0 मंत्रियों का एक बार कम से कम परिचय हो जाए, सदन में ऐसी किसी परम्परा की शुरूआत हो जाए, जिससे यह मालूम हो जाए कि कौन से माननीय मंत्री जी कौन से विभाग के हैं, अभी तक हम सदस्यगण पूरी तरह से उनके बारे में नहीं जानते हैं, यही मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चलिए, उसकी व्यवस्था करेंगे।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 फरवरी, 2010 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत गुजरने वाली सई नदी पर उधरनपुर घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री जावेद अंसारी की जनपद जौनपुर के मल्हनी रोड स्थित ग्राम शिकारपुर में दहिरपुर नाले पर जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री इमरान मसूद की नगर निगम सहारनपुर के वर्तमान सहायक नगर आयुक्त के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद महत्वपूर्ण पद दिये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की राजकीय पालीटेक्निक कालेज, जनपद बदायूं के निर्माण के समय कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बाद भूमि विस्थापित को विभाग में नौकरी न दिये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की है-नहीं है। छठवीं सूचना श्री कैलाश चौरसिया की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसियेशन वाराणसी में बड़े पैमाने पर हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह "सीपू" की जनता इण्टर कालेज रतनोपुर, जनपद जौनपुर में श्रीमती रजनी द्विवेदी द्वारा प्रवक्ता के पद पर कार्य न करते हुये वेतन लेने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उरई से कोच मार्ग, कोच से नन्दीगांव मार्ग, उरई से मुहाना मार्ग, जोल्हूपुर मार्ग से कदौरा मार्ग अति जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री काशी राम की जनपद रामपुर में वर्ष 2007 में जारी किये गये शस्त्र लाईसेन्सों के अकारण नवीनीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां के कार्यालय में कार्यरत संग्रह कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र में कटरा से परशुरामपुर होते हुये लकड़ी मण्डी क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर के ब्लाक नकहर में शारदा नदी के द्वारा कटान की

भीषण समस्या एवं बाढ़ के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की-नहीं है। पन्द्रहवीं सूचना चौधरी सत्यपाल सिंह की जनपद अलीगढ़ की खैर तहसील के ब्लाक टप्पल के दर्जनों गांवों में हर साल हो रही जमुना के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सोलहवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की भारत नैपाल सीमा पर आई0एस0आई0 की गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में।

मा0 श्री जोखू लाल यादव जी मौजूद नहीं हैं, उसके स्थान पर हम अवधेश प्रसाद जी की सूचना ले रहे हैं। श्री आरिफ अनवर हाशमी जी नहीं हैं। आरिफ अनवर हाशमी जी की जगह पर हम ले रहे हैं, श्री दीप नारायण सिंह जी की सूचना को ....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज सामान्यतः समय का थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। बहुत से सदस्य हैं, वह यहीं कहीं और होंगे। मान्यवर, आज बजट प्रस्तुत हुआ है, मान्यवर, आज नियम 301 की अस्वीकार एवं अनुपस्थित सदस्यों की सूचनाएं भी ले ली जाएं, क्या फर्क पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

इतना अनुरोध मैं स्वीकार करता हूं कि जो अनुपस्थित हैं उनको भी उपस्थित मान लिया जाये। चलिए कुछ अनुरोध भी करके गये थे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज सब ले लीजिए। 14 हो ही गयी है, 7 बची है। अरे आज सब ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है। चलिए ले लेते हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत गुजरने वाली सई नदी पर उधरनपुर घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ से होकर सई नदी गुजरती है। इस सई नदी पर तहसील लालगंज के अन्तर्गत उधरनपुर घाट पर कोई पुल नहीं है जिसके कारण लोगों को आवागमन में समस्या होती है और उन्हें आने-जाने में असुविधा हो रही है। जनहित में लोक निर्माण विभाग के 'नाबार्ड' द्वारा एक पक्के पुल का निर्माण सई नदी के उधरनपुर घाट पर किया जाना अति आवश्यक है ताकि जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय के लिये एवं समीपवर्ती जनपद सुल्तानपुर के लिये सीधा रास्ता सुगम हो सके। सई नदी के उधरनपुर घाट पर पक्के पुल का निर्माण हो जाने से एक लाख से भी अधिक की आबादी लाभान्वित होगी तथा समीपवर्ती सुल्तानपुर, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ जाने के लिये सीधा एवं सुगम मार्ग लोगों को सुलभ हो जायेगा और ये जनपद एक-दूसरे से सीधे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जुड़ जायेंगे। इस स्थल पुल न होने के कारण लोगों को जहां आवागमन में भारी असुविधा हो रही है वहीं उनमें चिन्ता एवं निराशा भी व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के मल्हनी रोड स्थित ग्राम शिकारपुर में दहीरपुर नाले पर जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जावेद अंसारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद जौनपुर के सदर तहसील में जौनपुर-मल्हनी रोड़ पर स्थित ग्राम शिकारपुर में दहीरपुर नाले पर स्थित अति पुराने पुल की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है, इस काफी चौड़े नाले पर से ही जौनपुर-मल्हनी रोड व जौनपुर-मैजा रामपुर रोड पर जाया सकता है। सैकड़ों गांवों की जल निकासी इसी नाले से होती है और यह नाला गोमती नदी में जाकर गिरता है। जिला योजना वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में मेरे द्वारा चिन्ता व्यक्त करते हुए इस अति महत्वपूर्ण नाले पर स्थित अति पुराने एवं जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्ताव स्वीकृत कर जिला योजना समिति ने शासन को प्रेषित करते हुए धन की व्यवस्था करने की मांग की थी। बाद में निर्माण सामग्री के मंहगे हो जाने के कारण शासन ने संशोधित प्राक्कलन मंगाया। परन्तु धन अवमुक्त न हो पाने के कारण यह पुल लगातार और क्षतिग्रस्त होता चला जा रहा है। जन सामान्य की चिन्तायें भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अति जर्जर यह पुराना पुल किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है और भारी धन, जन की हानि हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त पुल निर्माण के प्रस्ताव को तत्काल जनहित में स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

सहारनपुर नगर निगम में वर्तमान सहायक नगर आयुक्त के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद महत्वपूर्ण पद दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इमरान मसूद-

[नगर निगम सहारनपुर के वर्तमान सहायक नगर आयुक्त के विरुद्ध वर्ष 2000-2001 में नगर पालिका परिषद् सहारनपुर में की गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं असंवैधानिक कार्यों हेतु श्री राज्यपाल महोदय के आदेश से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुये शा0 सं0-2735/नौ-3.2001-43 ई0ओ0/01 दि0 21-07-2001 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही वर्तमान में लम्बित होने के उपरान्त भी जांच नियमों के प्रतिकूल नगर विकास अनुभाग-04 के पत्र सं0 209 सी0एम0 19-04-009 डब्लू/2008 दि0 16-07-2009 द्वारा नगर पालिका परिषद् सहारनपुर में अधिशाषी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारी के पद पर तैनात कर दिया गया तथा जिससे उक्त अधिशासी द्वारा जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिये अपने पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग कर अभिलेखों एवं साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिशाषी अधिकारी के विरुद्ध नगर पालिका परिषद् अयोध्या जनपद फैजाबाद में गम्भीर दुराचरण वित्तीय अनियमितताओं तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर उत्पीड़न करने पर नगर विकास अनुभाग 4 द्वारा शा0सं0 1669/नौ-4.07.11 जांच/02 दि0 15-05-2007 द्वारा उक्त अधिशाषी अधिकारी को तद्दिनांक में प्रचालित वेतनक्रम में 2005(5) प्रक्रम नीचे अवगत करने के साथ ही इनके वेतन से रु0 51,297,60 शासकीय क्षति वसूली के आदेश के साथ नगर पालिका परिषद् मुजफ्फरनगर को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिये परिनिन्दित भी किया गया। इसके उपरान्त भी नगर विकास द्वारा उक्त अधिशाषी अधिकारी नगर निगम सहारनपुर में प्राईम पोस्टिंग देते हुये सहायक नगर आयुक्त के साथ साथ निगम के लेखाकार का महत्वपूर्ण दायित्व भी दे दिया गया है।

अतः मैं अविलम्बनीय इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

राजकीय पालिटेक्निक कालेज बदायूं के निर्माण के समय कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बाद विस्थापित को विभाग में नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[माननीय जी,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ओमशंकर पुत्र श्री भानुसहाय नि0 मु0 मीराजी सन् 1985 से पालीटेक्निक विभाग जनपद बदायूं द्वारा कालेज निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के बाद से ही भूमि विस्थापित रहा है। विभाग में अनेकों बार नौकरी दिये जाने हेतु आवेदन करता रहा है परन्तु वर्षों तक नौकरी नहीं दिये जाने के पश्चात् आयु सीमा भी समाप्त हो गयी तत्पश्चात् से ही अपने पुत्र तिलकराज सिंह को वारिस बनाकर नौकरी के लिये आवदेन करवा दिया था परन्तु केवल भविष्य में आश्वासन ही दिये जा रहे हैं। इसी आशा में मेरा पुत्र भी नौकरी पाने की नियत आयु सीमा पार करता जा रहा है।

माननीय जी, अन्य संस्थाओं से स्थानान्तरण करके तथा अनेक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण रुकवा कर अथवा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा राजकीय पालीटेक्निक कालेज बदायूं की दैनिक कार्य व्यवस्था को चलाया जा रहा है जबकि संस्था में अन्य अनेक शेक्षिक प्रणाली योजनायें चल रही हैं जिससे अनेक रिक्तियों की पूर्ति की आवश्यकता भी है।

जबकि राजकीय पालीटेक्निक विभाग बदायूं के द्वारा माननीय संयुक्त निदेशक महोदय, लखनऊ को पत्रांक संख्या 368/भूमि विस्थापित दिनांक 01 जून, 1999 एवं पत्रांक 874/875 भूमि विस्थापित दिनांक 7-3-1998 आदि के द्वारा आख्या आदि आदेशों की जानकारी शासन के अमल में लायी गयी है परन्तु अभी तक कोई भी पद सृजन कर मेरे पुत्र को नौकरी दिये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संज्ञान में लिया गया फलस्वरूप आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय राजकीय पालिटेक्निक कालेज बदायूं ने अपने पत्रांक 393/रा0पा0व0 भूमि विस्थापित दिनांक 24-4-2008 के द्वारा माननीय आयोग को प्रेषित करते हुये नियुक्ति नहीं किये जाने का कारण प्रदेशीय प्राविधिक शिक्षा विभाग से सृजित पदों की संस्तुति नहीं होना बताया गया है।

अतः माननीय जी से प्रार्थना है कि राजकीय पालिटेक्निक कालेज जनपद बदायूं में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा नवीन पद का सृजन करके अन्यथा अनेक वर्षों से कार्यरत रह रहे कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके मेरे पुत्र तिलकराज सिंह को विभाग में उचित स्थाई पद पर नोकरी दिये जाने की संस्तुति प्रदान कर राजकीय पालिटेक्निक कालेज जनपद बदायूं को निर्देशित करने की कृपा करें जिससे अनेक वर्षों से भूमि विस्थापित रहा आशातीत प्रार्थी का पुत्र विभाग की सेवा में कार्यरत रहकर गरीबी से दुखित अपने परिवार का जीवनयापन कर सके।]

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 द्वारा 25 वर्ष पूर्व अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखूलाल यादव-

[मान्यवर,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद विभाग द्वारा 25 वर्ष पूर्व दसियों गांवों के लोगों की जमीन नहर की खुदाई में अधिग्रहण कर लिया था जिसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। मान्यवर, इस विभाग ने रसूलहा माइनर की खुदाई में ग्राम बरेस्ता खुर्द, ऊगापुर, कटेहरी तथा रसूलहा आदि गांवों के किसानों की जमीन में से नहर की खुदाई का काम पच्चीसों वर्ष पूर्व कर लिया लेकिन आज तक इनके मुआवजों का भुगतान नहीं किया गया तथा इसी विभाग ने वारी राजबहा की खुदाई में ग्राम मोहिउद्दीनपुर तहसील हंडिया के किसानों की जमीन नहर खुदाई में 25 वर्ष पूर्व ले ली गयी। लेकिन आज तक उस गांव के किसानों को उनकी अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में रोष व्याप्त किसान आन्दोलित है।

अतः आपसे इस लोकमहत्व के अविलमबनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसियेशन वाराणसी में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश चौरसिया-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसियेशन वाराणसी में बड़े पैमाने पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनियमिततायें की जा रही हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षा 2007-08 में गोपनीय मुद्रण के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई पर कुल व्यय 8.5 लाख था जो सत्र 2008-2009 में 23.5 लाख हो गया। जबकि दोनों सत्र में छात्र संख्या बराबर थी। सत्र 2007-08 में वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र छपाई खर्च 16.00 लाख था जबकि यह खर्च 2008-09 में 40.00 लाख हो गया, सत्र 2007-08 में प्रवेश परीक्षा आवेदन-पत्र छपाई मात्र 70,000/- रुपये था जो सत्र 2008-09 में बढ़कर 7.00 लाख हो गया, जबकि छात्रों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। छपाई खर्च में दस गुना की वृद्धि हुई। इस तरह विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गयी जिसकी जांच होनी चाहिये।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जौनपुर के जनता इण्टर कालेज रतनोपुर में श्रीमती रजनी द्विवेदी द्वारा प्रवक्ता के पद पर कार्य करते हुये वेतन लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सर्वेश कुमार सिंह, 'सीपू'-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनता इण्टर कालेज रतनोपुर जौनपुर में श्रीमती रजनी द्विवेदी प्रवक्ता के पद पर सात वर्ष से तैनात हैं। परन्तु बच्चों को पढ़ाने कभी नहीं जाती हैं क्योंकि इनके पति संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर वाराणसी में कार्यरत हैं और जौनपुर जनपद वाराणसी मण्डल के ही अन्तर्गत आता है। यही नहीं श्रीमती द्विवेदी अपने पति के बल पर अनावश्यक हस्तक्षेप करके अपने विद्यालय के प्रबन्धक के ऊपर गलत दबाव बनाकर अपने विद्यालय के ही चार अध्यापकों को निलंबित करा दिया। इस तरह के दबाव के कारण विभागीय लोगों में गलत सन्देश गया।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के उरई-कोंच मार्ग, कोंच के नन्दीगांव आदि कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद चतुर्वेदी-

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई की सड़कों की जर्जर व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र उरई से उरई-कोंच मार्ग, कोंच से नदीगांव मार्ग, उरई से मुहाना मार्ग, जोल्हूपुर मोड़ से कदौरा मार्ग, कानपुर बाईपास से करमेर रोड को मिलाने वाली लगभग डेढ़ कि0मी0 सड़क, जहां बुद्धिजीवी, व्यापारी एवं दलित वर्ग के लोग आदि रहते हैं और शहर के बीच में स्थित है, तथा जनपद के सभी लिंक मार्ग पूरी तरह से जर्जर एवं ध्वस्त हो गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग सभी लिंक मार्ग जर्जर एवं ध्वस्त हो जाने के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। दो पहिया, चार पहिया वाहनों का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। यहां तक बैलगाड़ी एवं पैदल यात्रियों का चलना भी दूभर हो गया है। जर्जर सड़कों की हालत यह है कि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जगह-जगह बड़े बड़े गडढे हो गये हैं और बड़ी-बड़ी गिट्टियां तक उखड़ कर ऊपर आ गयी है, जिससे आम नागरिकों का आना-जाना एवं वाहनों का आना-जाना दुरुह हो गया है। उपरोक्त सड़कों को जनहित में बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है। सड़क व्यवस्था सही न होने से क्षेत्र के उद्योग धंधों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। क्षेत्र की जर्जर सड़कों के न बन पाने से क्षेत्रीय नागरिकों में काफी असंतोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय परसदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर में वर्ष 2007 में जारी किये गये शस्त्र लाइसेन्सों के अकारण नवीनीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी राम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद रामपुर में वर्ष 2007 में जारी किये गये शस्त्र लाइसेन्सों का जिलाधिकारी रामपुर द्वारा अकारण नवीनीकरण न करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद रामपुर में आत्म सुरक्षा के लिए बहुत से लोगों ने शस्त्र लाइसेन्स लिया है जिसमें वर्ष 2007 में जो शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं उनकी नवीनीकरण जिलाधिकारी रामपुर द्वारा नहीं किया जा रहा है जिससे शस्त्र धारकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किये शस्त्र लाइसेन्सों का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी रामपुर द्वारा नवीनीकरण न करने से शस्त्र धारकों में घोर असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जिलाधिकारी रामपुर को शस्त्र लाइसेन्सों के नवीनीकरण करने हेतु आदेश दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है क्योंकि वर्तमान में हाटा तहसील के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की दूरी बहुत अधिक पड़ती है जिसके कारण जनमानस को वहां पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में सरकार द्वारा कप्तानगंज नगर पंचायत को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में कागजी कार्यवाही भी की गयी है लेकिन अभी तक कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने की घोषणा नहीं की गयी जबकि नगर पंचायत कप्तानगंज तहसील बनाये जाने पूर्ण मानक रखता है। कप्तानगंज नगर पंचायत को तहसील बनाये जाने हेतु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धरना-प्रदर्शन किये जाते रहे हैं। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण जनमानस में असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ में जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां के कार्यालय में कार्यरत संग्रह कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना पर जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 आजमगढ़ की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिला सहायक निबन्धक (ए0आर0) आफिस में कार्यरत संग्रह कर्मचारियों का वेतन माह फरवरी, 2009 से आज तक नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। इन कर्मचारियों के बच्चों की फीस जमा करने में दिक्कत हो रही है, वेतन न मिलने से यह लोग भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। जबकि राज्य कर्मचारियों की भांति इनको भी सारी सुविधाएं अनुमन्य हैं फिर इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राज्य कर्मचारियों की भांति इन्हें भी सारी सुविधाएं देनी है लेकिन सरकार द्वारा इनके लिए कोई तात्कालिक लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। यह अत्यन्त ही जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। वेतन न मिलने के कारण लोग परेशान हो गये हैं। यह अन्यन्त ही गम्भीर मामला है।

अतः इस जनहित के प्रकरण पर जिला सहायक निबन्धक (ए0आर0) आफिस आजमगढ़ में कार्यरत संग्रह कर्मचारियों का वेतन माह फरवरी, 2009 से भुगतान कराये जाने हेतु आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के हरैया क्षेत्र में परशुरामपुर होते हुए लकड़मण्डी क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय को दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र हरैया जनपद बस्ती में कटरा से परशुरामपुर होते हुए लकड़ी मण्डी मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यह मार्ग स्वामी नारायण छपिया को भी जोड़ती है। उक्त मार्ग टूट जाने के कारण आवागमन में लोगों को बड़े पैमाने पर असुविधा का सामना करना पड़ता है। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, क्योंकि यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, टूटे मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में है। मेरे द्वारा बार-बार अनुरोध के बावजूद भी धन की उपलब्धता न होने की बात कही जाती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व एवं जनहित के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए क्षतिग्रस्त मार्ग को तत्काल लेपन स्तर निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के ब्लाक नकहर में शारदा नदी के द्वारा कटान की भीषण समस्या एवं बाढ़ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 कौशल किशोर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र 54 लखीमपुर (नया) के ब्लाक नकहर में सरकार की गलत नीतियों की वजह से शारदा नदी के द्वारा कटान की भीषण समस्या खड़ी हो गयी है और पूरा नकहर ब्लाक जलभराव व बाढ़ ग्रस्त हो जाता है। सरकार ने इस नदी के दोनों तटों पर शारदानगर से ऐरा रोड तक तटबंध बनाना स्वीकृत कर दिया है. फलस्वरूप उत्तरी तटबन्ध बी बनकर तैयार हो गया है और दक्षिणी तटबन्ध ए नहीं बनाया गया इसकी वजह से जो नदी का पानी पहले उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जाता था तो बाढ़ का पानी दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा बंटकर कम नुकसान करता था। अब वही नदी का पानी उत्तर की तरफ न कर पूरा पानी दक्षिण की तरफ जाता है जिसके फलस्वरूप शारदा नदी के दक्षिण बहुत बड़ी तबाही हो जाती है वैसे भी तटबन्ध दोनों तरफ साथ-साथ बनता तो ठीक था यदि एक ही तटबन्ध बनाया जाना था तो पहले तटबन्ध ए बनाना चाहिए था न कि बी।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर में आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा अधिकारी पद हेतु हुए साक्षात्कार में डा0 मकसूद अहमद पुत्र श्री मकबूल अहमद को न बुलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, डा0 मकसूद अहमद पुत्र श्री मकबूल अहमद निवासी ग्राम देवलहा पो0 गैंडास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर द्वारा विज्ञापन सं0-11/23, 11/24-1-2003-2004 पद आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्साधिकारी हेतु आवेदन किया। वर्ष 2008 में उक्त पद के लिए साक्षात्कार हुआ परन्तु आयोग ने इन्हें रजिस्ट्रेशन धारक न होने का जिक्र करते हुए साक्षात्कार से वंचित कर दिया जिस पर यह मा0 उच्च न्यायालय गये जिसके आदेश पर आयोग द्वारा दिनांक 23-5-08 को इनका साक्षात्कार लिया। जिसमें दो सदस्यों को ही रखा गया जबकि पूर्व में तीन सदस्यों द्वारा अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। इनके साथ भेदभाव रवैया अपनाते हुए दो सदस्यों द्वारा साक्षात्कार लिये जाने के कारण जो अंक मिले उसके हिसाब से 44 अंक मिले हैं। तीसरा सदस्य होता तो वह भी अंक देता और उसके दिये गये अंक के हिसाब से पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कट आफ मेरिट जो न्यूनतम अंक 64 थी उससे अधिक होते। इनके साथ जानबूझ कर भेदभाव किया गया और चयन से वंचित रखा गया।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ की बैर तहसील के ब्लाक टप्पल के दर्जनों गांवों में हर साल हो रही यमुना के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी सत्यपाल सिंह-

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद-खैर तहसील के ब्लाक टप्पल के दर्जनों गांव यमुना नदी के किनारे बसे होने के कारण हर साल यमुना कटान की गम्भीर समस्या से परेशान है। सैकड़ों एकड़ योग्य जमीन हरियाणा प्रदेश में चली गयी है। यमुना कटान से प्रभावित गांव धरवरा-महाराजगढ़, पीपली, लालपुर, किसनपुर, मिलक फतहपुर, शेरपुर मालंव, उटासनी, पौखदना आदि है।

उपरोक्त गांवों की कृषि की जमीन को यमुना कटान से बचाने हेतु विशेष कार्य योजना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही महाराज गढ़ गांव में अवैध रूप से चल रहे बालू खनन को तुरन्त रोककर भविष्य में इस गांव को नष्ट होने से बचाने हेतु कार्यवाही अत्यन्त जरूरी है। सरकार की आड़ में महाराजगढ़ गांव की कृषि योग्य भूमि से अवैध बालू खनन कर खनन माफिया पर्यावरण में हानि पहुंचा रहे हैं।

उपरोक्त गांवों के कटान की समस्या के निवारण हेतु अविलम्ब विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

भारत नैपाल सीमा पर आई0एस0आई0 की गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर मणि त्रिपाठी-

[महोदय, ग्राम सभा जुगौती तहसील नौतनवां, जनपद-महराजगंज नवीन पट्टी अ0 नं0 33 मी0, 37 मी0, 87 मी0, 156 मी0, 195 मी0, 204 मी0, 211 मी0, 90/306 मी0, 93 मी0 दर्ज है। जो उक्त गांव के दलित गरीबों को मिलना चाहिए पर अवैध रूप से कब्जा करके आई0एस0आई0 की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। प्रदेश और देश की एजेन्सियों की गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। बार-बार याद दिलाने पर भी मिली भगत होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

यह अत्यन्त ही गम्भीर प्रकरण है जो देश और प्रदेश के लिए सोचने का विषय है। अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय सूचना पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में नीलगायों के बढ़ते हुए आतंक को रोकने हेतु एक ठोस और समयबद्ध योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद-

[मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश इस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। जहां पर 72 फीसदी लोग खेती करते हैं। 8 फीसदी लोग खेती पर आधारित हैं, जिनके पास अपनी स्वयं की खेती नहीं है, लेकिन वह भी खेती करते हैं। इस प्रकार 80 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर है। आज किसान पर चौतरफा मार हो रही है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी अनावृष्टि, कहीं फसलों में आगजनी और कहीं महंगाई। ऐसी स्थिति में नीलगायों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि किसान बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो रहा है। क्योंकि महंगे दर पर बीज, खाद और दवा का इंतजाम करने के बाद बड़ी मुश्किल से सिंचाई कर पाता है और जब फसल तैयार होने को होती है तो नीलगायों का झुण्ड उनकी बोयी हुई फसल को देखते ही देखते चर जाते हैं। आज जो दलहन की समस्या है, इसका मुख्य कारण नीलगायों का आतंक है। सब्जियों की महंगाई का कारण भी नीलगायों का आतंक है।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है। सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि इस गम्भीर समस्या की रोकथाम के लिए बहुत शीघ्र कोई कार्य योजना बनाकर नीलगायों के बढ़ते हुए आतंक को रोकने के लिए एक ठोस और समयबद्ध योजना बनायी जाए और किसानों को इस महान संकट से बचाया जाए।]

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी में चिकित्सा शिक्षकों व रेजीडेन्ट डाक्टरों की कमी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी पुराना कालेज है जिसमें मेडिकल की पढ़ाई करने वाले एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 छात्रों का भविष्य खतरे में है क्योंकि मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया द्वारा विगत दो माह पहले नोटिस देकर चिकित्सा शिक्षकों एवं रेजीडेंट डाक्टरों की 23.8 प्रतिशत की कमी दिखयी गयी है। यदि उक्त कमी को सरकार द्वारा तत्काल पूरा नहीं किया गया तो मेडिकल कालेज तत्काल बन्द हो सकता है और इसमें अध्ययनरत मेडिकल छात्रों की पढ़ाई अधर में पड़ जायेगी जिससे काफी मेडिकल छात्रों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस प्रकरण से मेडिकल छात्रों में असन्तोष की भावना भी उत्पन्न हो गयी है और पठन-पाठन पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है, यह बहुत ही गम्भीर एवं लोक महत्व का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अलीगढ़ में छर्रा-हरदोई मार्ग पर नीम नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राम सिंह-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र गंगीरी जनपद अलीगढ़ में छर्रा-हरदोई मार्ग पर नीम नदी पर पुल निर्माण के लिए 2007 में सेतु निगम की आगरा इकाई से दो बार सर्वे कराया गया था जिसमें पुल निर्माण स्थल को उपर्युक्त माना था लेकिन पुल छोटा होने से लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने को लिखा गया था। लेकिन पुल का निर्माण कार्य सेकूपुर सटकना के बीच नीम नदी पर कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ। इस स्थान पर पुल के निर्माण हो जाने से कृषकों को अपनी उपज मण्डी समिति छर्रा ले जाने में बहुत सुविधा हो जायेगी, इसलिए यहां की जनता इस पुल के निर्माण हेतु काफी समय से मांग कर रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद अलीगढ़ में छर्रा-हरदोई मार्ग पर, नीम नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद की ग्राम सभा खोड़ा को नगर पालिका बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील शर्मा-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में ग्राम सभा खोड़ा की आबादी लगभग 8.5 लाख है, इस ग्राम खोड़ा का क्षेत्रफल 385 हैक्टेयर है इस एक ग्राम से जिला पंचायत के दो सदस्य चुने जाते हैं तथा क्षेत्र पंचायत के 15 सदस्य निर्वाचित होते है लेकिन इस क्षेत्र को अभी तक नगर पालिका परिषद् घोषित नहीं किया गया है यह अभी ग्राम (जिला पंचायत के अन्तर्गत) की श्रेणी में आता है।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित मानकों के अनुसार नगर पालिका बनाये जाने हेतु केवल 30 हजार आबादी का मानक है जबकि इस ग्राम की आबादी बहुत ज्यादा है। यह ग्राम वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गाजियाबाद-नोएडा तथा दिल्ली के मध्य गाजियाबाद जनपद का पहला ग्राम है। ग्राम केवल नाम का है अब यह पूर्ण रूप से शहरी आबादी है इस ग्राम को तत्काल नगर पालिका परिषद् घोषित किया जाना आवश्यक है।]

प्रदेश में जिलों से अस्सी हजार मीट्रिक टन चावल स्टेट पूल में लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, कुल धान खरद 31, दिसम्बर, 2009 तक एक लाख पन्द्रह हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य था। चावल लेबी मात्रा सत्तावन हजार मीट्रिक टन लगभग था, स्टेट पूल में उन्तालीस हजार मीट्रिक टन रहा जो अट्ठारह हजार मीट्रिक टन कम है, जो एफ0सी0आई0 में

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उतारने के आदेश हुए है जबकि जिले में ही विभिन्न योजनाओं में लगभग अस्सी हजार मीट्रिक टन चावल का वितरण होता है। इस प्रकार वितरण लक्ष्य में इकतालीस हजार मीट्रिक टन चावल कम पड़ रहा है जिसमें सरकार का लाखों रुपया अन्य जनपदों से चावल मंगाने में व्यय हो जायेगा तथा किसान का धान भी समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रहा है। यदि जिले की खपत का कुल लगभग अस्सी हजार मीट्रिक टन चावल स्टेट पूल में ले लिया जाय तो धान भी समर्थन मूल्य पर बिकेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन की महेवा ब्लाक की ग्राम पंचायत दयरास की वोटर लिस्ट में की गई गड़बड़ियों को ठीक करने तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयभान करवरिया-

[मान्यवर, ग्राम पंचायत दमरास ब्लाक महेवा तहसील कालपी जिला जालौन में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण बी0एल0ओ0 शिवराज सिंह चौहान (अमीन) के द्वारा कराया गया है। सर्वेक्षण का कार्य एक स्थान पर बैठकर किया गया है तथा ऐसे लोग जो नाबालिग हैं तथा उनकी उम्र 10 वर्ष या 12 वर्ष है तथा जिन लड़कियों की शादी हो गयी है तथा वे ससुराल में रहती हैं को वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। परिवर्धन सूची में ऐसे लोग जोड़े गये हैं तथा कई जो असली मतदाता है उन्हें विलोपन सूची में शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर वार्ड संख्या 04 के क्रमांक 270 से क्रमांक 275 वार्ड संख्या 11 के क्रमांक 530-536, वार्ड संख्या 13 के क्रमांक 652, 669, 670, 596 पर नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुये वोटर लिस्ट के सर्वेक्षण का औचित्य क्या है कि सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी किसी एक पक्ष के साथ मिलकर वोटर लिस्ट का गलत प्रकाशन कर चुनाव में निस्पक्षता को समाप्त करने का कुचक्र कर रहे हैं। इसी प्रकार से सम्पूर्ण प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव के वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है जिसमें निस्पक्षता आवश्यक है तथा यह सरकार का भी दायित्व है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर ग्राम दमरास की वोटर लिस्ट में की गई गड़बड़ियों को ठीक करने तथा गड़बड़ी करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर में नीम नदी पर दोनों पुलियाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के गांव खाद मोहन नगर विकास खण्ड स्याना, ग्राम खाद मोहन नगर के उत्तर की ओर से होकर नीम नदी गुजरती है इसमें अधिकतर वर्षा के समय में काफी पानी आता है, इस गांव की जमीन नीम नदी के दोनो ओर है इसलिए कृषकों को रोजाना खेतों में काम करने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। वर्षा के दिनों में हर वर्ष दुर्घटनायें होती

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहती है, कई व्यक्तियों की मौतें हो चुकी हैं। इस गांव की आबादी भी 10-12 हजार के आस-पास होगी। इस नदी के ऊपर दो छोटे पुल बनाये जाने आवश्यक है। ताकि इस गाव के कृषकों को अपने खेतों में काम करने के लिए आने-जाने में कठिनाई न हो। इस सम्बन्ध में कई बार विभिन्न स्तरों पर पुलियाओं के निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु पुलियाओं का निर्माण नहीं हो पाया। सार्वजनिक हित नीम नदी पर दोनों पुलियाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नीम नदी पर दोनों पुलियाओं का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में नोएडा प्राधिकरण द्वारा रिक्शा चालकों के पकड़े गये रिक्शों को वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, आज गौतमबुद्धनगर में नोएडा शहर एक महानगर का बड़ी आबादी वाला शहर बन चुका है। जिसमें गरीब, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी से लेकर मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग निवास करता है तथा लगभग 1 लाख नागरिक रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तथा मेहनत करके अपने बच्चों का लालन पालन करता है। हाल ही में प्रशासन नोएड़ा प्राधिकरण द्वारा सड़कों पर रिक्शा तोड़ने का अभियान चलाया, जिससे सैकडों लगभग 500 रिक्शाओं को बुलडोजर से तोड़ा गया तथा रिक्शा चालकों को पीटा गया है तथा चेतावनी दी कि कोई रिक्शा सड़कों पर नहीं चलेगी, सभी रिक्शा चालकों ने इकट्ठा होकर नोएडा अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया लेकिन रिक्शाओं को वापस नहीं दिया गया। मान्यवर, यह सूचना गरीब कमजोर मजदूर से जुड़ी है।

अतः शासन को निर्देश करने तथा रिक्शाओं को वापस दिलाने हेतु मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषणमुक्त रखने तथा पर्यावरण को सन्तुलित रखने हेतु बरगद, नीम, पीपल, शीशम आदि वृक्षों को राज्य मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपित किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी साहब, आज आप जारी कर दीजिए। फिर आपका सुन लेंगे।

चौधरी सत्येंद्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश के समस्त राज्य मार्गो को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राज्य मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† दिनांक 11 मार्च, 2008 की कार्यवाही से।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)†

(माननीय अध्यक्ष द्वारा डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव जी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ज्योसना श्रीवास्तव नहीं हूं मैं प्रमोद तिवारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप कई रूप में दिखायी देते है, तो भ्रम हो जाता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब आपसे बड़ा खतरा हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज 11.00 बजे से लेकर 12.05 तक जब तक बजट प्रस्तुत होता रहा माननीय वित्त मंत्री जी कुछ घबराए-घबराए से थे, कुछ कांप से गये थे, कृपया जानकारी प्राप्त कर लें, क्यों ऐसा हुआ। अब अगर मुख्यमंत्री जी थी उस वजह से घबराये थे तो स्वाभाविक है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, माननीय ज्योत्सना श्रीवास्तव जी नहीं हैं, इसको लेप्स (व्यपगत) करते हैं।

जनपद आगरा को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण तथा आगरा विकास परिषद् द्वारा किसानों की खेती योग्य उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाये जाने तथा जनपद आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-25 और 26 में डा0 धर्मपाल सिंह जी ने मुझसे खुद मिल करके लिखित अनुरोध किया है कि वह अपने दोनों प्रस्ताव वापस लेते हैं इसलिए इनका प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-2, आवास विभाग, अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-8, उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-9, ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-22, खेल विभाग, अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-37,

---

† दिनांक 11 मार्च, 2008 की कार्यवाही से।

नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (देवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें), अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग, अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-3 लेते हैं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक-एक रख दें।

(कई सदस्यों के एक साथ रखने का अनुरोध करने पर।)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की शिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-2, 7 लगायत 9, 11, 13, 18, 22, 25, लगायत 27, 30 लगायत 31, 35, 37 लगायत 38, 40, 44, 47, 49 लगायत 51, 56, 58, 61 लगायत 62, 65, 72, 76 लगायत 80, 85 लगायत 86 के अन्तर्गत कुल रुपये दो हजार पांच सौ बाइस करोड़ सत्ताइस लाख छब्बीस हजार (रुपये 2522,27,26000/-) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये स्वीकार की जाये।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है:-

1-अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 5,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

2-अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 5,02,50,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

3-अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

4-अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,26,73,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

5-अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 2,45,85,000 रुपये अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

6-अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास) के अन्तर्गत 4,14,63,95,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

7-अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 15,70,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

8-अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

9-अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 28,29,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

10-अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,63,61,96,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

11-अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 34,93,62,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

12-अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

13-अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 88,03,65,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

14-अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 1,60,82,70,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

15-अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

16-अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,38,65,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

17-अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 3,00,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

18-अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,56,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

19-अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 10,15,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

20-अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

21-अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

22-अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

23-अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत 7,43,02,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

24-अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 1,67,67,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

25-अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,61,32,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

26-अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 4,33,36,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

27-अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत 23,30,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

28-अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,10,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

29-अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 9,50,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

30-अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,19,68,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

31-अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

32-अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 1,09,18,42,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

33-अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 1,22,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

34-अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 36,93,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये,

35-अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 8,12,03,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 02, 07 लगायत 09, 11, 13, 18, 22, 25 लगायत 27, 30 लगायत 31, 35, 37 लगायत 38, 40, 44, 47, 49 लगायत 51, 56, 58, 61 लगायत 62, 65, 72, 76 लगायत 80, 85 लगायत 86 के अन्तर्गत कुल रुपये दो हजार पांच सौ बाईस करोड़ सत्ताइस लाख छब्बीस हजार (रुपये 2522,27,26,000) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

(प्रतियां वितरित की गई)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010

31 मार्च, 20010 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2010 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2009-2010 के लिए 3132,56,71,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2010 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 3132,56,71,000 रुपये (तीन हजार एक सौ बत्तीस करोड़ छप्पन लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, से अधिक न हो।

---

† दिनांक 22-2-2010 के असाधारण गजट में प्रकाशित।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारा-2 और 3 देखें)

अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
02	आवास विभाग	राजस्व :	2	---	2
		पूंजी :	3	5160	5163
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	50250	---	50250
		पूंजी :	----	---	0
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	20000	---	20000
		पूंजी :	----	---	0
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	12670	---	12670
		पूंजी :	3	---	3
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	---	---	0
		पूंजी :	24585	---	26585
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	1646395	---	1646395
		पूंजी :	2500000	---	2500000
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	---	---	0
		पूंजी :	157000	---	157000
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	----	37289	37289
		पूंजी :	----	----	----
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	----	144	144
		पूंजी :	----	----	0
22	खेल विभाग	राजस्व :	500	----	500
		पूंजी :	----	----	0
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	282917	----	282917
		पूंजी :	----	----	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	1636196	----	1636196
		पूंजी :	----	----	0
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	346362	---	346362
		पूंजी :	3000	---	3000
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	5000	---	5000
		पूंजी :	----	---	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	----	---	0
		पूंजी :	880365	---	880365
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	1608270	----	1608270
		पूंजी :	----	----	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	50000	---	50000
		पूंजी :	----	---	0
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	23865	---	23865
		पूंजी :	----	---	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	300000	---	300000
		पूंजी :	2700000	---	2700000
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	----	---	0
		पूंजी :	1560000	---	1560000
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	101500	----	101500
		पूंजी :	----	----	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	3	----	3
		पूंजी :	----	----	0
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	----	----	0
		पूंजी :	1	----	1
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	1	----	1
		पूंजी :	----	----	0
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	----	---	0
		पूंजी :	74302	---	74302
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	----	----	0
		पूंजी :	1676700	----	1676700
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1613200	6060352	7673552
		पूंजी :			0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	433600	----	433600
		पूंजी :	----	----	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व :	2330	---	2330
		पूंजी :	----	---	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	10500000	----	10500000
		पूंजी :	50000	----	50000
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	95000	---	95000
		पूंजी :	----	---	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	11968	---	11968
		पूंजी :	----	---	0
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	----	---	0
		पूंजी :	10000	---	10000
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	1021204	---	1021204
		पूंजी :	70638	---	70638
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	1220000	---	1220000
		पूंजी :	----	---	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	3693	---	3693
		पूंजी :	----	---	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	81203	---	81203
		पूंजी :	----	---	0
	योग	राजस्व :	15516129	6097785	21613914
		पूंजी :	9706597	5160	9711757
	महायोग :		25222726	6102945	31325671

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 पारित किया जाये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 को पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2009-2010) का प्रथम प्रतिवेदन

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2009-2010) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरी विशेषाधिकार की नोटिस है, उसको आपने छोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष-

संशोधन रखें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं उम्मीद करता था कि मंत्री जी इस विशेष विधेयक को प्रस्तुत करते समय कुछ इसके उद्देश्य और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे लेकिन उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। यह स्वयं में सरकार की मन्शा, इस अनावश्यक विधेयक को बहुमत के बल पर पास करने की स्पष्ट होती है। मान्यवर, इसका नाम ही है, "राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक" और विशेष परिक्षेत्र है क्या मान्यवर, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, डा0 अम्बेडकर विहार लखनऊ, सामाजिक प्रतीक स्थल लखनऊ, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल लखनऊ, 13 माल एवेन्यू लखनऊ, इसमें अगर आगे लिख दिया जाता मुख्यमंत्री आवास तो ज्यादा स्पष्ट होता मान्यवर। मान्यवर, श्री कांशीराम जी हरित पर्यावरणीय उद्यान लखनऊ, रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ, उ0प्र0, गौतमबुद्ध समता मूलक स्थल, गौतमबुद्ध नगर, बुद्ध बिहार शान्ति उपवन लखनऊ, स्मृति उपवन लखनऊ। यह प्रमाणित होता है कि जिस सरकार ने अभी सब स्मारक और स्थल का निर्माण कराया उसकी सुरक्षा के बारे में यह विशेष चिन्तित हैं और उद्देश्य और कारण में भी लिखा है, राज्य में स्मारक, पार्क एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, ऐसे स्मारकों, पार्कों और अन्य स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मान्यवर, इनको सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह जो संरक्षित ऐतिहासिक इमामबाड़ा है, अन्य उसी के समकक्ष स्थल है,

राम जन्म भूमि है, कुशीनगर का गौतमबुद्ध का निर्वाण स्थल है, अयोध्या है मान्यवर, काशी है, सारनाथ है, यह सब विशेष संरक्षित स्थल के अन्तर्गत आवश्यक नहीं हुए हैं क्योंकि इन्होंने इनकी स्थापना नहीं किया और उन पर कोई खतरा भी यह नहीं महसूस करते, विशेष संरक्षण की इनको क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या खतरा है, मुख्यमंत्री जी के आवास पर क्या विशेष खतरा हो गया, कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सी ऐसी वहां विशेष सम्पदा है, फिर अन्य मुख्यमंत्रियों के स्थल को क्यों नहीं असुरक्षित विशेष सुरक्षा के योग्य माना, जो पूर्व हो चुके हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मान्यवर और इस पर 50 करोड़ रुपया खर्च होगा जनता का, इसलिए यह विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या पुलिस बल उत्तर प्रदेश का विश्वसनीय नहीं रह गया क्या। क्या जो अन्य स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल इमामबाड़ा, कुशीनगर सारनाथ, ताजमहल, राम जन्मभूमि, काशीविश्वनाथ, मथुरा-वृन्दावन इन सबको, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा कर रही है उससे यह सरकार सुनिश्चित है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस बल से इन स्मारकों की सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित क्यों नहीं समझते, इसकी व्याख्या नहीं है इसमें। आखिर कुछ तो बतायें। क्योंकि इस पर जनता का 50 करोड़ रुपया खर्च होगा और यह कोई स्थाई चीज भी नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, बाकी सरकारों का पूरा विश्वास इस उत्तर प्रदेश की पुलिस पर रहा है अन्य सुरक्षा बलों पर रहा और उनके जिम्मे ताजमहल से लेकर के बाकी जितने नाम हमने गिनाये और जो नहीं भी गिनाये, लेकिन सुरक्षा की आवश्यकता है जिस पर कि आतंकवादी खतरे की सुनिश्चित जानकारी है। आतंकवादी उस पर आक्रमण भी कर चुके हैं, उसके लिए तो विशेष सुरक्षा बल नहीं बना मान्यवर, उसे विशेष परिक्षेत्र नहीं घोषित किया गया सुरक्षा के लिए, इसमें क्या कारण हैं यह बतायें तो। हमें तो लगता है मान्यवर, कि किन्हीं विशेष कारणों से 13 माल एवेन्यू का बंगला जिस पर भय व्याप्त है, उसको सुरक्षित करने के लिए इन सबको जोड़ दिया गया, क्योंकि केवल उसकी सुरक्षा के लिए, अब यह क्या है उसमें, कौन सी चीज है।

मान्यवर, कौन सी सम्पदा है जिसके कारण इतना भय व्याप्त हो गया है और उसकी वजह से अब यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। मान्यवर, गौतम बुद्ध कहा करते थे कि मनुष्य की सारी विकृति है दोष जो है वह भय और लोभ है। उन्हीं भय और लोभ से मुक्त करने की बात उन्होंने कही थी। गौतम बुद्ध जी की कभी मूर्ति नहीं बनी चित्र नहीं बना। उनके 600 साल के बाद उनकी मूर्ति की कल्पना की गयी और उनमें आस्था रखने वाले लोगों ने उनकी मूर्ति बनायी। अब उनके प्रति आस्था रखने वाले ऐसे लोग भी हो गये हैं जो उनकी आस्था व्यक्त करते हुए अपने नाम की मूर्ति बना रहे है अपनी मूर्तियां लगवा रहे हैं। और उसके लिए खतरा है। संसदीय कार्य मंत्री जी स्पस्ट करें कि क्या खतरा है जो अन्य सुरक्षित स्थलों, अन्य ऐतिहासिक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भिन्न है। उनको आखिर किस से खतरा है।

मान्यवर, राम जन्म भूमि में आतंकवादी हमला हो गया वह पीएसी के हवाले है, पैरा मिलेट्री फोर्सेस के हवाले है। दुनिया का सातवां आश्चर्य ताजमहल पैरा मिलेट्री फोर्सेस के हवाले है उत्तर प्रदेश की पुलिस के हवाले है। जिस गौतम बुद्ध की नीतियों और उपदेशों के प्रति आप आस्था व्यक्त करते हैं उनसे सम्बन्धित सारनाथ और कुशीनगर के महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश की पुलिस के हवाले है और आप सुनिश्चित है कि वह सब सुरक्षित हैं।

यह प्रदेश आपसे जानना चाहेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य पैरा मिलेट्री फोर्स जो अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को सुरक्षित देख रहे हैं और यह प्रदेश की जनता सुनिश्चित है उनकी सुरक्षा के प्रति, फिर आप अपने बनाये गये स्मारकों के प्रति इतने आशंकित क्यों है। और, फिर उन स्मारकों की परिधि में मुख्यमंत्री का आवास कहां से आ गया। यह बात आप स्पष्ट करें। आप इसे पास करा लेंगे अपने बहुमत के आधार पर। लेकिन यह बहुमत की तानाशाही है। आपके अपने बहुमत और संख्या बल के आधार पर संसदीय कार्य मंत्री जी यह भी कर सकते हैं कि पूरे विपक्ष को सदन के बाहर कर दिया जाये। उसके बारे में हम औचित्य का प्रश्न भी नहीं उठा पायेंगे और बाहर कर दिये जायेंगे। यह प्रदेश और सदन जानना चाहता है कि कौन सा कारण है और कौन सा क्षेत्र है, कौन सा भय है, कौन सा आतंक है, कौन सा डर है जो आपको इन स्मारकों को इन स्थलों को और वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास को वह असुरक्षा पैदा कर रहे हैं जो असुरक्षा अन्य सभी ऐतिहासिक प्रमुख स्थलों को नहीं है। जब हम सब स्थलों को सुरक्षित रखने में प्रदेश की पुलिस, पीएसी प्रदेश का प्रशासन, केन्द्र की पैरा मिलेट्री फोर्स सक्षम है और आप आश्वस्त है तो फिर इन स्थलों और स्मारकों के लिए क्यों नहीं। इनकी व्यवस्था उनके अधीन रखने में आपको क्या आपत्ति है यह आपको स्पष्ट करना चाहिए। आपने एक लाईन लिख दी है कि स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। अन्य स्थलों की सुरक्षा से आप सुनिश्चित है यहां की सुरक्षा से जनता सुनिश्चित है तो फिर इन स्थलों, स्मारकों की सुरक्षा पुलिस के हाथ में कैसे सुनिश्चित नहीं रहेगी। उनके लिए आप अलग से फोर्स क्यों बना रहें हैं। आप 32-35 हजार अतिरिक्त सिपाही नियुक्त करने जा रहे हैं, आपके पास फोर्स की कमी है उसको आप पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए इस बात को आपको स्पष्ट करना चाहिए। मान्यवर, यह अनावश्यक है, यह कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के आवास को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में है जो विशेष भय और आतंक में जी रही हैं। मुख्यमंत्री के बंगले को सुरक्षित रखने के लिए उसे आडम्बर प्रदान करने के लिए अन्य स्मारकों के साथ जोड़ रहे हैं। उसके लिए आप इतना बड़ा धन व्यय करने जा रहे हैं जो अनावश्यक है।

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बहुमत चाहेगा तो विकास के नाम पर क्या कुछ भी किया जा सकता है क्या उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है। मान्यवर, 60-62 साल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस तरह की बात नहीं की है कि बहुमत की सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की क्या समीक्षा नहीं हो सकती है। यह आपके कार्य पद्धति पर है क्योंकि आपकी कार्यपद्धति लोकतांत्रिक नहीं है। आपको पैसे का, जनता के पैसे की पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है। आप शाही ढंग से पैसे को खर्च कर रहे हैं। महापुरूषों की मूर्ति लगाने पर किसी को आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है जो आपत्ति की जाती है नरायना गुरू जी की लगाइये, छत्रपति शाहू जी महराज की लगाइये, अम्बेडकर जी की सब लगाते हैं, सब महापुरूष मानते हैं लेकिन मूर्ति को लगाने के नाम पर आप वैभवशाली शाहंशाही खर्च करें इस पर आपत्ति है। वह तो अपना जीवन सादगी में जिये और उनको इतना पैसा खर्च करके आप लगा रहे हैं जनता का एक गरीब जनता का गरीब प्रदेश का उस पर आपत्ति है महापुरूष की मूर्ति लगाने पर नहीं। आप बार बार अपने इस खर्च को छिपाने के लिए महापुरूष की मूर्ति लगाने पर आपत्ति की बात कर देते हो, महापुरूष की मूर्ति लगाने पर आपत्ति नहीं है। वे थे महापुरूष, उन्होंने अपना जीवन समाज के

लिए समाज सुधार के लिए गरीबों के उत्थान के लिए लगाया है, त्याग किया है लेकिन उनके नाम पर वैभवशाली शाहंशाही फिजूलखर्ची की जाय इस पर आपत्ति है और यह भी फिजूलखर्ची है यह कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को अपने बंगले को सुरक्षित रखने के लिए जोकि अघोषित भय चर्चित कारणों से है। उस भय से अपने को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। जो अन्य स्मारक हैं उनको कोई खतरा नहीं है आज तक कभी अखबार में भी नहीं आया है कि उनको कोई खतरा है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि वह जो विधेयक है यह पास करने योग्य नहीं है इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जिससे कि इस पर विस्तार से बात कर सकें, चर्चा कर सकें फिर यह सदन के सामने लाया जाय और इस पर मत हो। मेरा पुनः इस पर बल है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहुत ही संवेदनशील विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह विधेयक मेरी समझ से परे है, इसलिए समझ से परे है कि यह किसी नये राज्य का गठन नहीं हो रहा है। यह राज्य न जाने कितने वर्षों से स्थापित है। इस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था न जाने कितने वर्षों से चल रही है। मान्यवर, सरकारे बदलती रही लेकिन जो हमारा पुलिस बल था जो सशस्त्र बल था वह चलता रहा। मान्यवर, यह कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गयी कि आज एक नये-बल का गठन करना पड़ रहा है और क्यों करना पड़ रहा है उन मूर्तियों की रक्षा करने के लिए, स्मारकों की रक्षा करने के लिए जो विवाद सुप्रीमकोर्ट में चल रहा है। मेरा सिर्फ यह कहना है और मेरा पहला प्रश्न सरकार से यह है कि आखिर यह बतायें कि इनकी अपनी ही पुलिस पर यकीन क्यों नहीं है ? क्या इनका विश्वास अपने पुलिस बल से हट गया है, इनका विश्वास पीएसी से हट गया है, इनका विश्वास जो आज उपलब्ध सशस्त्र बल है उससे हट गया है, अगर नहीं हटा है तो एक नये बल की आवश्यकता क्यों पड़ी ? मान्यवर, बहुत स्मारक हैं यह सारे स्मारक पूज्यनीय हैं, आदरणीय हैं इनमें जो मूर्तियां स्थापित हैं मैं उन पर आदर के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी मूर्तियों से कोई आपत्ति नहीं, स्मारक से कोई आपत्ति नहीं परन्तु उसके नाम पर जनता पर दो तरह के खर्च लगाये जा रहे हैं एक तो उसको जब आप गठित करेगें तब लगेगा और फिर एक अनन्त काल तक लगता रहेगा मान्यवर, इसे रिकरिंग कहते हैं। हर वर्ष प्रत्येक वर्ष उनके रख-रखाव में लगेगा फिर जो आपने आज कहा है क्या इतना ही बल रहेगा इसकी कौन सी गारंटी है ये और बाद में आगे चलकर बढ़ेगा तो क्या मान्यवर, इस बल में और पुलिस बल में वैमनस्थ पैदा करके लड़ाने का काम सरकार नहीं कर रही है। मान्यवर, मैं मान सकता था कि स्मारक की रक्षा के लिए कोई विशेष कार्ययोजना है उसके लिए कोई विशेष बल गठित हो जैसे एंटी डकैती के लिए मान्यवर, विशेष सुरक्षाबल बढ़ाया गया था लेकिन यहां तो स्मारकों की रक्षा के लिए मान्यवर, कोई ऐसा खतरा भी नहीं दिखायी पड़ता कि आप वहां तोप लगाओगे, आप वहां पर लाइट मशीनगन लगाओगे फिर खतरा किससे कौन ऐसा है जो मान्यवर, महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ेगा, जो अम्बेडकर की मूर्ति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तोड़ेगा। इस प्रदेश में हजारों मूर्तियां पहले से लगी है आज तक इनको किसी ने हानि नहीं पहुंचायी तो आपको अपनी बनी मूर्तियों के हानि पहुंचने का अंदेशा क्या है ? इसलिए मेरे कहने का आशय है कि विधेयक में जो दिख रहा है वह नहीं है। इस विधेयक में जो नहीं दिख रहा है वह आपका इरादा है मैंने जो भी ओम प्रकाश जी ने कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता लेकिन उनकी बातों का समर्थन करता हूं एक-एक बात का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो बल आप गठित करने जा रहे हैं इसका स्पेशलाइजेशन क्या है। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता होगी जो बल आप गठित करेंगे। स्पष्ट करें कि जो आपका अभी का वर्तमान का पुलिस बल है और इस बल में कौन सा तकनीकी फर्क होगा, कौन-सा ज्ञान का फर्क होगा, कौन-सा अनुभव का फर्क होगा और सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपको अपनी पुलिस बल पर विश्वास क्यों नहीं है ? सबसे पहले तो आप यह स्पष्ट करें और फिर बताये कि इस बल को गठित करने में आपको कौन-सा स्पेसलाइजेशन है मान्यवर, मैं किसी की तुलना किसी से नहीं करता सभी महापुरूष हैं, लेकिन मान्यवर, बहुत से बहुत पहले से बने हुए हैं और वह पुलिस बल जिस राज्य का है या केन्द्र का है उसकी सुरक्षा हो रही है। वहां ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आयी है मुझे ऐसा कोई खतरा भी नजर नहीं आता मान्यवर, कि जैसे बम्बई में हमला हुआ है वैसा कोई हमला इन पार्कों में होगा, कोई अगर ऐसी सूचना है तो मैं चाहूंगा कि सरकार सदन को बता दे कि उसको ऐसे खतरे मिले हैं। मैं मान्यवर, सिर्फ इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यह अनावश्यक तो है ही, फिजूलखर्ची तो है ही है, वैमनस्य बढ़ाने वाला है, यह दुश्मनी पैदा करने वाला है। यह अपने पुलिस बल पर अविश्वास पैदा करने वाला है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसको आप एक महीने के लिए समिति को सुपुर्द कर दें, सारे विचार आ जाए और उस विचार के आने के बाद ही इस पर विचार करें, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपने संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मा0 नेता भाजपा, मा0 श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने और मा0 श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो बातें कहीं मैं शब्दशः उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हुआ और उनमें से किसी भी बात को न दोहराता हुआ। उनकी सारी कहीं हुई बातें हम लोगों की बातें हैं। मैं उनके आगे की बातों पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की धारा 2(ड) "विशेष परिक्षेत्र का तात्पर्य ऐसे किसी क्षेत्र से है जिसके अन्तर्गत धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा उद्घोषित सामाजिक, परिस्थितिकीय तथा सौन्दर्यात्मक महत्व की संरचनाएं और मूर्तियां स्थित है" और इसके साथ एक सूची है, जो उस विशेष क्षेत्र की सूची को देती है मा0 ओम प्रकाश जी इसका जिक्र कर रहे थे। मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि किसी विधेयक की एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप कोई धारा बनाते हैं और उस धारा के अनुरूप कोई अनुसूची घोषित करते हैं तो उस अनुसूची में घोषित स्थानों को उस धारा के अनुरूप ही होना चाहिए। मैं जरूर यह जानना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी अब भी जबाव देने के लिए खड़े होते हैं अनुसूची-1

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो पृष्ट नं-9 पर दिया है। अनुसूची-1 के 5 नंबर क्रम पर 13 माल एवेन्यू, उ0प्र0 यह किसका निवास है इससे मैं कोई रूचि नहीं रखता। मेरा विषय यह है कि 13 माल एवेन्यू में ऐसी कौन सी सामाजिक, परिस्थितिकीय और सौंदर्यात्मक महत्व की संरचनाएं और मूर्तियां हैं ? मैं तो जानता हूं वहां कोई व्यक्ति है किसी का निवास। अगर ऐसी कोई चीज 13 माल एवेन्यू में है इसके अनुरूप उसको इन धाराओं के अन्तर्गत इस अनुसूची-1 की सूची में लाना आवश्यक था तो मा0 मंत्री जी जब भी जबाव देते हैं तो यह औचित्य सिद्ध करना चाहिए कि 13 माल एवेन्यू को इस परिभाषा विशेष क्षेत्र की परिभाषा जो बनायी गयी है, उस परिभाषा में किस आधार पर डालने का काम किया गया है ? दूसरी चीज उसके ठीक नीचे की धारा अगर आप देखिए जिसके लिये नागरिक धन देगें क्योंकि इसमें लिखा है प्राधिकृत अभिकरण का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्टर्ड अधिनियम, 1807 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी समिति या राज्य सरकार के द्वारा विशेष परिक्षेत्र के मामले में प्रबन्धन कार्य के कारण निरस्त किये गये ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के आधार पर राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके द्वारा स्थापित किसी निगम से है अर्थात् अगले चरण में यह जो प्रथम अनुसूची की 10 संरचनायें हमें दी गयी है उनकी रक्षा के लिये सरकार के खर्चे पर अर्थात् नागरिकों के खर्चे पर एक ट्रस्टी बोर्ड का गठन होने वाला है, एक निगम का गठन होने वाला है जिसके कर्मचारियों को भी सरकारी कोष से ही खर्चा मिलना है। इन दो मूल बातों के अलावा अब मैं इस पुलिस बल के आधार पर आता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस पुलिस बल में जो कर्मी नियुक्त होगें वह सरकारी होगें या क्या होगें। क्योंकि बताया यह गया है कि इसका अध्यक्ष महानिदेशक होगा, इसकी नियुक्ति महानिदेशक करेगा और इस पर नियंत्रण महानिदेशक का होगा। हम लोग यही जानते हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी राजनैतिक गतिविधि या किसी राजनैतिक संगठन का सदस्य बनने का अधिकार नहीं होता। इसकी धारा 15 को पढ़ा जाय। बल का कोई सदस्य राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व लिखित संस्तुति के बिना अर्थात् यदि कोई चाहता है तो उसे एक लिखित पत्र देना होगा उसे संस्तुति नहीं भी मिल सकती है और उसे संस्तुति मिल भी सकती है, किस चीज के लिये, कि किसी व्यवसाय संघ किसी श्रमिक संघ या राजनैतिक संघ, यह बहुत स्पष्ट है सरकार के नियम बहुत साफ है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक संघ का सदस्य नहीं होता। अनुमति लेने का प्रावधान नहीं होता। आप अनुमति भी नहीं ले सकते हैं। यह मानकर चलते है कि सरकारी कर्मचारी को किसी राजनैतिक संगठन का सदस्य नहीं होना है। यहां एक नई धारा जोड़ी गयी है यदि कोई व्यक्ति किसी राजनैतिक संघ का सदस्य बनना चाहता है और वह पुलिस बल का हिस्सा है तो उसे एक लिखित पत्र देना होगा और अनुमति मिल जाय तो वह राजनैतिक संघ का सदस्य भी बन सकता है। यह कौन सी सरकारी संस्था है सरकारी पैसे पर चलने वाली है सरकार इसकी नियुक्ति कर रही है जिसे हम राजनैतिक संगठनों की हिस्सेदारी करने की भी छूट दे रहे हैं। क्या यह कोई स्पेशल परपज व्हैकिल है जिसमें इस बल के नाम पर हम किसी राजनैतिक संगठन के सदस्यों को ही डालने वाले हैं यह स्पष्ट होना चाहिये क्योंकि यह पहले पुलिस बल के सदस्य बनेंगे फिर एक एप्लीकेशन देंगे और लिखित संस्तुति लेंगे और जिस दल के लिये काम करना चाहेंगे उस दल के लिये काम करेंगे। दूसरी चीज, अब इस बल के अधिकार देखिये। हमारे यहां सब डिफाइन है। हम किसी को बिना सर्च वारन्ट के तलाशी नहीं ले

सकते हैं हम किसी को निरुद्ध या किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यह पुलिस बल जिसकी योग्यता के बारे में ही नहीं लिखा गया है बाकी सब लिखा गया है। योग्यता क्या होगी यह हम समझ सकते हैं, किसी एक दल का सदस्य बनना हो सकती है अन्यथा यह होता कि हाईस्कूल पास होगा, इण्टरमीडिएट पास होगा, इतनी तेज दौड़ता होगा, सायकिल चलाना जानता होगा, सीना इतना चौड़ा होगा, जो पुलिस की भर्ती के नियम होते हैं अगर पुलिस बल है तो यही सब कुछ होना चाहिए था। उसको यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर उसने बॉथरूम में खड़े किसी व्यक्ति को देख लिया, उसको लग गया कि यह आदमी कुछ खुराफॉत करने वाला है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। यह कौन सा बल है जिसे इन 11 स्मारकों की रक्षा के लिए यह पॉवर जो शायद पोटा में भी नहीं होता होगा, इतना बड़ा अधिकार हमने दे दिया है।

मान्यवर, दूसरी चीज, नियम यह है कि अगर हमने किसी को गिरफ्तार किया तो 24 घण्टे के अन्दर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। यहां क्या प्रावधान है, धारा-14 में है कि **"इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाले बल का कोई भी सदस्य,"** वह सबसे छोटा भी हो सकता है क्योंकि वह सदस्य है, **"बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के,"** यानी कि अगर वह विलम्ब को परिभाषित कर सके तो वह 24 घण्टा भी हो सकता है, 24 दिन या 24 साल भी हो सकता है, जैसे चाहे वैसे हो सकता है अन्यथा यह परिभाषित होता है। इसके अतिरिक्त और कि उसे कहां जाना है मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, इसमें लिखा है कि **"अनावश्यक विलम्ब के गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी के हवाले किया जायेगा"**। अब उसके बाद पुलिस अधिकारी जो विलम्ब करेगा, वह अलग करेगा। कोर्ट यह कहती है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक नहीं रखा जा सकता है। सरकार को यह बताना चाहिए कि पुलिस की अभिरक्षा में वह कब से माना जायेगा, जब से उस बल का सदस्य उसे गिरफ्तार करेगा तब से या जब वह सदस्य उस गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पुलिस के हवाले करेगा तब से ? मान्यवर, यह चीजें बहुत साफ डिफाइन होना चाहिए क्योंकि हम लोग एक ऐक्ट बनाने जा रहे हैं। तीसरी चीज, इस पुलिस बल के सदस्य को कैसे बन्द किया जायेगा, उसके प्रावधान बनाये गये हैं। मान्यवर जब यह पुलिस बल है, पुलिस इसकी नियुक्ति कर रही है, डी0जी0पी0 इसका अधिकारी है तो पुलिस के किसी भी सामान्य कर्मचारी के ऊपर कैसे कार्रवाई की जाती है, अनुशासनहीनता कैसे परिभाषित होती है, किसी प्रकार की गलती के लिए किस प्रकार के दण्ड दिये जाते हैं, यह सब परिभाषित है पुलिस ऐक्ट में। अगर यह सब परिभाषित है तो अलग से यह विशेष परिभाषा बनाने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी सदस्य को हम दण्डित करना चाहें तो कर भी लें और न करना चाहें तो छोड़ भी दें। यह विवेकाधिकार पैदा करने की जो प्रक्रिया पैदा की गई है यह भी अनुचित है। मान्यवर, एक चीज और, इसके अन्तिम प्रावधान में क्या लिखा है, मान्यवर, यह सब लिखने से ही यह सारा मामला बना, न लिखा होता तो नहीं बनता, सीधे-सीधे लिख देते कि यह पुलिस बल है जो पुलिस के नियमों के अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट-1861 या जो भी होगा, उसके अनुरूप संचालित होगा, बस बात खत्म हो गई होती। इसके अतिरिक्त आप जितना लिखेंगे उतना ही हमें बोलने का अवसर देंगें इसमें मान्यवर, लिखते क्या हैं, **"इस अधिनियम के बनाये प्रत्येक नियम को उसके बनाये जाने के यथाशीघ्र बाद राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में हो"** मैं तो

सात साल से हूं ज्यादा दिनों से तो नहीं हूं, 30 दिन तक तो हमने कभी सत्र चलते देखा ही नहीं यानी कि कभी नहीं, **"30 दिन के लिए सत्र में हो जो एक सत्र या उससे अधिक लगातार सत्रों का हो सकता है"** मान्यवर, शब्द है लगातार, लगातार होना चाहिए **"सदन के सम्मुख रखा जायेगा"** अर्थात् अगर कोई सत्र 30 दिनों का लगातार न हो तो इस पुलिस बल के जो नियम बनाये जायेंगे, उनको सदन के सम्मुख न रखने की भी सरकार को छूट होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा और सत्तापक्ष में बैठे लोगों से भी कहूंगा, आज आप बनायेंगे किसी और चीज के लिए, कल हो सकता है जो सत्ता में हो, वह इन्हीं प्रावधानों का प्रयोग करे अपने तरीके से आपके शस्त्रों का प्रयोग करे आपके विरुद्ध। इसलिए मैं कहूंगा कि लोकतान्त्रिक पद्धति से जो पूर्व में पुलिस ऐक्ट बनाये गये हैं उनके अनुरूप जो कार्य करना हो करें, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

* श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार के द्वारा आज इस आदरणीय सदन में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया गया है, लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे प्रदेश के पुलिस बल का मनोबल गिरेगा और जनता में भ्रम पैदा होगा कि आखिर प्रदेश की पुलिस क्या नकारा हो गयी है, क्या उस पर वर्तमान सरकार का विश्वास हट गया है ? यह तमाम सवालात तो उठेंगे ही और साथ ही साथ हमारे प्रदेश की पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, तमाम चुनौतियों का सामना भी किया है। जब हमारे पास इतने सक्षम, योग्य अधिकारी व कर्मचारी हैं तो अलग से जो विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल बनाया जा रहा है, तो यह कल के भविष्य के लिए स्वस्थ लोकतंत्र पर हमला है। इसी आदरणीय सदन में, आदरणीय नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय नेता भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश सिंह जी और आदरणीय डा0 अग्रवाल जी ने बहुत विस्तार से बातें रखी हैं। मैं उनसे अपनी भावना को जोड़ते हुए निश्चित रूप से यह जो अलग से पुलिस बल का विधेयक लाने का प्रयास किया जा रहा है, यह एक पार्टी के कार्यकर्ता तैयार करने का असफल प्रयास है क्योंकि इसकी जो भावनायें हैं, इसकी सर्विस रूल क्या होगी, किस तरह से प्रमोशन होंगे, कहां पर ट्रांसफर होगा, इसके बारे में साइलेण्ट है, कुछ भी नहीं कहा गया है ? एक जगह दिया हुआ है कि राजनीति में प्रार्थना-पत्र देकर के ये जा भी सकते हैं, जो किस पार्टी में जायेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का खुला चेक है कि जब भी जायेंगे, बहुजन समाज पार्टी में जायेंगे। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से उनको पैसा मिलेगा, उनको भत्ता मिलेगा, उनको तमाम सुविधायें मिलेंगी और प्रयास किया जा रहा है, शक्ति बढ़ायी जा रही है, यह सत्तापक्ष के कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का असफल प्रयास है। मान्यवर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यह काला विधेयक होगा, लोकतंत्र पर हमला होगा, इससे प्रदेश में पुलिस बल में एक बिखराव और अलगाव की भावना पैदा होगी। श्रीमन्, आज अलगाववाद से तमाम ऐसे संगठन चाहे नक्सलवादी संगठन हों, आतंकवादी संगठन हों इस तरह से तैयार हुये है। श्रीमन्, अभी सवेरा है, इस सरकार पर ब्रेक लगाया जाए और इस काले कानून को न पास कर सके, जिससे प्रदेश में अलगाववादी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

स्थिति पैदा हो। आज आतंकवाद और नक्सलवाद से पूरा प्रदेश और देश दुखी और परेशान है। तीसरी समस्या, इस तरह का विधेयक ला करके खड़ा कर देंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए। धन्यवाद।

(डा0 पी0 के0 राय व चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

काफी लोग बोल चुके हैं, सारी बातें आ चुकी हैं, चार-छः लोगों ने विचार रख दिये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई दलगत चर्चा नहीं हो रही है कि हर दल के नेता बोल लें।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, प्रस्तावकों की सूची में जो नाम है उस पर भी कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आपको तो मौका मिलेगा ही।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर जो विचार माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस, मा0 प्रमोद तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के डा0 आर0 एम0 डी0 अग्रवाल साहब, अवधेश प्रसाद जी ने रखे हैं उससे सम्बद्ध करते हुए मात्र एक दो मिनट में अपनी बात समस्त कर दूंगा। स्पष्टतौर पर, जो यह विधेयक लाया गया है उससे जो बातें स्पष्ट हो रही हैं कि वर्तमान समय में प्रदेश की 18 करोड़ जनता की हिफाजत के लिए उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए उसमें सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्य और मंत्री लोग सम्मिलित हैं उनकी रक्षा के लिए जो पुलिस लगी हुई है। उस पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं पर वर्तमान सरकार का विश्वास नहीं रह गया है और इस वजह से इस पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में जिस प्रदेश के लिए कई तरह के सवाल उठते हैं विभाजन के कि बड़ा प्रदेश है इसलिए संभल नहीं पा रहा है उस प्रदेश में विशेष बल गठित करने का कार्य मात्र इस लखनऊ में बने हुए कुछ चन्द स्मारक और स्थल और एक जो किसी व्यक्ति का आवास है 13 माल एवेन्यू उसके लिए एक बल का गठन किया गया है और गरीबी के बोझ से जूझ रहे इस प्रदेश, आर्थिक तंगी मे जूझ रहे इस प्रदेश का करोड़ों रुपया इस बल के ऊपर खर्च किया जाना है। एक सदस्य ने इस बात को कहा है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बातें बिल्कुल मन को घर कर रही हैं कि लगता है जो लोग पहले से ही उन जगहों की सुरक्षा के लिए लगे हुए है जो किसी एक दल विशेष के सदस्य लोग हैं उन लोगों को ही राज्य कर्मचारी का दर्जा, पुलिस का दर्जा और पुलिस को मिलने वाले जो अधिकार हैं उन्हीं सारे अधिकारी से सुसज्जित कर देने का कार्य करने की मंशा संभावित है वरना इसमें स्पष्टतौर पर उल्लेख किया गया होता कि इस परिधि में जो भी मानक आपके हैं वह मानक क्या हैं क्या उन मानकों में कुशीनगर का बौद्ध स्थल नहीं आएगा, सारनाथ नहीं आएगा, अयोध्या नहीं आएगी, काशी नहीं आएगी, मथुरा नहीं आएगा जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वह नहीं आएंगे। कोई न कोई आधार होना चाहिए। आखिर यह आशंका क्यों है कि स्थलों का खतरा है। इस खतरे का कोई कारण उल्लेख नहीं किया है। लेकिन इनकी सुरक्षा और असुरक्षा का भाव क्यों है इस सम्बन्ध में नहीं बताया गया। साम्प्रदायिक तनाव है या क्या वजह है जिसकी वजह से इन 12-13 स्थानों की सुरक्षा के लिए बल के गठन की आवश्यकता पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है अध्यक्ष जी कि यह मानवाधिकार का भी हनन है। एक ऐसे बल को इतने अधिकार दे देना जैसा कि कहा गया है। कोई आदमी टायलेट के सामने खड़ा हो, कोई कागज के टुकड़े फेंक रहा हो, कुछ अपने पाकेट में रख रहा हो या निकल रहा हो बिना किसी कारण बताए तो किस आधार पर यह मजिस्ट्रेट के अधिकार को छोड़कर उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास मजिस्ट्रेट के अधिकार नहीं है यह मानवाधिकार का हनन है। बिना कारण बताए बिना किसी आधार के कहीं से उसको गिरफ्तार कर लिया जायेगा यह पुलिस बल को अधिकार दिया गया है। जिसका कोई भी मानक निर्धारित नहीं किया गया है क्या क्वालीफिकेशन होगी लेकिन पुलिस महानिदेशक के अधीन होंगे उन्हीं की तरह से पुलिस कर्मी की तरह से उनको वेतनमान मिलेगा, भत्ते मिलेंगे। इस बात का निश्चित तौर पर इसमें उल्लेख किया गया है। मान्यवर, यह बहुत बड़े काले अध्याय की शुरूआत हो रही है अगर ऐसा हो गया तो आपस में वैमनस्य और आपस में एक घृणा का वातावरण बनेगा और इस बल का गठन हो जाएगा तो आपस में टकराहट की स्थिति होगी यह लोकतांत्रिक नहीं, यह लोकशाहियत का इंतजाम है। लोकतंत्र में लोकशाहियत की व्यवस्था कैसे की जा सकती है ? राजशाहियत का इंतजाम कैसे किया जा सकता है ? उस दिशा में यह एक पहल है, इसलिये इसको निश्चित तौर पर प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए और इस तरह का माननीय अध्यक्ष जी, आपकी पीठ से निर्देश होना चाहिए कि ऐसे बल का गठन नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ में इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कितने सदस्य इस पर बोल चुके हैं जैसे कि कोई चर्चा हो रही हो। जैसे मैंने कोई चर्चा करा दी हो, इतने सदस्य बोल रहे हैं। अब इस पर सारी बाते आ गई है। आप लोग बोलने के शौकीन हो गये हैं, इसलिये बोलना चाहते हैं। एक ही बात सब लोग दोहरा रहे हैं। जो माननीय राधा मोहनदास अग्रवाल जी, माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा, वहीं बात रिपीट की जा रही है। अब एक बात कह दी गई है जरूरी तो नहीं है कि सब लोग रखेंगे तब ही उस पर बल पड़ेगा। चलिये, सोलंकी जी, अब आप खड़े हो गये हैं तो दो मिनट में अपनी बात कह दें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, आभारी हूं आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने दल की तरफ से अपनी बात रखने का मौका दिया। हालांकि काफी बातें माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने, माननीय डा0 पी0के0 राय जी ने, तमाम सदस्यों में रखीं। मैं उनकी बातें को नहीं दोहराऊंगा, अपने आप को उनकी बातों से सम्बद्ध करते हुए खाली इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी क्या परिस्थिति है सरकार के सामने कि जो हमारा पुलिस बल है, जिस पुलिस बल के सहारे हम सदन में घोषणा करते है बड़े गर्व के साथ कि हमारा पुलिस बल आतंकवादियों से लड़ सकता है। हमारे प्रदेश में कोई भी दिक्कत आये, कानून व्यवस्था के नाम से उस सबसे लड़ने में वह सक्षम है तो उस पर प्रदेश सरकार को विश्वास नहीं रह गया। प्रदेश सरकार को एक नये बल को गठित करने की जरूरत पड़ गयी। अगर आज यह विधेयक पास होता है माननीय अध्यक्ष जी तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हमारा जो पुलिस बल है, जो जवान उसमें काम कर रहे हैं पुलिस बल में उनका हम मनोबल गिराने का काम हम करेंगे। उनकी हौसला अफजाई करने का काम हम नहीं करेंगें बल्कि उनके मनोबल को हम नीचा करने का काम करेंगें क्योंकि उनकी योग्यता पर हमको विश्वास नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज की कमी रह गई और मेरा तो अनुरोध भी है कि संख्या बल के आधार पर यह पास तो हो जायेगा लेकिन जो उधर के विधायक बैठे हैं इनके आवासों को और इसमें सम्मिलित करने का काम सरकार करे। एक आवास की आवश्यकता नहीं बल्कि उधर जो मंत्रि प रिषद् के लोग और विधायक हैं, इनके आवासों को और उसमें सम्मिलित कर लिया जाय तो फिर ब ुत अच्छा यह विधेयक होगा। मैं तो इधर के जितने भी सम्मानित माननीय सदस्य हैं, इनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर यह विधेयक आज विधान सभा में इन सभी सदस्यों की मौजूदगी में पास होता है तो इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा बल्कि इधर के माननीय सदस्यों को भी इतिहास कभी माफ करने का काम नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक पुलिस बल के लिये नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी देने का, पेंशन भत्ते देने के लिये यह विधेयक लाने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन इसमें नियुक्ति होने का काम होगा उस दिन देख लेना आप इसमें तमाम उन राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों को भर्ती करने का काम किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, बात आ गई आपकी।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस संशोधन पर बल देते हुए इसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने की मांग करता हूं।

(सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बस और नहीं। एक घण्टे से ज्यादा समय हो गया है।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, यह जो बिल लाया गया है, इसमें ऊपर ही लिखा गया है-**"राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल"**। शुरू में ही लिखा गया है कि राज्य द्वारा स्थापित परिक्षेत्र के बेहतर संरक्षा मान्यवर, 'बेहतर संरक्षा और सुरक्षा' संरक्षा का इस्तेमाल क्यों किया गया है पुलिस बल में यह सुरक्षा के लिए संरक्षा की आवश्कता नहीं है। इसका अभिप्राय हुआ कि उसका संरक्षण भी या उसका मेन्टीनेंस कार्य भी इस बल द्वारा या इस विधेयक द्वारा लाये कानून में यह व्यवस्था की जाएगी कि उसके मेन्टीनेस जैसे रख-रखाव के कार्य भी यही बल करेगा। अन्त में मान्यवर, यह लिख दिया गया है 'प्रथम चरण में केवल एक बटालियन का गठन किया जायगा। उक्त बल के अस्तित्व में आने पर राज्य की समेकित निधि से आर्वतक एवं अनावर्तक व्यय अन्तर्ग्रस्त हैं, जो क्रमशः रुपये 14 करोड़ (प्रतिवर्ष) एवं रुपये 53 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस वित्तीय व्यवस्था में भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है। मान्यवर, मूल धन का इसमें कोई विवरण नहीं दिया गया है ताकि विरोधी पक्ष के लोग यह न कह सकें कि इतना धन केवल सुरक्षा पर खर्चा किया जा रहा है, उसकी संरक्षा पर खर्चा किया जा रहा है। यह इसकी नीयत है। मान्यवर, हम कहना चाहतें हैं इसी में आपने लिखा है कि यह अधिनियम राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल अधिनियम, 2010 कहा जाएगा। इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।' इसको पढ़कर हम लोगों के मन में एक विचार आया कि यह लखनऊ तक ही सीमित नहीं है प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इसका विस्तार किस रूप में किया जाएगा मान्यवर, इसमें हम दो मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं आज मान्यवर, रेल सुरक्षा बल है हवाई सुरक्षा बल है, औद्योगिक सुरक्षा बल है, सशस्त्र सुरक्षा बल है लेकिन सड़कों की सुरक्षा के लिए कोई बल नहीं बना हुआ है। हम लोग चलते है एक पेड़ गिर गया मान्यवर, उसको हटाने की जिम्मेदारी न तो पी0डब्लू0डी0 विभाग की है न पुलिस की है न अन्य किसी की है, दो सौ गाड़ियां एक तरफ मान्यवर, और दो सौ गाड़ियां एक तरफ, खड़ी हो जाती है अगर नीयत ठीक हो तो मान्यवर यह सरकार चाहती है तो इसका विस्तार करें।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

परन्तु इसी के अन्दर सड़क सुरक्षा बल, भी कर दें जिससे प्रदेश में सड़क द्वारा यातायात निर्विघ्न रूप से हो सके।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट खन्ना साहब। आप कह लें। जल्दी खत्म करें। सड़कों को नुकसान पहुंचाने का काम बार-बार किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं आप इसी का विस्तार करके सड़क सुरक्षा बल इसका नाम कर दें तो हम वापस ले लेते हैं। अगर सड़क सुरक्षा बल इसका नाम कर देंगे तो प्रदेश के लोगों को, सड़क से यातायात करने वाले लोगों को इससे राहत मिलेगी और प्रदेश के लोगों को इससे राहत मिलेगी और ऐतिहासिक इमारतें हैं पूरे प्रान्त में, उसको भी इससे जोड़ दिया जाए, यही हमें कहना है धन्यवाद।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक के सम्बन्ध में, संशोधन में मेरा भी नाम है, और इसमें मैंने भी अनुरोध किया है संशोधन पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो बातें माननीय ओम प्रकाश जी ने माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कही हैं मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं मान्यवर, इस सदन में कई बार इस बात की चर्चा हुई कि न्यायालय हर बात की समीक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मान्यवर, एक नई बहस छेड़ी कि बजट के सम्बन्ध में भी न्यायालय को यह प्रश्न करना पड़ा कि किस मद पर कितना पैसा खर्चा किया जाना जाहिए। मान्यवर, यह जो विशेष सुरक्षा बल आया है, इसके कई प्राविधान ऐसे हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हैं। हम जानबूझ कर ऐसा काम करने जा रहे हैं, इस लेजिसलेचर के माध्यम से कि हम जबरदस्ती न्यायालय को इसमें खींचना चाहते हैं। मान्यवर, इसके कई प्राविधान ऐसे हैं, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हम एक परम्परा को खुद यहां पर इन्ट्रोड्यूज करेंगे, उसको डेवलप करेंगे तो जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसको मजबूर होकर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जहां पर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो, जहां पर हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, मान्यवर, कोई बात जाए तो निश्चित रूप से हम जबरदस्ती न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाते चले जा रहे हैं। मान्यवर, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं लेकिन इसके जो प्राविधान हैं, यह निश्चित रूप से कोर्ट में चैलेंज होंगे और नतीजा यह होगा कि इस पर स्टे भी होगा और किसी भी हालत में जो प्राविधान हम चाहते हैं, जिनके ऊपर यहां पर आपत्ति की गई, उसके सम्बन्ध में इसे एक महीने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, उसको ट्रेसआउट कर लिया जाए, उसके बाद आप इस बिल को पास कर लें क्योंकि आप बहुमत में हैं, कुछ भी पास करा लें। यहां तो यदि आप चाहेंगे कि हम लोग बाल कटवा लें तो बाल कटवाना पास करवा देंगे। (हंसी) हमको गंजा करवा दें, कुछ भी पास करवा दें क्योंकि इनके पास तो बहुमत है।

*उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, खन्ना जी की शादी करवाने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव करवा दें।

(हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को लगा कि इनका अधिकार छीने ले रहे है क्योंकि इनके पास तो बाल हैं नहीं। (हंसी) हम आपका अधिकार नहीं छीनेंगे, आप चिन्ता मत करिए, कोई अधिकार हम आपका छीनने नहीं जा रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका फैसला आप कर दीजिए। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल गिराने का भी एक तरीका है, लोकल पुलिस के ऊपर यदि भरोसा होता तो यह बिल शायद आज यहां नहीं आता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी सभी मा0 सदस्यगण जो इस विधेयक के विचार में हिस्सा लिए, मान्यवर, इस विधेयक के विरोध में जानते हुए भी अन्जान बन कर तमाम ऐसे मुद्दे उठाने का काम किया, जिसका कोई मतलब नहीं। मान्यवर, जो इसमें मा0 ओम प्रकाश सिंह जी ने जिक्र किया कि इसको कुशीनगर, सारनाथ, लखनऊ इमामबाड़ा, काशी, मथुरा, अयोध्या, ताजमहल, मान्यवर, कुशीनगर, सारनाथ, लखनऊ, इमामबाड़ा, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में हैं। काशी, मथुरा और अयोध्या में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल, इनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है और इनकी सुरक्षा योजना, भारत सरकार से अनुमोदित है। मान्यवर, ताजमहल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुरोध पर मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ताज महल की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। मान्यवर, दूसरी बात कि यह किसी क्षेत्र विशेष के लिए है, उस क्षेत्र विशेष को पारिभाषित करने का या उसमें घटाये-बढ़ाये जाने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। आवश्यकतानुसार उसे घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जहां तक इन निर्मित भवनों या स्मारकों का सवाल है, वह सभी सरकारी धनराशि से निर्मित है और जब सभी सरकारी धनराशि से निर्मित है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। हमारे पास पुलिस बल की कमी होने के कारण, प्रायः यह बात आती है कि थानों पर जितनी पुलिस की संख्या होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। दूसरे मान्यवर, अलग से जैसे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उनको एक अलग निपुणता हासिल है। किसी संस्था की सुरक्षा में उन्हें निपुणता हासिल है। उसी तरह से राज्य विशेष जोन के जो सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है उनको भी विशेष ट्रेनिंग देकर उनकी सुरक्षा की जानकारी देने का काम किया जाएगा। जिससे वह उनकी सुरक्षा में निपुण हों। किसी भी तरह की शंका इसलिए नहीं होनी चाहिए जैसाकि माननीय डा0 अग्रवाल जी ने कहा कि महानिदेशक, पुलिस इसके महानिदेशक होंगे, इसमें क्या गलती हो सकती है, कौन सा यह अलग जा रहा है। पुलिस के नियंत्रण में ही है, डी0जी0पी0 के नियंत्रण में है। इस बल का स्वरूप पी0ए0सी0 वाहिनी के रूप में होगा, इस बल का अधिकार क्षेत्र विशेष जोन की सीमा होगी। उस विशेष जोन में इनको जो अधिकार दिया गया है उसमें सर्च करने का और पकड़ने का अधिकार दिया गया है लेकिन वह निरंकुश न हो इसलिए उनको यह अधिकार दिया गया है कि जो निकटतम थाना है उस पर पहुंचाकर, उसके बाद जो सी0आर0पी0सी0 की धारायें है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। इसमें कहां उनको ऐसा अधिकार दिया जा रहा है जिससे किसी तरह से दिक्कत आये। इस बल में पर्यवेक्षणीय अधिकारी के रूप में निदेशक, सुरक्षा, उप निदेशक, सुरक्षा तथा सहायक निदेशक, सुरक्षा का पदनाम दिया गया है। जो कि क्रमशः पी0ए0सी0 में क्रमशःसेनानायक, उप सेनानायक तथा सहायक सेनानायक के समतुल्य होंगे। इन पदों पर आई0पी0एफ0/पी0पी0एस0 अधिकारी सेवा स्थानान्तरण पर तैनात किये जाएंगे। इस बल में अधीनस्थ अधिकारी के रूप में सुरक्षा अधिकारी, उप सुरक्षा अधिकारी तथा सहायक सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित हैं जो कि क्रमशः पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक तथा सहायक पुलिस

उप निरीक्षक के समतुल्य होंगे। इस बल में अंडर अफसर के रूप में मुख्य रक्षक, नायक रक्षक तथा लांस नायक रक्षक के पद सम्मिलित हैं। जो कि क्रमशः पुलिस के हेड कान्स्टेबिल, नायक तथा लांस नायक के समतुल्य हैं। इस बल में आरक्षियों को रक्षक का पदनाम दिया गया है। इस बल के अधीनस्थ अधिकारी तथा अंडर अफसर एवं रक्षक पद पर नये सिरे से भर्ती की जाएगी। इस बल के अधीनस्थ पुलिसकर्मियों, पी0ए0सी0 कर्मियों को सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से तैनात नहीं किया जाएगा। मान्यवर, इस बल के सदस्यों को विशेष जोन की सीमा में अरेस्ट, सर्च एवं सीजर के लिए अधिकार देने का प्राविधान रखा गया है, गिरफ्तारी के बाद इस बल के सदस्य सम्बन्धित व्यक्ति को निकटतम, पुलिस अधिकारी/पुलिस थाना को हस्तगत कर देंगे। इस हेतु सी0आर0पी0सी0 के सुसंगत प्राविधान लागू होंगे। तो मान्यवर, जो सारी शंकाएं थीं कि पुलिस से प्रतिवर्ष स्पर्धा होगी इससे उनसे आपस में कोई विवाद होगा। मान्यवर, विवाद की कोई शंका ही नहीं है। इनका अधिकार क्षेत्र सीमित है और मान्यवर, अगर सदन को नियम बनाने का अधिकार दिया जा रहा है तो इसमें कहां से अनुचित बात है। इसका तो स्वागत करना चाहिए और अनुसूची एक में विशेष जोन में कौन और स्थान है उसको घटाने बढ़ाने का भी अधिकार दिया जा रहा है। तो इसलिए मान्यवर, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अनुचित हो। अभी मैं सुन रहा था, माननीय सोलंकी जी अपने लम्बे-चौड़े विचार जब बेरोजगारी के सम्बन्ध में रख रहे थे। उस सम्बन्ध में इनकी चाहत थी कि लोगों को रोजगार मिले। इस बल में भर्ती भी होगी तो प्रदेश के तमाम नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और उनको उन जगहों की सुरक्षा की अलग तरह की विशेष तरह की ट्रेनिंग देकर उनको उस तरह का बनाने का काम किया जाएगा जिससे वह उसकी सुरक्षा सही ढंग से कर सकें। जो हमारे सामान्य पुलिस है उनकी जरूरत अभी थानों में हैं। हमने 2 लाख पद क्रिएट किये, 35 हजार हम भर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें पुलिस बल की कमी है और दूसरे उनकी ट्रेनिंग इन विशेष स्थानों की सुरक्षा का लक्ष्य नहीं है। इसीलिए जहां भी इस तरह के मामले आते हैं, केन्द्रीय औद्योगिक बल को लगाया जाता है। इसलिए उनको अलग ट्रेनिंग देने का काम किया गया है। लेकिन मान्यवर, इसमें माननीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने इस बात पर कहा कि अनुमति लेकर, तो मान्यवर, महानिदेशक उनको क्यों अनुमति देगा। कैसे यह अपेक्षा की गयी है कि उसमें दिया गया है लेकिन उसमें कैसे शंका कर रहे हैं कि डी0जी0पी0 उनको किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की अनुमति देगा। मान्यवर, यह अपेक्षा करके और ऐसी अनावश्यक बातें, कल्पना के आधार पर इस तरह की बातें रखने का काम किया गया है। मान्यवर, मेरा तो यह विश्वास था कि इसका सभी लोग स्वागत करके कि हमारा जो पुलिस बल इन संस्थानों की सुरक्षा में लगा है उसको अवसर मिलेगा, दूसरे अन्य कार्यों में कार्य करने का, जो उसके मूल कार्य हैं, उस कार्य में जाने का अवसर मिलेगा और चूंकि ये स्मारक राज्य की एक धरोहर हैं, जितने भी नाम इस अनुसूची में शामिल हैं वे राज्य की एक धरोहर हैं। मान्यवर, इससे हमारे पर्यटन का भी विकास होगा और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है और इस बल की आवश्यकता है। लेकिन मान्यवर, ये भी जानते हैं कि यह एक बहुत अच्छा कदम है लेकिन मान्यवर, किसी न किसी रूप में जो प्रदेश की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया गया है, महापुरूषों के नाम पर कि उनकी सुरक्षा हो, इस बात को लेकर इनको चिंता होती है।

किसी न किसी रूप में उसी बात को घुमाकर फिराकर उठाने की एक आदत सी बन गयी है। मान्यवर, इसलिये एक अच्छे कदम का स्वागत करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, उठेंगे और अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे। इसलिये कि प्रदेश के हित में इस राज्य विशेष जोन सुरक्षा बल का गठन किया गया है। आने वाले समय में राज्य सरकार, जैसा कि अनुसूची में अधिकार दिया गया है, अगर महसूस होगा कि कोई और ऐसा प्रतिष्ठान है जिसकी सुरक्षा की जरूरत है तो निश्चित रूप से उसका नाम सूची में बढ़ा लिया जायेगा, इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय ओम प्रकाश सिंह जी अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें और सर्वसम्मति से पास कराने का काम करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, अगर यह बिल इसी रूप में पारित हो जायेगा तो यह दिन इतिहास का काला दिन होगा। मैं इसका विरोध करता हूं, मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी ने सदन में एक असत्य जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि इस बल का क्षेत्र खाली वह जोन होगा, सच्चाई यह है कि इस बल का क्षेत्र पूरे देश में कहीं भी होगा। इसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई अधीनस्थ अधिकारी, पर्यवेक्षण अधिकारी किसी ऐसी सम्पत्ति को अधिग्रहीत कर सकता है जो ऐसी स्थिति में पायी जाये जिससे इस अधिनियम के अधीन, किसी अपराध के संदर्भ में संदेह पैदा हो जाय ? अर्थात् किसी भी बिल्डिंग को ये एक्वायर भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही गुमराह करने का काम किया है और एक भी प्रश्न का जवाब सही नहीं दिया है। जितने नाम सूची में हैं, उनकी सुरक्षा तो पुलिस कर रही है, अन्य फोर्सेस कर रहीं हैं, उन्हीं से कराते। तो यह कहा कि वहां तो जितनी फोर्स है वह ट्रांसफरेबुल है, यह ट्रांसफरेबुल नहीं है। इसमें जो सिपाही होंगे, उनकी क्या क्वालीफिकेशन होगी, यह मेन्शन नहीं है, इसलिये वहां जो बसपा के लोग लगे हैं, उन्हीं की भर्ती करके आप सिपाही बनाने वाले हैं, इसलिये यहां कोई क्वालीफिकेशन नहीं है। आज तक गवर्मेण्ट के किसी भी ऐक्ट में जहां नियुक्ति होती है क्वालीफिकेशन मिनियम जरूर दी जाती है, इसमें कोई क्वालीफिकेशन है। सम्पत्ति की बात आयी कि सम्पत्ति भी आप अधिग्रहीत करेंगे। यह विधेयक तानाशाही का है, मान्यवर, काला विधेयक है, मनमानेपन का है और बसपा के राजनीतिकरण और सरकारीकरण के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है और अपनी गोपनीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

हम इसे वापस नहीं लेते और इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जिसका गठन किया जा रहा है, इसमें कुछ प्राविधान अल्ट्रावाइरस हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जिनका संशोधन है, उनसे तो निवेदन कर लिया, आपका तो संशोधन ही नहीं है, आपसे कौन निवेदन करे ?

श्री प्रमोद तिवारी-

संशोधन के वगैर, संशोधन है। मान्यवर, मेरा इसमें सिर्फ यह कहना है कि इसमें जो प्राविधान हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अल्ट्रावाइरस हैं, जो संविधान के दायरे से बाहर हैं। आप देख लीजिएगा मैं यहां घोषणा कर के जा रहा हूं कि यह अगर न्यायालय में जायेगा तो न्यायालय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा चूंकि इसमें बहुत से मौलिक बिन्दु हुए गये हैं, चूंकि आप एक असंवैधानिक कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके असंवैधानिक कार्य में भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता हूं। मान्यवर, मैं और मेरा दल, यह थोड़ी देर के लिए गये हैं, मैं पूरे दिन के लिए जा रहा हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित आज के उपवेशन के शेष समय के लिये सदन त्याग कर चले गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने अभी सेवा नियमावली की बात की, मान्यवर, इस विधेयक में स्पष्ट उल्लेख है कि सेवा नियमावली अलग से बनाई जायेगी, इस विधेयक में इसका प्राविधान दिया गया है, इसलिए मान्यवर, अनावश्यक विवाद के लिए जो लोगों को, प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। यह एक क्रान्तिकारी कदम है मान्यवर और निश्चित रूप से इस बल का औचित्य है और पूरा औचित्य है और यह एक बहुत ही अच्छा कदम प्रदेश के लिए उठाया जा रहा है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं और मेरा दल भी इस विधेयक के विरोध में सदनका बहिर्गमन करता है।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी अपने राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-17 तक

परिभाषाएं

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "महानिदेशक" का तात्पर्य बल के महानिदेशक से है ;

(ख) "भर्ती किये गये सदस्य" का तात्पर्य किसी अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी या किसी अवर अधिकारी की श्रेणी से निम्नतर श्रेणी के बल के किसी अन्य सदस्य से है ;

(ग) "बल" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित राज्य विशेष परिक्षेत्र बल से है ;

(घ) "बल अभिरक्षा" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बल के किसी सदस्य द्वारा गिरफ्तारी या परिरोध से है ;

(ङ) "विशेष परिक्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे किसी क्षेत्र से है जिसके अन्तर्गत धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा उद्घोषित सामाजिक, परिस्थितिकीय और सौन्दर्यात्मक महत्व की संरचनाएं और मूर्तियां स्थित हैं ;

(च) "प्राधिकृत अभिकरण" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी समिति या राज्य सरकार द्वारा विशेष परिक्षेत्र के मामलों में प्रबन्धन कार्य के साथ न्यस्त किये गये किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से है ;

(छ) "बल के सदस्य" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बल में नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(ज) "अधीनस्थ अधिकारी" का तात्पर्य किसी सुरक्षा अधिकारी, उप सुरक्षा अधिकारी या सहायक सुरक्षा अधिकारी के रूप में बल में नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(झ) "पर्यवेक्षण अधिकारी" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त ऐसे किसी अधिकारी से है जिसमें राज्य सरकार द्वारा बल के किसी पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(ञ) "अवर अधिकारी" का तात्पर्य किसी मुख्य रक्षक, नायक रक्षक या लांस नायक रक्षक के रूप में बल में नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

विशेष परिक्षेत्र

3-इस अधिनियम की अनुसूची-1 में उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिनियम के अधीन विशेष परिक्षेत्र होंगे।

बल का गठन

4-(1) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष परिक्षेत्रों की बेहतर संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु एक बल का गठन एवं अनुरक्षण किया जाएगा जिसे राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल कहा जाएगा।

(2) बल का गठन इस रूप में किया जाएगा और उसमें ऐसी संख्या में पर्यवेक्षण अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी और बल के अन्य भर्ती किये गये सदस्य होंगे जैसा कि विहित किया जाय। उक्त अधिकारीगण और भर्ती किये गये सदस्य ऐसा वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां

5-(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश बल के महानिदेशक होंगे।

(2) राज्य सरकार ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(3) महानिदेशक और इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी के पास ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण होंगे और वे ऐसी शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित है।

बल के भर्ती किये गये सदस्य

6-बल के सदस्यों की नियुक्ति महानिदेशक में निहित होंगी जो यथाविहित शक्तियों का प्रयोग करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन नियुक्ति की शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

बल के सदस्यों के प्रमाण-पत्र

7-(1) बल के प्रत्येक भर्ती किये गये सदस्य को उसकी नियुक्ति पर महानिदेशक या ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी, जेसा कि महानिदेशक इस निमित्त विनिर्दष्ट करे, की मुहर से अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाऐगा जिसके आधार पर ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाले व्यक्ति में बल के भर्ती किये गये सदस्य की शक्तियां निहित होंगी।

(2) जब कभी बल में नामांकित व्यक्ति, किसी कारणवश बल का भर्ती किया गया सदस्य नहीं रह जाता है तब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रभावी नहीं रह जाएगा।

बल का अधीक्षण और प्रशासन

8-(1) बल का अधीक्षण, राज्य सरकार में और इस अधिनियम तथा तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अध्ययधीन होगा, और बल का कमाण्ड, पर्यवेक्षण तथा प्रशासन महानिदेशक में निहित होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन बल का प्रशासन, यथा विहित स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी किसी नियमवाली के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा जैसा कि आवश्यक समझा जाय और किसी विशिष्ट परिक्षेत्र की संरक्षा ओर सुरक्षा के प्रभार में रखा गया प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी ऐसे किसी निदेश के अध्यधीन होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार या महानिदेशक द्वारा प्रदान किया जाय।

बल के सदस्यों की पदच्युति, पद से हटाना आदि

9-संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों और ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुये, जैसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाये, पर्यवेक्षण अधिकारी-

(एक) बल के किसी भर्ती किये गये सदस्य को पदच्युत, हटाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकता है जिसे वह कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह या उपेक्षापूर्ण या इस कार्य के लिये अनुपयुक्त समझे ; या

(दो) बल के किसी भर्ती किये गये सदस्य को निम्नलिखित दण्डों में कोई एक या अधिक दे सकता है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन लापरवाही या उपेक्षापूर्ण ढंग से करे या जो अपने किसी कार्य से स्वयं को उसके निर्वहन के लिये अनुपयुक्त ठहराये, अर्थात् :-

(क) सात दिन के वेतन से अधिक किसी धनराशि का अर्थदण्ड या वेतनमान में कमी ;

(ख) कवायद, अतिरिक्त पहरा,कठोर काम या अन्य कार्य ;

(ग) विशिष्टिता के किसी पद से हटाना या किसी विशेष परिलब्धि से वंचित करना ;

(घ) संचयी प्रभाव के साथ या बिना वेतन वृद्धि को रोकना ;

(ङ) पदोन्नति को रोकना ;

(च) भर्त्सना

अपील और पुनरीक्षण

10-(1) धारा 9 के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित बल का कोई भर्ती किया गया सदस्य उस दिनांक से तीस दिन के भीतर, जब उसे वह आदेश दिया जाए ऐसे प्राधिकारी को आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है जिसे विहित किया जाय और उपधारा (3) उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, उस विषय में उक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाए कि अपीलकर्ता को समय के भीतर अपील दाखिल करने से रोकने का पर्याप्त कारण है।

(2) अपील के निस्तारण में, विहित प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जैसी विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन अपील में पारित आदेश से व्यथित बल का भर्ती किया गया कोई सदस्य, उस दिनांक से छह मास की अवधि के भीतर, जब आदेश उसे सूचित किया जाए, ऐसे प्राधिकारी को जिसे विहित किया जाए आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकता है और पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में उक्त प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाए।

(4) इस उपधारा के प्रयोजन के लिये विहित प्राधिकारी बल के व्यथित भर्ती किये गये सदस्य के द्वारा की गयी पुनरीक्षण याचिका पर या स्वप्रेरणा से, विहित अवधि के भीतर धारा 9 या इस धारा की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी प्रक्रिया के अभिलेख मंगा सकता है और ऐसा प्राधिकारी, विहित रीति से जांच करने के पश्चात् और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रखते हुये, उस विषय में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(5) राज्य सरकार धारा 9 के अधीन या इस धारा की उपधारा (2) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किसी कार्यवाही के अभिलेख मंगा सकती है और परीक्षण कर सकती है और ऐसी जांच कर सकती है या ऐसी जांच करा सकती है और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये उस विषय में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे :

परन्तु यह कि उपधारा (2) या उपधारा (5) के अधीन कोई वृद्धिकृत शास्ति आरोपित करने का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसे आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये।

बल के सदस्य के कर्तव्य

11-बल के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा उसे दिये गये विधि सम्मत सभी आदेशों का पालन और सम्पादन शीघ्र करे।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष परिक्षेत्रों की सुरक्षा और देखभाल करे।

(ग) विशेष परिक्षेत्रों के मामलों के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकरण द्वारा तैनात कर्मचारियों और व्यक्तियों की सुरक्षा और देखभाल करे।

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विशेष परिक्षेत्र की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा के लिये हितकर कोई अन्य कार्य करे।

स्पष्टीकरण : इस धारा और धारा 12 के प्रयोजन के लिये पद "विशेष परिक्षेत्रों के मामले" का तात्पर्य प्रबन्धन, निर्माण और अनुरक्षण से सम्बन्धित क्रिया-कलापों से है।

वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति

12-(1) बल का कोई सदस्य मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना या वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है :-

(एक) यदि धारा 11 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट यथास्थिति, किसी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में या ऐसे संदाय के कर्तव्यों के सम्पादन में जानबूझ कर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाये या जानबूझ कर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे या गलत ढंग से रोके या गलत ढंग से रोकने का प्रयास करे या उस पर आक्रमण करे या आपराधिक बल का प्रयोग करे या धमकी दे या प्रयोग करने का प्रयास करे या उसे या बल के किसी अन्य सदस्य को ऐसे सदस्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन से इरादतन रोके या व्यवधान डाले या ऐसे सदस्य को उसके कर्तव्यों के विधिसम्मत निर्वहन में उसके द्वारा किये गये किसी कार्य या किये जाने वाले कार्य के प्रयास में व्यवधान डाले ;

(दो) यदि कोई व्यक्ति जो किसी मामले में सम्बद्ध रहा है, या जिसके विरुद्ध उसके सम्बद्ध रहने का तर्कसंगत संदेह विद्यमान है या जिसे परिस्थितियों के अधीन अपनी उपस्थिति को छुपाने के लिये सावधानी बरतते हुये पाया जाये, जिससे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसी सावधानी ऐसे संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से बरत रहा है, जो धारा 11 के खण्ड (ख) में निर्दिष्टि किसी विशेष परिक्षेत्र के परिसर से सम्बन्धित या उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित हो।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है जिसमें धारा 11 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विशेष परिक्षेत्र के मामलों से सम्बन्धित किसी कार्य को करने में लगे। किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा अर्न्तग्रस्त हो या अर्न्तग्रस्त होने की सम्भावना हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 11 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विशेष परिक्षेत्र के परिसर पर अतिचार करते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना बल के किसी सदस्य द्वारा ऐसे परिसर से हटाया जा सकता है।

वारंट के बिना तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

13-(1) जब भी किसी अधीनस्थ अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा अपराध इस अधिनियम के अधीन किया गया है या किया जा रहा है और यह कि ऐसी तलाशी वारंट अपराधी को बचने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिये बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता तो वह अपराधी को निरुद्ध रख सकता है तथा तत्काल उसकी तथा उसके सामान की तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है।

(2) कोई अधीनस्थ अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी किसी ऐसी सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकता है जो ऐसी स्थिति में पायी जाय जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किये जाने के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न होता हो।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध उक्त संहिता के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में, यथाशक्य, इस धारा के अधीन तलाशी या अभिग्रहण पर लागू होंगे।

गिरफ्तारी के पश्चात् अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

14-इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाला बल का कोई सदस्य बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के इस प्रकार गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ निकटतम थाने पर ले जायेगा या भिजवा देगा।

संघ आदि बनाने के अधिकार के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध

15-(1) बल का कोई सदस्य राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व लिखित संस्तुति के बिना-

(क) किसी व्यवसाय संघ, श्रमिक संघ, राजनीतिक संघ या किसी वर्ग या व्यवसाय संघों, श्रमिक संघों या राजनीतिक संघों का किसी भी प्रकार से सदस्य नहीं बनेगा या उनसे सम्बद्ध नहीं होगा ; या

(ख) किसी ऐसी अन्य समिति, संस्था, संघ या संगठन, जो बल के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त न हो या जो पूर्णतः सामाजिक, मनोरंजक या धार्मिक प्रवृत्ति का न हो, का सदस्य नहीं बनेगा या उनसे सम्बद्ध नहीं होगा ; या

(ग) किसी पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेजों के सम्बन्ध में प्रेस को न संसूचित करेगा, न उसे प्रकाशित करेगा, न प्रकाशित करायेगा सिवाय वहां के जहां ऐसी संसूचना या प्रकाशन उसके कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन में किया गया हो या वह पूर्णतः साहित्यिक, कलापूर्ण या वैज्ञानिक प्रकृति या विहित प्रकृति का हो।

स्पष्टीकरण :-यदि किसी समिति, संस्था, संघ या संगठन के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन पूर्णतः सामाजिक, मनोरंजक या धार्मिक प्रकृति का है, तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) बल का कोई भी सदस्य किसी बैठक में न तो सहभागिता करेगा या सम्बोधित करेगा या किन्हीं राजनैतिक प्रयोजनों या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जैसे कि विहित किये जायें, किसी निकाय या व्यक्ति द्वारा आयोजित किसी प्रदर्शन में भाग लेगा।

निलंबन के दौरान बल के सदस्य की जिम्मेदारियां

16-बल के किसी सदस्य का पद से उसके निलम्बन के कारण, बल का सदस्य न रहना नहीं होगा; और वह उस अवधि के दौरान उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अध्यधीन रहेगा जिनके अधीन वह अपने कर्तव्य पर बने रहने के दौरान रहता।

बल का सदस्य न रह जाने पर व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्रों, शस्त्रों आदि का समर्पण

17-(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी कारण से बल का भर्ती किया गया सदस्य नहीं रह जाता है, अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र, शस्त्र, साज सज्जा, वस्त्र और अन्य सामग्रियां, जो बल के भर्ती किये गये सदस्य के रूप में कर्तव्यों के निष्पादनार्थ उसे दिये गये थे, उन्हें प्राप्त करने हेतु सशक्त किसी पर्यवेक्षकीय अधिकारी को तत्काल समर्पित कर देगा।

(2) कोई व्यक्ति जो, उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित रूप से अपने नियुक्ति प्रमाण-पत्र या शस्त्र, साज सज्जा, वस्त्र और अन्य सामग्रियां जो उसे दिये गये थे, समर्पित करने से जानबूझ कर उपेक्षा या इन्कार करता है, दोषसिद्ध होने पर कारावास से जो एक माह तक हो सकती है या अर्थदंड से जो दो सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(3) इस धारा में कोई बात किसी ऐसी सामग्री पर, जो महानिदेशक के आदेशों के अधीन उस व्यक्ति की सम्पत्ति बन चुकी है जिसे वह दी गई थी, लागू हुई नहीं समझी जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-17 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-18

कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिये शास्तियां

18-(1) धारा 9 में दिये गये उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बल का प्रत्येक सदस्य जो कर्तव्य के किसी उल्लंघन का या किसी नियम या पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किये गये विधि सम्मत आदेशों के जानबूझकर भंग या उपेक्षा का, या जो बिना अनुमति के अपने पद के कर्तव्यों से वापस हो जाने का, या जो छुट्टी की अनुपस्थिति से ऐसे छुट्टी की समाप्ति पर बिना युक्ति युक्त कारण के अपने कर्तव्य पर लौटने में विफल रहने का या जो बल के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी सेवायोजन में बिना प्राधिकार के अपने को योजित करने का दोषी होगा या जो कायरता का दोषी होगा, दोषसिद्ध पर कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकता है, दण्डित किया जाएगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दी गई किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार बल के किसी भर्ती किये गये सदस्य द्वारा किये गये और इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या बल के किसी भर्ती किये गये सदस्य द्वारा बल के किसी अन्य सदस्य के व्यक्ति या सम्पत्ति के प्रति किये गये किसी अपराध की जांच करने या विचारण के लिये पर्यवेक्षण अधिकारी में किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित कर सकती हैं।

परन्तु यह कि-

(एक) जब कोई अपराधी छुट्टी पर हो या कर्तव्य से अनुपस्थित हो ; या

(दो) जब अपराध, बल के भर्ती किये गये सदस्य के रूप में अपराधकर्ता के कर्तव्यों से सम्बन्धित न हो ; या

(तीन) बल के भर्ती किये गये सदस्य के रूप में अपराधकर्ता के कर्तव्यों से सम्बन्धित होते हुए भी जब अपराध छोटा हो ; या

(चार) जब ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, मजिस्ट्रेट की शक्तियों से निहित पर्यवेक्षण अधिकारी के लिये किसी अपराध की जांच करना या विचारण करना व्यवहार्य न हो तो यदि विहित प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार की सीमा में अपराध किया गया है, ऐसी अपेक्षा करे तो अपराध की जांच या विचारण मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले सामान्य आपराधिक न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

(4) इस धारा में दी गई किसी बात से बल के किसी सदस्य को किसी अन्य विधि के अधीन उस विधि द्वारा दण्डनीय किसी अपराध के लिये अभियोजित किये जाने से या किसी ऐसी विधि के अधीन किसी अन्य या उच्चतर शास्ति या दण्ड जो इस धारा के द्वारा दी गई से भिन्न हो, के लिये दायी होने पर निवारित किया गया नहीं समझा जायगा :

परन्तु काई व्यक्ति किसी एक अपराध के लिये दो बार दण्डित नहीं किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अकेला जी, आप अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अध्यक्ष जी, खण्ड-18 का उपखण्ड (2) और (3) निकाल दिये जायं तथा उपखण्ड (4) को उपखण्ड (2) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-18 का उपखण्ड (2) और (3) निकाल दिये जायं तथा उपखण्ड (4) को उपखण्ड (2) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-19

19-पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922 बल के सदस्यों पर उसी प्रकार लागू होगा जैसे वह पुलिस बल के सदस्यों पर लागू होता है।

बल के सदस्यों पर अधिनियम सं0-22 सन् 1922 का लागू होना

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड-19 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-20

20-मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या कारखाना अधिनियम, 1948 या राज्य में औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान से सम्बन्धित किसी समवर्ती विधि में दी गई कोई बात बल के सदस्यों पर लागू न होगी।

बल के सदस्यों पर कतिपय अधिनियमों का लागू न होना

श्रीं राम सागर अकेला-

मान्यवर, खण्ड-20 को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-20 निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-21

21-बल के किसी सदस्य द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किये गये कृत्य के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही में उसके लिये यह अभिवाक करना विधिपूर्ण होगा कि ऐसा कृत्य उसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन किया गया है।

बल के सदस्यों के कृत्यों का संरक्षण

(2) ऐसा कोई भी अभिवचन निर्देशात्मक आदेश प्रस्तुत करके सिद्ध किया जा सकता है और यदि ऐसा सिद्ध हो जाता है तो तत्पचात् बल के सदस्य को उसके द्वारा किये गये ऐसे कृत्य के सम्बन्ध में ऐसे आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में किसी दोष के होते हुए भी दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी बल के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्ति या के अनुसरण के अधीन किसी भी किये गये या करने के लिए आशयित कृत्य के लिए, चाहे दीवानी या आपराधिक, विधिक कार्यवाही जिसे विधिपूर्ण रीति से किया जाए, कृत्य की शिकायत प्राप्त होने अथवा किये जाने के तीन माह के अन्दर आरम्भ की

जायेगी और इससे अन्यथा नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्यवाही आरम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति और उसके पर्यवेक्षण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही और उसके कारण को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, खण्ड-21 को खण्ड-20 के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड-20 का उपखण्ड (3) निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-21 को खण्ड-20 के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड-20 का उपखण्ड (3) निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-22, खण्ड-23 तथा खण्ड-24

सेवा शर्तें और नियुक्ति

22-बल के अधिकारी और सदस्यों की सेवा शर्तें और नियुक्ति की रीति ऐसी होगी जैसी इस अधिनियम के अनुसूची-3 में उल्लिखित है।

नियम बनाने की शक्ति

23-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबन्ध हो सकते हैं :-

(क) बल के सदस्यों का वर्ग, पंक्ति, श्रेणी, वेतन और पारिश्रमिक और बल में उनकी सेवा की शर्तों का विनियमन ;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किन्हीं कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत बल के सदस्यों की शक्तियों और कर्तव्यों का विनियमन ;

(ग) बल के सदस्यों के लिए सेवा अवधि नियत करना ;

(घ) बल को सदस्यों को दिये जाने वाले शस्त्र, साज-सज्जा, वस्त्र, आवश्यक सामग्रियों का विवरण और मात्रा विहित करना ;

(ङ) बल के सदस्यों के आवास का स्थान विहित करना ;

(च) बल के प्रशासन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि को संस्थित करना, प्रबन्ध करना और विनियमित करना ;

(छ) दण्ड और प्राधिकारियों जिनको दण्ड के आदेश या जुर्माना की माफी या अन्य दण्डों के लिए अपील की जायेगी, को और ऐसी अपीलों के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित और विहित करना ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन बल अभिरक्षा से सम्बन्धित मामलों, जिसमें किसी व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में लेने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भी है, का विनियमन ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से सम्बन्धित वादों के निस्तारण से सम्बन्धित मामलों का विनियमन और इस अधिनियम के

अधीन दोष सिद्ध व्यक्तियों को परिरुद्ध किये जाने वाले स्थान को विनिर्दिष्ट करना ;

(ञ) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकारी और पुनरीक्षा याचिका के निस्तारण में ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विहित करना ;

(ट) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन प्राधिकारी, वह अवधि जिसके अधीन ऐसा प्राधिकारी अभिलेखों की मांग कर सकता है और वह रीति जिसमें ऐसा प्राधिकारी जांच कर सकता है, विहित करना ;

(ठ) निबन्धन और शर्तें जिनके अध्यधीन बल के सदस्यों को धारा 15 के अधीन तैनात किया जा सकता है और इसके लिए शुल्क की निबन्धन और शर्तें ;

(ड) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना हो या विहित किया जा सके या जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन नियम बनाया जाना अपेक्षित हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम को, उसके बनाये जाने के यथाशीघ्र बाद, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हों, जो एक सत्र, दो सत्र या उससे अधिक लगातार सत्रों को हो सकता है, रखा जायेगा और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उक्त नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम न बनाया जाए तो इसके पश्चात् उक्त नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी हो जायेगा या निष्प्रभावी हो जायेगा किन्तु ऐसे उपान्तर या निष्प्रभावीकरण का उक्त नियम के अधीन पहले से कृत किसी कार्य की विधिमान्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

24-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश पर उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, खण्ड-22, खण्ड-23 व खण्ड-24 को क्रमशः खण्ड-21, खण्ड-22 और खण्ड-23 के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि खण्ड-22, खण्ड-23 व खण्ड-24 को क्रमशः खण्ड-21, खण्ड-22 और खण्ड-23 के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुसूची-1, 2 व 3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

अनुसूची-1

(धारा-3 देखिये)

1-डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जिसमें जन सुविधा परिसर और प्रशासनिक भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश भी है।

2-डा0 अम्बेडकर विहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

3-सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

4-मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

5-13, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

6-मान्यवर, श्री कांशीराम जी हरित (पर्यावरणीय) उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

7-रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

8-गौतमबुद्ध समता मूलक स्थल, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

9-बुद्ध विहार शान्ति उपवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

10-स्मृति उपवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

अनुसूची-2

(धारा-7 देखिये)

श्री/श्रीमती/सुश्री .....आत्मज/आत्मजा ..... को राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल अधिनियम, 2010 के अधीन राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल के भर्ती किये गये सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और इनमें बल के सदस्य की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित है।

अनुसूची-3

(धारा-22 देखिये)

1-बल के पर्यवेक्षण अधिकारियों की विभिन्न पंक्ति में निदेशक सुरक्षा, उप निदेशक सुरक्षा और सहायक निदेशक, सुरक्षा सम्मिलित हैं।

2-बल के पर्यवेक्षण अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा या प्रादेशिक पुलिस सेवा से सेवा स्थानान्तरण के द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

3-बल के अधीनस्थ अधिकारियों, अंडर आफीसरों और सदस्यों के विभिन्न पदों पर पृथक से भर्ती होगी।

4-अंडर आफीसर से निम्नतर पंक्ति के बल के सदस्यों को रक्षक कहा जायेगा।

5-रक्षक के पद के लिये सीधी भर्ती होगी।

राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010

राज्य द्वारा स्थापित विशेष परिक्षेत्र की बेहतर संरक्षा और सुरक्षा हेतु राज्य के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन तथा ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में निर्माण, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण क्रिया-कलापों से सम्बन्धित क्रिया-कलापों हेतु प्राधिकृत अभिकरण द्वारा अभिनियोजित कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए-

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1, 2 व 3, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाओं को लेता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन को एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है।

ईंट भट्ठा सीजन वर्ष 2009-2010 में दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-9-2010 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटों, ईंट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू की गयी है।

विशेषाधिकार की अवेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दी है। वह आज सुबह आपके कार्यालय में दी है। उस पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपने दी है, उसका मैं परीक्षण करा रहा हूं। परीक्षण के बाद जैसी स्थिति होगी विशेषाधिकार समिति में जायेगा या यहां आयेगा।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाओं को ले रहा हूं।

आज दिनांक 4 फरवरी, 2010 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

1-डा0 अजय तोमर	की	प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का जनवरी, 2006 से वेतन एरियर का भुगतान न किये जाने के संबंध में,
2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	की	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा बनाये गये क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में तथा
3-श्री जसवन्त सिंह	की	जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज के ग्राम बोदरवार निवासी आशीष मधेशिया की पुलिस द्वारा की गयी उत्पीड़न की जांच एवं उसके इलाज की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत जाती हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4-श्री प्रमोद तिवारी	की	प्रदेश की सहकारी समितियों में कार्यरत पैक्स कैडर सचिवों का वेतन भुगतान न किये जाने के संबंध में,
5-श्री विजय कुमार	की	जनपद गजीपुर स्थित शारदा सहायक खण्ड-23 के अन्तर्गत स्वीकृत नहर की खुदाई एवं सफाई तथा टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में,
6-श्री दुर्गा प्रसाद यादव	की	प्रदेश के 9 अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किये जाने के संबंध में तथा
7-श्री अनुग्रह नारायण सिंह	की	इलाहाबाद स्थित मेहदौरी ग्राम समाज की भूमि पर बसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उजाड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और उन्हें पुनः बसाने एवं मुआवजा दिये जाने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।
8-श्री महेश चन्द्र गुप्ता	की	जनपद बदायूँ स्थित कबूलपुरा-कुरऊ मार्ग पर सोत नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
9-श्री जावेद अंसारी	की	जनपद जौनपुर में जमुआही-भदेठी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में,
10-श्री श्यामदेव राय चौधरी	की	प्रदेश के न्याय पंचायतों में रिक्त पड़े किसान सहायकों एवं विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,
11-श्रीमती विद्या चौधरी	की	जनपद आजमगढ़ स्थित मोहम्मदपुर-आजमगढ़ नदी पर निर्मित पुल पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के संबंध में,
12-श्री महबूब अली	की	जनपद जे0पी0 नगर के ब्लाक अमरोहा स्थित निर्मित 33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन को चालू कराये जाने के संबंध में,
13-श्री मदन चौहान	की	गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम मतनौरा व छतनौरा के बीच सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में,
14-श्री इमरान मसूद	की	जनपद सहारनपुर के थाना मण्डी निवासी इमरान द्वारा की गयी आत्महत्या की जांच कराने एवं परिवार को आर्थिक मदद दिये जाने के संबंध में,
15-श्री जोखू लाल यादव	की	जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत खराब/बन्द पड़े राजकीय नलकूपों की मरम्मत किये जाने के संबंध में तथा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

16-श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर स्थित निर्मित रेशू विहार के अलमासपुर रोड के दोनों तरफ नालों का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री विनोद चतुर्वेदी,
2-श्री इरफान सोलंकी,
3-श्री सतीश महाना,
4-श्री उदयभान करवरिया,
5-श्री सर्वेश कुमार सिंह,
6-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,
7-श्री राजकिशोर सिंह,
8-श्री उदयराज यादव,
9-श्री राम विशुन आजाद,
10-श्री इकबाल महमूद,
11-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर),
12-श्री विशम्भर सिंह यादव,
13-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त,
14-श्री शम्भू चौधरी,
15-श्री विद्या सागर गुप्ता,
16-श्री सुरेश कुमार खन्ना,
17-श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,
18-श्री सुनील शर्मा,
19-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,
20-श्री सुखलाल,
21-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव,
22-श्री पूरन प्रकाश,
23-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
24-डा0 अनिल चौधरी,
25-श्री राजाराम त्यागी,
26-श्री राजेश कुमार गौतम,
27-श्री बैजनाथ दुबे,
28-श्री अनूप सण्डा,
29-श्री लल्लू सिंह,
30-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

31-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

32-श्री कुबेर सिंह,

33-श्री काशी राम,

34-श्रीमती मिथिलेश पाल तथा

35-चौ0 सत्यपाल सिंह।

नियम-51 में अस्वीकृत सूचनाओं को उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा पुनः लिये जाने का अनुरोध

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, अस्वीकृत सूचनाओं में मेरी भी सूचना है, आप उसे ले लें। महत्वपूर्ण सूचना है।

(श्री अनूप सण्डा तथा डा0 राधामोहन दास अग्रवाल व अन्य सदस्यों ने भी यही अनुरोध किया।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जैसा बतायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह आपके विवेक पर है जो यहां उपस्थित हों उनकी सूचनाओं के बारे में आप चाहें तो आप विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैं देख लेता हूं।

श्री विनोद चतुर्वेदी जी उपस्थित नहीं हैं। श्री इरफान सोलंकी जी उपस्थित नहीं हैं। श्री सतीश महाना जी उपस्थित नहीं हैं। श्री उदयभान करवरिया जी उपस्थित हैं। श्री सर्वेश कुमार सिंह जी उपस्थित नहीं हैं। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी उपस्थित नहीं हैं। श्री उदयराज यादव जी उपस्थित नहीं हैं। श्री राम विशुन आजाद जी उपस्थित नहीं हैं। श्री इकबाल महमूद जी उपस्थित नहीं हैं। श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी उपस्थित नहीं हैं। श्री विशम्भर सिंह यादव जी उपस्थित नहीं हैं। श्री रमापति उर्फ रमाकान्त जी उपस्थित हैं। श्री शम्भू चौधरी जी उपस्थित नहीं हैं। श्री विद्या सागर गुप्ता जी उपस्थित नहीं हैं। श्री सुरेश कुमार खन्ना जी उपस्थित हैं। श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी जी उपस्थित हैं। श्री सुनील शर्मा जी उपस्थित नहीं हैं। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित नहीं हैं। श्री सुखलाल जी उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी उपस्थित नहीं हैं। श्री पूरन प्रकाश जी उपस्थित नहीं हैं। श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी जी उपस्थित हैं। डा0 अनिल चौधरी जी उपस्थित हैं। श्री राजाराम त्यागी जी उपस्थित नहीं हैं। श्री राजेश कुमार गौतम जी उपस्थित नहीं हैं। श्री बैजनाथ दुबे जी उपस्थित हैं। श्री अनूप सण्डा जी उपस्थित हैं। श्री लल्लू सिंह जी उपस्थित नहीं हैं। श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी उपस्थित नहीं हैं। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी उपस्थित हैं। श्री कुबेर सिंह जी उपस्थित हैं। श्री काशी राम जी उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती मिथिलेश पाल जी उपस्थित नहीं हैं। श्री चौ0 सत्यपाल सिंह जी उपस्थित हैं।

जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं उनकी सूचनायें ले ली जाती हैं और शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा श्री प्रमोद तिवारी द्वारा ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों में हजारों की संख्या में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष शिक्षक (रिसोर्स एवं इंटीनरेंट शिक्षक) कार्यरत है जो इन परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग बच्चों जिनमें दृष्टिहीन, मूक-बधिर, मानसिक रूप से अक्षम एवं शारीरिक रूप से विकलांग आदि शामिल हैं, को शिक्षा एवं पुनर्वास के लिये निरन्तर पूरी निष्टा एवं कर्तव्य परायणता के साथ अपनी सेवायें दे रहे हैं। इन विशेष शिक्षकों को संविदा के आधार पर रखा गया है तथा वर्ष 2005 से प्रतिमाह इन्हें रु0 6000/- का मानदेय दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत ये विशेष शिक्षक पूरी तरह से प्रशिक्षित अध्यापक हैं, जो विकलांग बच्चों की शिक्षा के साथ ही साथ सामान्य बच्चों को शिक्षा के लिये भी पूरी तरह प्रशिक्षित है। संविदा के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत इन विशेष शिक्षकों को नियमित किया जाय तथा विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा धारक व्यक्तियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिये। जब तक इन विशेष शिक्षकों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक इनका मानदेय छठे वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किया जाय ताकि ये अपने परिवार के भरण पोषण एवं बच्चों की शिक्षा आदि के कर्तव्यों का निर्वाहन सुगमतापूर्वक कर सकें। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत विशेष शिक्षक (रिसोर्स एवं इंटीनरेंट शिक्षक) की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण न होने से तथा उनको विनियमित न किये जाने से जहां उनके सामने परिवार की भरण पोषण की समस्या उत्पन्न है वही उनका तथा उनके परिवार का भविष्य भी अंधकार में है। अतः उनमें कुण्टा एवं चिन्ता व्याप्त है, और वे आन्दोलनरत है। अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दृष्टि अक्षम, श्रवण अक्षम एवं मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा के लिये उक्त विकलांगताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त विशेष शिक्षकों इंटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स की तैनाती वर्ष 2005-06 से रु0 6000/-

---

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतिमाह के मानदेय पर की गयी है। विशेष शिक्षकों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में नियमित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति हेतु उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक पद एवं प्रशिक्षण अर्हता होना आवश्यक है। चूंकि सन्दर्भगत इंटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स नियमावली 1981 के अनुसार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता नहीं रखते, अतः इन्हें नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

3-भारत सरकार के निर्देशानुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर रखे जाने की व्यवस्था है। तद्नुसार विशेष शिक्षकों को संविदा पर नियत मानदेय के आधार पररखा गया है। इनके मानदेय में वृद्धि भारत सरकार द्वारा प्रति बच्चे यूनिट कास्ट निर्धारण के आधार पर ही की जाती है।]

वाराणसी नगर की सीवर सफाई का कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, वर्ष 2008-09 के पूर्व वाराणसी नगर की सीवर सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जाता था ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[इसके पश्चात विभिन्न चरणों में यह कार्य जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया गया। जल संस्थान में सीवर सफाई कर्मचारी उपलब्ध न होने के फलस्वरूप सीवर सफाई का कार्य ठेकेदारी के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रारम्भ में नये सफाई कर्मी होने के फलस्वरूप कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ा था परन्तु वर्तमान में कोई असुविधा नहीं है। जल संस्थान वाराणसी के सीमित संसाधन हैं । वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से सीवर सफाई का कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। जनता की शिकायतें नोट करने हेतु विभिन्न स्थलों पर व्यवस्था की गयी है एवं क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि वाराणसी नगर की सीवर व्यवस्था लगभग 100 वर्ष पुरानी है। वर्तमान जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये इसके पुनर्गठन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सिस वरुणा क्षेत्र के सीवर योजना के पुनर्गठन के प्राक्कलन के विरचन का कार्य किया जा रहा है जो 31 मार्च, 2010 तक शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। तदुपरान्त एस0 एल0 एस0 सी0 के अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार को धनावंटन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

सिस वरुणा क्षेत्र में जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत रु0 111.02 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है जिससे जल निगम द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। इसके पूर्ण होने के उपरान्त जलापूर्ति में पर्याप्त सुधार होगा। उक्त के अतिरिक्त रु0 86.10 करोड़ की पेयजल योजना भी स्वीकृत है जिस पर शीघ्र कार्य शुरु किया जा रहा है। मंगलागौरी क्षेत्र में मा0 विधान सभा की निधि से एक सी0 डब्लू0 आर0 का निर्माण कराया गया है, जिसके माध्यम से वर्तमान में जलापूर्ति की जा रही है एवं स्थिति में सुधार हुआ है। ब्रह्माघाट, दुर्गाघाट एवं पंचगंगा घाट की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप पेयजल में कमी हो गयी थी जिसकी तुरन्त मरम्मत कराकर जलापूर्ति नियमित कर दी गयी है और अब पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है।]

गोरखपुर में बन्द पड़े फर्टिलाइजर फैक्ट्री को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये गोरखपुर में 1990 से बन्द पड़े फर्टिलाइजर फैक्ट्री को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर 01-02-1-2010 को मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया था।

2-फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के पास 970.68 एकड़ भूमि है जो 1961-63 में फैक्ट्री की स्थापना के समय अधिग्रहीत की गयी थी फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने भूमि का कब्जा 5-6-1998 को कन्वेयन्स डीड के अन्तर्गत प्राप्त किया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में वर्ष 1984 के संशोधन पर भारत सरकार द्वारा विधि सलाहकार से ली गयी राय के अनुसार फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड भूमि को इस प्रयोजन में उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर सकती है जो कि राज्य सरकार द्वारा भूमि का अन्तकरण/कब्जा दिये जाने के समय उसे प्रदान किया गया था। प्रोजेक्ट का पुनर्वासन करने का उद्देश्य गैस आधारित प्लान्ट व अन्य औद्योगिक क्रिया कलापों की अनुमति विधि के अन्तर्गत दिया जायेगा। उक्त प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है तथा राज्य सरकार से अपेक्षा की गयी है कि राज्य सरकार पुनर्वासन का समर्थन करेगी तथा भूमि उपयोग के बदलाव तथा पुनर्वासन का पूरा सहयोग देने का वचन देगी। यह पुनर्वासन मा0 दिल्ली उच्च न्यायालय के संज्ञान में है तथा मा0 न्यायालय की अनुमति के बाद ही स्कीम को लागू किया जायेगा।

3-इस इकाई के पुनर्वासन के सम्बन्ध में भारत सरकार के सचिव का पत्र दिनांक 04 सितम्बर, 2009 एवं 10 सितम्बर, 2009 प्राप्त हुआ है।

4-भारत सरकार के पत्र दिनांक 04 सितम्बर, 2009 में बताया गया है कि गोरखपुर इकाई के पुनर्वासन हेतु पारदर्शी निविदा प्रक्रिया द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकारों द्वारा अध्ययन किया गया है। वित्तीय सलाहकारों के सुझावों के आधार पर रेवेन्यू शेयरिंग माडल (आर0एस0एम0) का सुझाव गोरखपुर इकाई के वित्तीय पुनर्वासन हेतु दिया गया है। इस माडल के अनुसार फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड जमीन का मालिक रहेगा तथा सफल निविदा धारक को भूमि रियायतें अनुबन्ध के अन्तर्गत "राइट टू यूसेज" उपलब्ध कराया जायेगा।

5-भारत सरकार ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड गोरखपुर यूनिट के 1500 करोड़ रुपये के बकाया ऋण माफी पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दिया है। गोरखपुर इकाई पर लगभग रुपया 47.00 लाख नगर निगम व ऊर्जा विभाग का बकाया है। भारत सरकार ने अपेक्षा की है कि राज्य सरकार उक्त दायित्वों को माफ करने पर विचार करें। इसी प्रकार पुनर्वासन के लिये 25000 क्यूसेक मीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार का समर्थन उक्त उपयोगिताएं उपलब्ध कराने में आवश्यक होगा।

6-इस प्रकरण के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 13-10-09 को आहूत की गयी थी।

7-तदनुक्रम में भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 5-11-2009 के पत्र द्वारा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की गोरखपुर इकाई का विवरण और इस परिप्रेक्ष्य में उड़ीसा सरकार द्वारा तालचर इकाई के बारे में प्राप्त पत्र सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराया गया है। इस पत्र पर पिकप से आख्या दिनांक 18-1-2010 को प्राप्त हुई है जिसमें राज्य सरकार से निम्न अनुतोष एवं रियायतें प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने का सुझाव दिया गया है :-

(I) गोरखपुर इकाई के "फर्टिलाइजर एवं सहवर्ती सुविधाओं" से "फर्टिलाइजर एवं अन्य उद्योगों के विधि के अन्तर्गत अनुमन्य" भूमि उपयोग का परिवर्तन।

(II) आवश्यक मात्रा में (25000 क्यूसेक मीटर प्रतिदिन) पानी की आपूर्ति एवं विद्यमान फैक्ट्री की कनेक्टीविटी पर नाम मात्र ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये लेटर आफ कम्फर्ट।

(III) राज्य सरकार/उसके एजेन्सीज के बकाया लगभग 60.00 लाख रुपये की माफी।

पिकप द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी-धानी मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की जमीन का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का मा0 मंत्री के अनुरोध पर स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री के अनुरोध पर स्थगित है।

जनपद मेरठ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खराब पड़े ट्रान्सफार्मरों को बदले जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सतयप्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नगरीय पोषकों पर परिवर्तक 24 घंटे एवं ग्रामीण पोषकों पर 72 घंटे के अन्दर बदलने का प्राविधान है ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[माननीय विधायक जी द्वारा उल्लिखित ग्रामों में क्षतिग्रस्त/चोरी गये परिवर्तकों को बदलने का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :-

1-ग्राम दायमपुर में श्री तेज राम के निजी नलकूप जिसकी आपूर्ति ग्रामीण पोषक द्वारा होती है, के जोड़े पर स्थापित 25 के0वी0ए0 क्षमता का परिवर्तक दिनांक 07/08-10-2009 की रात्रि में चोरी हो गया था जिसकी थाने द्वारा एफ0आई0आर0 सं0-674/09, दिनांक 11-10-2009 दर्ज की गयी। पुलिस द्वारा मौका मुआयना के बाद प्राक्कलन स्वीकृति तथा चोरी गये परिवर्तक का टैक्स जमा करने के बाद मांग-पत्र दिनांक 24-10-09 को भण्डार में प्रस्तुत किया गया। उक्त तिथि के बाद विद्युत भण्डार केन्द्र, मेरठ पर माह नवम्बर, 2009 में 38 नग एवं माह दिसम्बर, 2009 में 88 नग (दिनांक 15-12-2009 तक) नये परिवर्तक प्राप्त हुये। दिनांक 16-12-09 को उपभोक्ता को परिवर्तक उपलब्ध करा दिया गया। प्रकरण में हुये विलम्ब की जांच निदेशक (वितरण) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से कराने के लिये आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

2-ग्राम छिलोरा जिसकी आपूर्ति ग्रामीण पोषक द्वारा होती है, में स्थापित 100 के0वी0ए0 क्षमता का परिवर्तक दिनांक 12-01-2010 को क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त परिवर्तक दिनांक 13-01-2010 को कार्यशाला में उपलब्ध कराया गया जिसे टेस्ट करने के बाद दिनांक 14-01-2010 को मरम्मतशुदा परिवर्तक उपलब्ध करा दिया गया। उक्त परिवर्तक दिनांक 21-01-2010 को गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हो गया जो भण्डार केन्द्र पर दिनांक 22-01-2010 को प्राप्त हुआ जिसके बदले दिनांक 23-01-2010 को मरम्मतशुदा परिवर्तक आवंटित कर दिया गया था अगले दिन रविवार होने के कारण परिवर्तक दिनांक 25-01-2010 को उपलब्ध करा दिया गया।

3-ग्राम छिलोरा जिसकी आपूर्ति ग्रामीण पोषक द्वारा होती है, में एक अन्य जोड़े पर स्थापित 100 के0 वी0 ए0 क्षमता का परिवर्तक दिनांक 26-01-2010 को क्षतिग्रस्त हुआ जिसे

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 27-01-2010 को कार्यशाला में उपलब्ध कराया गया। टेस्ट करने के बाद दिनांक 28-01-2010 को मरम्मतशुदा परिवर्तक उपलब्ध करा दिया गया।

4-ग्राम उल्देपुर जिसकी आपूर्ति ग्रामीण पोषक द्वारा होती है, में स्थापित 100 के0वी0ए0 क्षमता का परिवर्तक दिनांक 17-01-2010 को क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त परिवर्तक दिनांक 21-01-2010 को कार्यशाला में उपलब्ध कराया गया जिसे टेस्ट करने के बाद दिनांक 23-01-2010 को आवंटित कर दिया गया एवं दिनांक 29-01-2010 को परिवर्तक उपलब्ध करा दिया गया। परिवर्तक को उपलब्ध कराने में हुये विलम्ब की जांच निदेशक (वितरण), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से कराई जा रही है।

5-ग्राम सिखेड़ा जिसकी आपूर्ति ग्रामीण पोषक द्वारा होती है, में स्थापित 100 के0वी0ए0 क्षमता का परिवर्तक दिनांक 27-01-2010 को क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त परिवर्तक दिनांक 29-01-2010 को कार्यशाला में उपलब्ध कराया गया जिसे टेस्ट करने के बाद दिनांक 01-02-2010 को उपलब्ध करा दिया गया।]

जनपद गाजीपुर की जखनिया में बेसो नदी एवं मगई नदी पर चेक डैम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधान सभा जखनिया, जनपद गाजीपुर में वेसो नदी एवं मंगई नदी ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[के बीच भू-भाग में गर्मी के दिनों में जल स्तर अत्यन्त गिर जाता हैं ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के किसानों एवं आम जनता को सिंचाई एवं पीने के पानी की अत्यन्त समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु बेसों एवं मंगई नदी पर पांच-पांच कि0मी0 अन्तराल पर चेक डैम बनवाने की मांग की गयी है।

विधान सभा क्षेत्र जखनिया, जनपद गाजीपुर में बेसो नदी फिरोजपुर ग्राम के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बेसो नदी में पानी केवल बरसात के दिनों में ही बहता है। अन्य महीनों में प्रायः यह सूख जाती है, जिसके कारण जल स्तर भी नीचे चला जाता है तथा नदी के किनारे बसने वाले ग्रामीणों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त समस्या के निदान हेतु बेसो नदी पर लगभग 5 कि0मी0 के अन्तराल पर 5 अदद चेक डैम बनाने हेतु परियोजना प्राक्कलन लागत रु0 289.00 लाख का गठन किया गया हैं चेक डैम बनने से जल स्तर को रोक कर समस्या का समाधान हो सकेगा।

मगई नदी जनपद आजमगढ़ से निकल गाजीपुर में प्रवेश करती है और जनपद बलिया में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। मंगई नदी गर्मी के दिनों में सूख जाने के कारण जल स्तर भी नीचे चला जाता है तथा नदी के किनारे बसने वाले ग्रामीणों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त समस्या के निदान हेतु बेसो नदी पर लगभग 5 कि0मी0 के अन्तराल पर 7 अदद चेक डैम बनाने हेतु परियोजना प्राक्कलन लागत रु0 384.00 लाख का गठन किया गया है। चेक डैम बनने से जल स्तर को रोक कर समस्या का समाधान हो सकेगा।

उक्त परियोजना को तकनीकी रूप से साध्य पाया गया हैं परियोजना प्राक्कलन के नियमानुसार परीक्षणोपरान्त वित्तीय संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत चेक डैमों का निर्माण कार्य कराया जायेगा, जिससे प्रश्नगत समस्या का समाधान हो जायेगा।]

जनपद प्रतापगढ़ स्थित बेल्हा देवी धाम में पर्यटकों की सुविधा हेतु राज्य योजना एवं केन्द्र योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[दिनांक 01-02-2010 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि "जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित ऐतिहासिक बेल्हादेवी धाम में पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत पर्यटन एवं स्थल विकास हेतु एक समग्र कार्य-योजना स्वीकृति हेतु राज्य योजना एवं केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित करने हेतु मेरे द्वारा अपने पत्र संख्या-470/आ0स0/08, दिनांक 17-10-2008, 193/आ0स0/08 दिनांक 20-8-08, 634/आ0स0/08 दिनांक 24-12-08, 635/आ0स0/2008 दिनांक 24-12-08, 708/आ0स0/09 दिनांक 12-02-2008, 740/आ0स0/09 दिनांक 19-02-09 प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं माननीय पर्यटन मंत्री जी उ0 प्र0 को प्रेषित किये गये हैं इसके अतिरिक्त भी विगत दो वर्षों में कई पत्र उपरोक्त के लिये लिखे गये है। परन्तु आज तक उक्त स्थल के ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिगत उपेक्षित कार्यवाही न कराये जाने से कई हजार लोगों की श्रद्धा आहत हुई, जिससे जनता में गहरा आक्रोश है। उक्त को प्रत्येक दशा में राज्य योजना एवं केन्द्र योजना में स्वीकृति प्रदान करना अति आवश्यक है तथा अब तक उक्त के लिये जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित कार्य पूर्ण कराया जाना भी जनहित में अति आवश्यक है।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित रु0 247.39 लाख के कार्यों की योजना में बेल्हा देवी के पर्यटन विकास हेतु भी

रु0 51.76 लाख का प्रस्ताव सम्मिलित है। भारत सरकार से स्वीकृति विकास हेतु पूर्व वर्षों में भी राज्य योजना के अन्तर्गत रु0 7,497 लाख एवं जिला योजना के अन्तर्गत रु0 79.1202 लाख कुल रु0 86.6172 लाख धनराशि स्वीकृत करते हुये कार्य कराये गये हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्नवत् हैं :-

राज्य सेक्टर-

वर्ष 1999-2000	7.497 लाख

जिला योजना-

वर्ष 1992-93	5.00 लाख
वर्ष 1993-94	10.987 लाख
वर्ष 1994-95	17.28 लाख
वर्ष 1995-96	4.90 लाख
वर्ष 1996-97	9.04 लाख
वर्ष 1997-98	9.8632 लाख
वर्ष 1999-2000	10.00 लाख
वर्ष 2005-06	12.06 लाख]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं दिनांक 8-2-2010 को 1.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 04 बजकर 16 मिनट पर सोमवार दिनांक 8 फरवरी, 2010 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

दिनांक 4 फरवरी, 2010

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 274 विधान सभा (535)-19-3-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।